कार्यवृत्त

[संक्षिप्त कार्य-विवरण]

सोमवार, 25 भाद्रपद, शक संवत् 1935
(16 सितम्बर, 2013 ई0)

खण्ड-486
अंक-01

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम्.....' के सामूहिक गान से आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही जनपद मुजफ्फरनगर स्थित गांव कबाल/मलिकपुरा में दिनांक 27 अगस्त, 2013 को घटित घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-311 में दी गई सूचना के सम्बन्ध में भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, पीस पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश सदस्य हाथों में सरकार विरोधी बैनर लेकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुये सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

इसी मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने भाजपा पर साम्प्रदायिक दंगे भड़काने एवं प्रदेश का माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुये कहा कि इसे समझ लेने में हमें कोई देर नहीं होनी चाहिये, यही राजनैतिक दल है और यही लोग है। यही भारतीय जनता पार्टी, यही विचार धारा अलगाववादी सोच, फासिस्ट ताकतें एक बार फिर बहुत बुरे हालात से गुजारने का षड़यंत्र किया है।

श्री अध्यक्ष द्वारा स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करने पर भी सदन की फ्लोर में आये सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर वापस नहीं गये और लगातार नारेबाजी करते रहे।

घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 04 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी।

11 बजकर 19 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो पहले से ही सदन के फ्लोर पर हाथों में बैनर लेकर बैठे थे एवं बहुजन समाज पार्टी एवं राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य अपने-अपने आसनों पर ही खड़े होकर सरकार पर साम्प्रदायिक फैलाने का आरोप लगाते हुये सरकार विरोधी नारे लगाते रहे।

घोर व्यवधान के मध्य ही श्री अध्यक्ष ने सदन के फ्लोर पर आये सदस्यों से अपने-अपने स्थानों पर जाने का आग्रह करते हुये कहा कि आपकी सूचना को नियम-56 में सुना जायेगा तब आप अपनी-अपनी बात कहिएगा। श्री अध्यक्ष के अनुरोध को अनसुनी करते हुये सदन के फ्लोर पर खड़े भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तथा बसपा के सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर निरन्तर नारेबाजी करते रहे।

घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने पुनः 11 बजकर 21 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।

12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्नों की कुल 2 सूचनायें प्राप्त हुईं, जो पोषणीय न होने के कारण अग्राह्य की जाती है।

घोर व्यवधान के मध्य ही श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज दिनांक 16-9-2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित मा0 सदस्यों की उनके सम्मुख अंकित सूचनायें स्वीकार की गई जो पढ़ी हुई मानी गई।

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री प्रदीप माथुर	जनपद मथुरा की कतिपय सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री अजय मिश्र 'टेनी'	जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र निघासन के किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3	श्री दलवीर सिंह	जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के कतिपय क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री सुभाष पासी	जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के कतिपय बाढ़ प्रभावित क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने एवं ऊंचाई बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री उमाशंकर	जनपद बलिया के साथ-साथ पूरे पूर्वांचल को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर किसानों को मुआवजा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
6	श्री भगवती प्रसाद	जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में चंडौस पिसावा पर करवन नदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री प्रमोद तिवारी	जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज अन्तर्गत ग्राम राहटीकर एवं ग्राम पूरे नोती इटैला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
8	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत	जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना की तहसील टहरौली में मानक के अनुरूप विकास खंड बनाये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री कमाल युसुफ मलिक	जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र नौगढ़ के अन्तर्गत वर्ष 1965 में मोहाना-लोटन मार्ग के निर्माण के फलस्वरूप कतिपय ग्रामों के काश्तकारों को जमीनों के प्रतिकर का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप	जनपद बहराइच के ग्राम पयागपुर को टाउन एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री रामचन्द्र यादव	जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र, रूदौली के अन्तर्गत लम्बित पड़े मार्गों के निर्माण कार्य को लोक निर्माण विभाग से पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
12	श्री अमर पाल शर्मा	जनपद गाजियाबाद के दिलशाह गार्डन से शहीद नगर न्यू बस अड्डा तक मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के सम्बन्ध में।
13	श्री अनीसुर्रहमान	जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में निर्माणाधीन कांवड़ मार्ग के कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री राजेश त्रिपाठी	जिला पंचायत गोरखपुर के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
15	श्री अमित गौरव यादव	प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लेवल-2 एवं लेवल-3 के चिकित्सकों की, की गई पदोन्नति में पाई गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2013) को सदन के पटल पर रखा।

पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2013) को सदन के पटल पर रखा।

पशुधन मंत्री ने उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2013) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2013) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2013) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2013) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-1 उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जनरल एवं सोशल सेक्टर, 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-2 उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-3 उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-4 उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने एकल सदस्यीय निमेष जांच आयोग की रिपोर्ट को कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा-3 की उपधारा (4) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 2009-10 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा को उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा-30 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

15-प्रमुख सचिव, विधान सभा ने ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-197 के खण्ड (1) के उप खण्ड (ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 के उप नियम (1) के अन्तर्गत सूचित किया कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 21 मार्च, 2013 के उपवेशन में पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 21 मार्च, 2013 को पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 22 मार्च, 2013 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रमुख सचिव, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया कि :-

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 मार्च, 2013 को वापस प्राप्त हो गया।

(2) उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 मार्च, 2013 को वापस प्राप्त हो गया।

प्रमुख सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि-

(1) उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 2013 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 मार्च, 2013 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2013, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 2013 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 मार्च, 2013 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 पर, जिसे दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में सदन की मेज पर रखे जाने से तीन माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त संविधान के अनुच्छेद-197 (1) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 13 मार्च, 2013 के उपवेशन में उसी रूप में पुनः पारित किया जिस रूप में यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को मूलतः पारित किया गया था तथा इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के समक्ष पुनः दिनांक 18 मार्च, 2013 को रखा गया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 मार्च, 2013 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

(4) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012 पर, जिसे दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में सदन की मेज पर रखे जाने से तीन माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त संविधान के अनुच्छेद-197 (1) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 11 मार्च, 2013 के उपवेशन में उसी रूप में पुनः पारित किया जिस रूप में यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को मूलतः पारित किया गया था तथा इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के समक्ष पुनः दिनांक 18 मार्च, 2013 को रखा गया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 मार्च, 2013 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

(5) उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 पर, जिसे दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में सदन की मेज पर रखे जाने से तीन माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त संविधान के अनुच्छेद-197 (1) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 08 मार्च, 2013 के उपवेशन में उसी रूप में पुनः पारित किया जिस रूप में यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को मूलतः पारित किया गया था तथा इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के समक्ष पुनः दिनांक 18 मार्च, 2013 को रखा गया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 मार्च, 2013 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

(6) उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 पर, जिसे दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में सदन की मेज पर रखे जाने से तीन माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त संविधान के अनुच्छेद-197 (1) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 11 मार्च, 2013 के उपवेशन में उसी रूप में पुनः पारित किया जिस रूप में यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को मूलतः पारित किया गया था तथा इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के समक्ष पुनः दिनांक 18 मार्च, 2013 को रखा गया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 मार्च, 2013 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

(7) उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 पर, जिसे दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में सदन की मेज पर रखे जाने से तीन माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त संविधान के अनुच्छेद-197 (1) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 08 मार्च, 2013 के उपवेशन में उसी रूप में पुनः पारित किया जिस रूप में यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को मूलतः पारित किया गया था तथा

इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के समक्ष पुनः दिनांक 18 मार्च, 2013 को रखा गया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 मार्च, 2013 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का नौवां अधिनियम बन गया।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 2013 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 2013 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

(9) उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2013, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 मार्च, 2013 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 मार्च, 2013 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

(10) उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 2013 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 2013 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

(11) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 मार्च, 2013 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 मार्च, 2013 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया।

सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्यों द्वारा नारे लगाये जाते रहने के कारण सदन में लगातार व्यवधान बना रहा।

सभापति, प्राक्कलन समिति ने उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013-2014) का पंचम प्रतिवेदन, जो ग्राम्य विकास विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत किया।

सभापति, प्राक्कलन समिति ने उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013-2014) का षष्टम् प्रतिवेदन, जो राज्य सम्पत्ति विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009-2010, 2010-2011 तथा 2011-2012 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत किया।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 15 सितम्बर, 2013 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 16 सितम्बर, 2013 से दिनांक 20 सितम्बर, 2013 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

<u>सितम्बर, 2013</u>

16 सोमवार — 1-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।

2-असरकारी दिवस आधा दिन दिनांक 20 सितम्बर, 2013 के स्थान पर।

3-अन्य कार्य, यदि कोई हो।

17 मंगलवार — (विश्वकर्मा पूजा का अवकाश) बैठक नहीं होगी।

18 बुधवार — **<u>1-12.20 बजे अपराह्न</u>**

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण।

2-विधायी कार्य।

19 गुरुवार — 1-वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण।

2-विधायी कार्य।

20 शुक्रवार — विधायी कार्य।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।'' प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

इसी मध्य सदन के वेल में खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री उपेन्द्र तिवारी आदि सदस्यगण रिपोर्टर टेबुल पर चढ़कर नारे लगाने लगे। तदुपरान्त कतिपय सदस्यों ने अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने का प्रयास किया जिन्हें विधान सभा रक्षकों ने रोक दिया। ब0स0पा0 के सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर नारे लिखी नीली टोपी लगाकर नारे लगा रहे थे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

घोर व्यवधान के मध्य ही संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित किया।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिशु कल्याण राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिशु कल्याण राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित किया।

पशुधन मंत्री ने उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

पशुधन मंत्री, उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के मध्य ही श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज नियम-56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो अग्राह्य हुईं।

श्री अध्यक्ष ने जनपद मुजफ्फरनगर स्थित गांव कबाल/मलिकपुरा में दिनांक 27-8-2013 को घटित घटना के उपरान्त मुजफ्फरनगर सहित निकटवर्ती जनपदों में हुई

आगजनी एवं हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल, नेता भाजपा, नेता कांग्रेस तथा नेता लोकदल से अपना-अपना स्थान ग्रहण करके बोलने का आग्रह किया। नेता विरोधी दल श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में दंगों के माध्यम से हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द्र को तार-तार किया जा रहा है। उन्होंने श्री अध्यक्ष से सदन को व्यवस्थित कराने का अनुरोध किया। जिस पर श्री अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया और कहा कि नियम-56 में आपको बोलने का अवसर मिलेगा। आप चर्चा प्रारम्भ करायें। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा फर्जी मुकदमें वापस लिये जाने की मांग पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि अब अगर आप लोग नहीं बोलना चाहते हैं तो मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

श्री अध्यक्ष के अनुरोध पर नेता विरोधी दल ने अपने सदस्यों से शान्ति बनाये रखने का आग्रह किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री प्रमोद तिवारी ने भी चर्चा हेतु सहमति व्यक्त की।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि ये मुकदमा वापस लेना है तो अपनी सीट पर जाकर कहिये। सदन चलने दीजिए। श्री अध्यक्ष के अनुरोध को अनसुनी करते हुए भाजपा के सदस्य फ्लोर पर नारे लगाते रहे।

घोर व्यवधान के मध्य ही श्री सतीश महाना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा प्रारम्भ करने हेतु मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनकी अनुपस्थिति पर चर्चा व्यपगत हुई :-

> ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के महानगरों की उपनगरीय क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये उपनगरीय क्षेत्र के निवासियों को भी मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध करायी जायं।''

श्री सतीश महाना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा प्रारम्भ करने हेतु मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनकी अनुपस्थिति पर चर्चा व्यपगत हुई :-

> ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि शासन की 'हमारी बेटी, उसका कल' योजनान्तर्गत प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) के परिवार की प्रत्येक बालिका को रु0 30,000/- की धनराशि प्रदान की जाय।''

इसी मध्य श्री प्रमोद तिवारी ने मुजफ्फरनगर प्रकरण पर नियम-56 में दी गयी सूचना पर चर्चा कराने की मांग करते हुए भाजपा को दंगे के लिये आक्षेपित किया।

घोर व्यवधान के मध्य ही श्री अखिलेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया जिस पर चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई :-

''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद देवरिया के 1-गोरखपुर-कसया राष्ट्रीय राजमार्ग के हाटा से गौरीबाजार-रूद्रपुर-कपरवार घाट होते हुये बड़हलगंज राष्ट्रीय राजमार्ग तक, 2-कसया राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया-रूद्रपुर-करहकोल होते हुये कौड़ीराम राष्ट्रीय राजमार्ग तक तथा 3-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया रिंग रोड का निर्माण करते हुये-सलेमपुर होते हुये, भागलपुर होते हुये बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग तक को, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करते हुये इसका पुनः निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाय।''

घोर व्यवधान के मध्य ही निम्नलिखित मा0 सदस्यों के संकल्प उनके द्वारा प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यपगत हुए :-

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि धार्मिक, पर्यटन एवं सर्वविद्या की नगरी काशी (वाराणसी) में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।''
श्री सतीश महाना	''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि कानपुर औद्योगिक नगर में मूलभूत अवस्थापना सुविधायें प्राथमिकता पर उपलब्ध करायी जायं।''
डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि बेरोजगार नौजवानों/नवयुवतियों को प्रदेश के भीतर राजकीय सेवाओं हेतु इण्टरव्यू पर आने-जाने हेतु राज्य परिवहन की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाये।''
डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल	''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये औद्योगिकीकरण हेतु विशेष नीति बनायी जाय।''

घोर व्यवधान के मध्य ही प्रदेश में आंगनबाड़ी योजना अन्तर्गत वर्ष 2011-2012 में 2000 करोड़ के ठेके में कुख्यात माफिया कम्पनी द्वारा की गई धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह, श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा', डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री रविन्द्र जायसवाल, श्री जगन प्रसाद गर्ग तथा श्री रवीन्द्र भड़ाना, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, एक घन्टे की चर्चा मा0 सदस्यों के अनुपस्थित होने पर व्यपगत हुई।

नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की भतीजी कु0 ललिता बोस द्वारा दायर रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2013 को पारित आदेशों के अनुपालन में फैजाबाद निवासी रहे गुमनामी बाबा उर्फ भगवनजी के सम्बन्ध में आयोग का गठन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कुँ0 कौशल सिंह, श्री राधेश्याम, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री अनीसुर्रहमान, श्री अखिलेश सिंह, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री अजय कुमार 'लल्लू', डा0 मो0 मुस्लिम, श्री मुख्तार अंसारी, श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया', श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री सुरेश राणा, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 22 मार्च, 2013 को सदन में प्रारम्भ की गयी चर्चा पर श्री अखिलेश सिंह के भाषण से आगे के लिए स्थगित हुई।

घोर व्यवधान के मध्य ही संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ फासिस्ट ताकतें उत्तर प्रदेश को दूसरा गुजरात बनाना चाहती हैं। सरकार ऐसी ताकतों के साथ सख्ती से पेश आयेगी और प्रदेश की कोई बर्बादी नहीं होने देगी।

घोर व्यवधान के मध्य ही आज दिनांक 16-9-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनाएं प्राप्त हुईं। निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1-श्री प्रमोद तिवारी	जनपद प्रतापगढ़ स्थित ट्रांसफार्मरों के रिपेयर/मरम्मत की कार्यशाला की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
2-श्री कलराज मिश्र	जनपद लखनऊ में जल निकासी हेतु सीवर लाइन डालने के कार्य में हो रहे विलम्ब के कारण विकास नगर, इन्दिरा नगर, शिवाजीपुरम्, सुरेन्द्र नगर, इस्माईलगंज में मार्गों का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3-श्री बंशी सिंह पहाड़िया	मेसर्स साईं फायर एप्लाईंसेस प्रा0लि0 बी-21 से0-10 नोएडा से अम्बेडकर अस्पताल में अग्निशमन कार्य हेतु टेण्डर दिलाये जाने के सम्बन्ध में की गई धोखाधड़ी की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
4-श्री अनुग्रह नारायण सिंह	जनपद इलाहाबाद में राष्ट्रीय नदी गंगा यमुना के भीषण बाढ़ से पीड़ित लोगों को प्रतिपूर्ति एवं राहत एस0टी0पी0 रिंग बांध टूटने की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :-

1-श्री दलवीर सिंह	जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के एन0एच0-91 से कन्दौली, जगतपुर आदि गांवों से होते हुए बसई जाने वाला सम्पर्क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2-श्री सुरेश कुमार खन्ना	जनपद शाहजहांपुर की सदर तहसील में कम्बोज जाति के सिक्खों को ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण-पत्र न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3-श्री भगवती प्रसाद	जनपद-अलीगढ़ विधान सभा क्षेत्र-खैर के कतिपय मार्गों पर सरकारी बस सेवा संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में।
4-श्री प्रदीप माथुर	जनपद मथुरा में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 का कार्य कराये जाने हेतु केन्द्र सरकार को धनराशि तत्काल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव भिजवाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

1-श्री अजय मिश्र 'टेनी'	विधान सभा क्षेत्र निघासन व जिला खीरी में फैले दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2-श्री मनीष असीजा	जनपद फिरोजाबाद की नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत मौ0 हिमांयूपुर के जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनायें अस्वीकृत हुईं।

(सदन के फ्लोर पर खड़े भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लगातार नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

तदुपरान्त सदन का उपवेशन घोर व्यवधान के मध्य ही अपराह्न 12 बजकर 49 मिनट पर बुधवार दिनांक 18 सितम्बर, 2013 के दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

खण्ड–486, अंक–1
सोमवार, 25 भाद्रपद, शक संवत् 1935
(16 सितम्बर, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2013)

(खण्ड 486 में 4 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	1-14
उपस्थित सदस्य	15-20
राष्ट्रीय गीत	21
जनपद मुजफ्फरनगर के गांव कबाल/मलिकपुरा में दिनांक 27 अगस्त, 2013 को घटित घटना को नियम-311 के अन्तर्गत सर्वप्रथम लिए जाने की मांग ...	21-24
प्रश्नोत्तर	24-118
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	118-119
जनपद मथुरा की कतिपय सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119-120
जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र निघासन के किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के कतिपय क्षतिग्रस्त पुलों का पुर्ननिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	121-122
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के कतिपय बाढ़ प्रभावित क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने एवं ऊँचाई बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122
जनपद बलिया के साथ-साथ पूरे पूर्वांचल को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर किसानों को मुआवजा प्रदान कियेजाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122-123
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में चण्डौस पिसावा पर करवन नदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज अन्तर्गत ग्राम राहटीकर एवं ग्राम पूरे नोती इटैला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123-124
जनपद झाँसी के विधान सभा बबीना की तहसील टहरौली में मानक के अनुरूप विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	124

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र नौगढ़ के अन्तर्गत वर्ष 1965 में मोंहाना-लोटन मार्ग के निम्नण के फलस्वरूप कतिपय ग्रामों के काश्तकारों को जमीन के प्रतिकर का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124-125
जनपद बहराइच के ग्राम पयागपुर को टाउन एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत लम्बित पड़े मार्गों के निर्माण कार्य को लोक निर्माण विभाग से पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125-126
जनपद गाजियाबाद के दिलशाह गार्डन से शहीद नगर बस अड्डा तक मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	126
जनपद मुरादाबद के विधान सभा क्षेत्र कांठों निर्माणाधीन कांवड़ मार्ग के कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	126
जिला पंचायत गोरखपुर के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	127
प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लेवल-2 एवं लेवन-3 के चिकित्सकों की पदोन्नति में पाई गई अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	127-128
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2013 ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	128
उत्तर प्रदेश चिकित्सा, परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति की निवारण) अध्यादेश, 2013 ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	128
उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2013 .....(सदन के पटल पर रखा गया)	128
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई (संशोधन) अध्यादेश, 2013 ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	128
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2013..... (सदन के पटल पर रखा गया)	129
उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन), अध्यादेश, 2013 .. (सदन के पटल पर रखा गया)	129

विषय	पृष्ठ-संख्या
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-1 उत्तर प्रदेश सरकार ..... (सदन के पटल पर रखा गया) ...	129
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जनरल एवं सोशल सेक्टर, 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-2 उत्तर प्रदेश सरकार ..... (सदन के पटल पर रखा गया) ...	129
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-3 उत्तर प्रदेश सरकार ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	129
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-4 उत्तर प्रदेश सरकार .....(सदन के पटल पर रखा गया)	130
एकल सदस्यीय निमेष जांच आयोग के रिपोर्ट ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	130
उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 2009-10 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा ..... (सदन के पटल पर रखा गया) ...	130
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 ..... (विधान परिषद् से वापस प्राप्त न होने की सूचना)	130-131
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 ..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	131
उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 ..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	131
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	131
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियॉ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2013 .....(श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	132
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	132
छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	132-133
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	133

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	133
उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 .... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	134
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 .... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	134
उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2013 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	134
उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	134-135
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	135
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013-2014) का पंचम (प्रस्तुत किया गया)	135
उत्तर प्रदेश सोलवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013-2014) का षष्ठम प्रतिवेदन .... (प्रस्तुत किया गया)	135
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	136
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 ..... (पुरःस्थापित) ...	136-137
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 .... (पुरःस्थापित)...	137
उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 ... (पुरःस्थापित)...	137-138
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 .... (पुरःस्थापित) ...	138
उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 ..... (पुरःस्थापित) ...	138-139
उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेंयक, 2013 ..... (पुरःस्थापित) ...	139
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	139-142
प्रदेश के महानगरों की उपनगरीय क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उपनगरीय क्षेत्र के निवासियों को भी मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री सतीश महाना द्वारा दिनांक 15 जनू, 2012 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा .... (व्यपगत) ...	143

विषय	पृष्ठ-संख्या
शासन की 'हमारी बेटी, उसका कल' योजनान्तर्गत प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) के परिवार की प्रत्येक बालिका को रु0 30000.00 की धनराशि प्रदान किये जाने विषयक श्री सतीश महाना द्वारा दि0 22 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा ..... (व्यपगत) ...	143
गोरखपुर कसया राष्ट्रीय राजमार्ग के हाटा से गौरीबाजार रूद्रपुर कपरवार घाट होते हुए बड़हलगंज राष्ट्रीय राजमार्ग तक, कसया राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया रूद्रपुर करहकोल होते हुए कौड़ीराम राष्ट्रीय राजमार्ग तक तथा गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया रिंग रोड का निर्माण करते हुए सलेमपुर होते हुए, भागलपुर होते हए बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग तक को, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करते हुए इसका पुनः निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन ...	143
धार्मिक पर्यटन एवं सर्वविद्या की नगरी काशी (वाराणसी) में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने विषयक श्री श्यामदेव राय चौधरी का संकल्प .... (व्यपगत)	144
कानपुर औद्योगिक नगर में मूलभूत अवस्थापना सुविधायें प्राथमिकता पर उपलबध कराये जाने विषयक श्री सतीश महाना का संकल्प .... (व्यपगत) ...	144
बेरोजगार नौजवानों/नवयुवतियों को प्रदेश के भीतर राजकीय सेवाओं हेतु इण्टरव्यू पर आने जाने हेतु राज्य परिवहन की सुविधा निःशुल्क प्रदान किये जाने विषयक डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी का संकल्प ..... (व्यपगत) ...	144
पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये औद्योगिकीकरण हेतु विशेष नीति बनाये जाने विषयक डा0 राधामोहन दास अग्रवाल ..... (व्यपगत)	144
उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी योजनान्तर्गत वर्ष 2011-2012 में 2000 करोड़ के ठेके में कुख्यात माफिया कम्पनी द्वारा की गयी धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह आदि द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा ..... (व्यपगत)	144
सुभाष चन्द्र बोस की भतीजी कु0 ललिता बोस द्वारा दायर रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दि0 31 जनवरी, 2013 को पारित आदेशों के अनुपालन में फैजाबाद निवासी रहे गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी के सम्बन्ध में आयोग का गठन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कुँ0 कौशल सिंह आदि द्वारा नियम-56 में दी गयी सूचना पर जारी चर्चा का स्थगन	145
मुजफ्फरनगर प्रकरण पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जाना ...	145
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	145-146
नत्थी	147

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
5. अजय, श्री मिश्र टेनी लखीमपुर खीरी
6. अजय, श्री वाराणसी
7. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
8. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
9. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
10. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
11. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
12. अताउररहमान, श्री बरेली
13. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
14. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
15. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
16. अनीसुर्रहमान, श्री मुरादाबाद
17. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
18. अनुप्रिया पटेल, सुश्री वाराणसी
19. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
20. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
21. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
22. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
23. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री आजमगढ़
24. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
25. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
26. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
27. अमित गौरव यादव, श्री एटा
28. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
29. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री बाराबंकी
30. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
31. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
32. अरूण कुमार, डा0 बरेली
33. अरूण कुमार कोरी, श्रीमती कानपुरनगर
34. अलगू प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
35. अली यूसुफ अली, श्री रामपुर
36. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
37. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
38. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री लखीमपुर खीरी
39. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
40. अशफाक अली खां, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
41. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
42. आनन्द सिंह, कुवंर गोण्डा
43. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
44. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
45. आलमबदी, श्री आजमगढ़
46. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
47. आशा किशोर, श्रीमती छत्रपति शाहूजी महराजनगर
48. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
49. आशीष यादव, श्री बदायूं
50. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
51. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
52. इकबाल, श्री बिजनौर
53. इकबाल महमूद, श्री भीमनगर
54. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
55. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
56. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी

57. इन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
58. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
59. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
60. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
61. उदयराज, श्री उन्नाव
62. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
63. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
64. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
65. उमा भारती, सुश्री महोबा
66. उमांशकर, श्री बलिया
67. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
68. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
69. ओम कुमार, श्री बिजनौर
70. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
71. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
72. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
73. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
74. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
75. करतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
76. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
77. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
78. काली चरन सुमन, श्री आगरा
79. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
80. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
81. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
82. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
83. केशव प्रसाद, (कुशवाहा) मौर्य श्री कौशाम्बी
84. कैलाश, श्री गाजीपुर
85. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
86. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
87. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
88. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
89. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
90. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
91. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
92. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराजनगर
93. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
94. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
95. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
96. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
97. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
98. गोमती यादव, श्री लखनऊ
99. गोरख पासवान, श्री बलिया
100. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
101. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
102. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
103. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
104. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
105. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
106. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
107. जगपाल, श्री सहारनपुर
108. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
109. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
110. जफर आलम, श्री अलीगढ़
111. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
112. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
113. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
114. जय प्रकाश, श्री गोरखपुर
115. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
116. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
117. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
118. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
119. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया

120. जीतेन्द्र कुमार श्री उर्फ नन्दू चौधरी, बस्ती
121. ज्योतसना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
122. तसलीम, श्री बिजनौर
123. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
124. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
125. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
126. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
127. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
128. दलजीत सिंह, श्री बांदा
129. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
130. दिलवाज खान, श्री बुलन्दशहर
131. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
132. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
133. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
134. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
135. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
136. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
137. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
138. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
139. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
140. धर्मराज, श्री बाराबंकी
141. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
142. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशीलनगर
143. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
144. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
145. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
146. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रूखाबाद
147. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
148. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
149. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
150. नारद राय, श्री बलिया
151. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
152. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
153. नीरज (कुशवाहा) मौर्य,श्री शाहजहांपुर
154. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
155. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
156. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
157. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
158. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
159. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
160. पीतमराम, श्री पीलीभीत
161. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
162. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
163. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
164. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
165. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
166. प्रदीप कुमार, श्री औरैया
167. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
168. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
169. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
170. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
171. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
172. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
173. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
174. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
175. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
176. फेरन लाल, श्री ललितपुर

177. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
178. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
179. बदलू खां, श्री उन्नाव
180. बब्बन, श्री चन्दौली
181. बाबू खां, श्री हरदोई
182. बाबूलाल, श्री गोण्डा
183. बावन सिंह, श्री गोण्डा
184. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
185. बृज लाल सोनकर, श्री आजगगढ़
186. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
187. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
188. बेचई सरोज, श्री आजगगढ़
189. बैजनाथ, श्री मऊ
190. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
191. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
192. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
193. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
194. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
195. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
196. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
197. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
198. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
199. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
200. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
201. मनबोध, श्री देवरिया
202. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
203. मनीष रावत, श्री सीतापुर
204. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
205. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
206. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
207. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
208. महबूद अली, श्री जे0 पी0 नगर
209. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
210. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
211. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
212. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
213. महेश शर्मा, डा0 गौतमबुद्ध नगर
214. माइकल चन्द्रा, श्री जे0 पी0 नगर
215. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
216. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
217. मानपाल सिंह, श्री कांशीरामनगर
218. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
219. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
220. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
221. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
222. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
223. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
224. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री कानपुर नगर
225. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
226. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
227. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
228. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
229. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
230. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
231. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
232. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महराजनगर
233. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
234. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
235. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
236. मो0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
237. मो0 इरफान, श्री मुरादाबाद
238. मोहम्मद यूसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद

239. यासर शाह, श्री बहराइच
240. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
241. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
242. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया' श्री गोण्डा
243. रघुनन्दन सिंह भदौरया, श्री कानपुर नगर
244. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
245. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
246. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
247. रणजीत सुमन, श्री एटा
248. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
249. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
250. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
251. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
252. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
253. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
254. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
255. रवि शर्मा, श्री झांसी
256. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
257. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
258. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
259. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
260. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
261. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
262. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
263. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
264. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
265. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
266. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
267. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
268. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
269. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
270. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
271. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
272. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
273. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
274. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
275. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
276. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
277. राधे श्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
278. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
279. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
280. राम करन आर्य, श्री बस्ती
281. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
282. रामगोपाल श्री बाराबंकी
283. राम गोविन्द, श्री बलिया
284. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
285. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
286. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
287. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
288. राम प्रसाद चौधरी,श्री बस्ती
289. राम मगन, श्री बाराबंकी
290. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
291. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
292. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
293. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
294. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
295. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
296. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
297. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर

298. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
299. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
300. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
301. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
302. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
303. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
304. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीरनगर
305. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
306. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
307. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
308. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
309. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
310. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
311. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
312. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
313. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
314. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
315. विजय पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
316. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
317. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
318. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
319. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
320. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
321. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
322. विजय सिंह, श्री रामपुर
323. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रूखाबाद
324. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
325. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
326. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
327. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
328. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
329. वीरपाल, श्री बागपत
330. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
331. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
332. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
333. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
334. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
335. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
336. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
337. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
338. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
339. शकिर अली, श्री देवरिया
340. शारदा प्रताप शुक्ला,श्री लखनऊ
341. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
342. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
343. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
344. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
345. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
346. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
347. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
348. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
349. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
350. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
351. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
352. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
353. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
354. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
355. श्री भगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर

356. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
357. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
358. संजय कपूर, श्री रामपुर
359. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
360. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
361. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
362. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
363. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
364. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
365. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
366. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले),श्री मेरठ
367. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
368. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
369. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
370. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
371. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
372. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
373. सावित्री बाई फूले,सुश्री बहराइच
374. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायू
375. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
376. सियाराम सागर, डा0 बरेली
377. सीमा, श्रीमती जौनपुर
378. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
379. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
380. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
381. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
382. सुधाकर, श्री मऊ
383. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
384. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
385. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
386. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
387. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
388. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
389. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
390. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
391. सुरेश कुमार खन्ना,श्री शाहजहांपुर
392. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
393. सुल्तान बेग, श्री बरेली
394. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
395. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
396. सैय्यद कासिम हसन,श्री फतेहपुर
397. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
398. सोबरन सिंह यादव,श्री मैनपुरी
399. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
400. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
401. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
402. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
403. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
404. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

महामहिम राज्यपाल
श्री बी0 एल0 जोशी
मंत्रि-परिषद्

क्रम	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त एवं संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन (व्यापार कर), न्याय एवं विधायी, नियोजन, अर्थ एवं संख्या, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, आबकारी एवं मद्यनिषेध, ऊर्जा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, औद्योगिक विकास, वन एवं जन्तु उद्यान, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर भूमि, गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, मत्स्य, माध्यमिक शिक्षा, मनोरंजन कर, उच्च शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष, अवस्थापना, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, राजनैतिक पेंशन, भाषा, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन, वाह्य सहायतित परियोजना तथा समग्र ग्राम विकास।
2	श्री मो0 आजम खां	संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्प संख्यक कल्याण एवं हज।
3	श्री शिवपाल सिंह यादव	लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण सहकारिता विभाग, भूमि विकास एवं जल संसाधन तथा परती भूमि विकास, राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन।
4	श्री अहमद हसन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण।

5	श्री डा0 वकार अहमद शाह	श्रम एवं सेवायोजन
6	श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन, नागरिक सुरक्षा
7	श्री आनन्द सिंह	कृषि (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर) कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, धर्मार्थ कार्य।
8	श्री अम्बिका चौधरी	पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण
9	श्री बलराम यादव	पंचायती राज
10	श्री अवधेश प्रसाद	समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण।
11	श्री ओम प्रकाश सिंह	पर्यटन
12	श्री पारस नाथ यादव	उद्यान
13	श्री राम गोविन्द चौधरी	बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा
14	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	परिवहन
15	श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी	होमगार्डस, प्रांतीय रक्षक दल, व्यावसायिक शिक्षा
16	श्री राजकिशोर सिंह	लघु सिंचाइ तथा पशुधन
17	श्री शिव कुमार बेरिया	वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग
18	श्री राजेन्द्र चौधरी	कारागार, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियन्त्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बांट माप।
19	श्री नारद राय	खेलकूद एवं युवा कल्याण
20	श्री कैलाश	खादी एवं ग्रामोद्योग
21	श्री राममूर्ति वर्मा	दुग्ध विकास

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्रम	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री राजेन्द्र सिंह राणा	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
2	श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप	ग्राम्य विकास
3	श्री भगवत शरण गंगवार	लघु उद्योग
4	श्रीमती अरूण कुमारी कोरी	महिला कल्याण, संस्कृति
5	श्री विजय कुमार मिश्र	अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत
6	श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति	भूतत्व एवं खनिकर्म

राज्य मंत्री

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	श्री इकबाल महमूद	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण
2	श्री महबूब अली	परिवहन
3	श्री शाहिद मंजूर	श्रम, सेवायोजन
4	श्री रियाज अहमद	खादी एवं ग्रामोद्योग
5	श्री फरीद महफूज किदवई	नियोजन
6	श्री वसीम अहमद	बाल विकास, पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा
7	श्री नरेन्द्र सिंह यादव	होमगार्ड्स, प्रांतीय रक्षक दल व व्यावसायिक शिक्षा
8	डा0 शिव प्रताप यादव	जन्तु उद्यान
9	श्री मूल चन्द्र चौहान	पर्यटन
10	श्री राजीव कुमार सिंह	कृषि (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर) कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान व धर्मार्थ कार्य
11	श्री अभिषेक मिश्रा	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
12	श्री नरेन्द्र वर्मा	समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण व सैनिक कल्याण
13	श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल	लोक निर्माण एवं सिंचाई
14	श्री चितरंजन स्वरूप	संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति व नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज
15	श्री मानपाल सिंह	परिवहन मंत्री
16	श्री कमाल अख्तर	पंचायती राज
17	श्री शंखलाल मांझी	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण।
18	श्री कैलाश चौरसिया	बाल विकास एवं पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा
19	श्री रामपाल राजवंशी	कारागार
20	श्री मनोज पारस	स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन व नागरिक सुरक्षा
21	श्री रामकरन आर्य	वाह्य सहायतित परियोजना, ग्रामीण समग्र विकास, खेलकूद व युवा कल्याण
22	श्री जगदीश सोनकर	भूमि विकास, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास
23	श्री राममूर्ति सिंह वर्मा	पिछड़ा वर्ग कल्याण
24	श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह	माध्यमिक शिक्षा
25	श्री विजय बहादुर पाल	माध्यमिक शिक्षा

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
26	श्री आलोक कुमार शाक्य	प्राविधिक शिक्षा
27	श्री राम सकल गूजर	कार्यक्रम कार्यान्वयन
28	श्री मनोज कुमार पाण्डेंय	कृषि (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर) कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान तथा धर्मार्थ कार्य
29	श्री नितिन अग्रवाल	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
30	श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'	बेसिक शिक्षा
31	श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय	मनोरंजन कर

नेता विरोधी दल

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष
श्री माता प्रसाद पाण्डेय

उपाध्यक्ष
रिक्त

प्रमुख सचिव
श्री प्रदीप कुमार दुबे

अधिष्ठाता मण्डल (2012-2013)

1-श्री मित्रसेन यादव, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद)

2-श्री मदन चौहान, सदस्य, विधान सभा (गाजियाबाद)

3-श्री अनूप सण्डा, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर)

4-श्री आरिफ अनवर हाशमी, सदस्य, विधान सभा (बलरामपुर)

5-श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा (बलिया)

6-प्रो0 शिवाकान्त ओझा, सदस्य, विधान सभा (प्रतापगढ़)

7-डा0 धर्म सिंह सैनी, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर)

8-श्रीमती हेमलता चौधरी, सदस्य, विधान सभा (बागपत)

9-श्री सुरेश कुमार खन्ना, सदस्य, विधान सभा (शाहजहांपुर)

10-श्री अनुग्रह नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2013

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-361

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
5. अजय मिश्र, 'टेनी', श्री लखीमपुर खीरी
6. अजय कपूर, श्री कानपुरनगर
7. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
8. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
9. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
10. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
11. अताउररहमान, श्री बरेली
12. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
14. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
15. अनीसुर्रहमान, श्री मुरादाबाद
16. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
17. अनुप्रिया पटेल, सुश्री वाराणसी
18. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
19. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
20. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
21. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
22. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री आजमगढ़
23. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
24. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
25. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
26. अमित गौरव यादव, श्री एटा
27. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
28. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
29. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
30. अरूण कुमार, डा0 बरेली
31. अरूण कुमार कोरी, श्रीमती कानपुरनगर
32. अलगू प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
33. अली यूसुफ अली, श्री रामपुर
34. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
35. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री लखीमपुर खीरी
36. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
37. अशफाक अली खां, श्री ज्योतिबाफूले नगर
38. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
39. आनन्द सिंह, कुवंर गोण्डा
40. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
41. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
42. आलमबदी, श्री आजमगढ़
43. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
44. आशा किशोर, श्रीमती छत्रपति शाहूजी महराजनगर
45. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
46. आशीष यादव, श्री बदायूं
47. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
48. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
49. इकबाल, श्री बिजनौर
50. इकबाल महमूद, श्री भीमनगर
51. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
52. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर

53. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
54. इन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
55. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
56. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
57. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
58. उदयराज, श्री उन्नाव
59. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
60. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
61. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
62. उमांशकर, श्री बलिया
63. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
64. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
65. ओम कुमार, श्री बिजनौर
66. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
67. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
68. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
69. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
70. कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
71. करतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
72. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
73. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
74. काली चरन सुमन, श्री आगरा
75. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
76. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
77. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
78. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
79. केशव प्रसाद, (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
80. कैलाश, श्री गाजीपुर
81. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
82. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
83. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
84. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
85. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
86. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
87. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
88. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराजनगर
89. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
90. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
91. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
92. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
93. गोमती यादव, श्री लखनऊ
94. गोरख पासवान, श्री बलिया
95. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
96. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
97. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
98. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
99. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
100. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
101. जगपाल, श्री सहारनपुर
102. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
103. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
104. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
105. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
106. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
107. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
108. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
109. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
110. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
111. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
112. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
113. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
114. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
115. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
116. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
117. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
118. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन

119. दलजीत सिंह, श्री बांदा
120. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
121. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
122. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
123. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
124. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
125. देवनरायन उर्फ जी0एम.सिंह, श्री महराजगंज
126. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
127. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
128. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
129. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
130. धर्मराज, श्री बाराबंकी
131. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
132. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशीलनगर
133. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
134. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
135. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रूखाबाद
136. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
137. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
138. नारद राय, श्री बलिया
139. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
140. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
141. नीरज (कुशवाहा) मौर्य,श्री शाहजहांपुर
142. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
143. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
144. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
145. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
146. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
147. पीतमराम, श्री पीलीभीत
148. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
149. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
150. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
151. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
152. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
153. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
154. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
155. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
156. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
157. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
158. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
159. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
160. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
161. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
162. फेरन लाल, श्री ललितपुर
163. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
164. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
165. बदलू खां, श्री उन्नाव
166. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
167. बाबू खां, श्री हरदोई
168. बाबूलाल, श्री गोण्डा
169. बावन सिंह, श्री गोण्डा
170. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
171. बृज लाल सोनकर, श्री आजगगढ़
172. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
173. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
174. बेचई सरोज, श्री आजगगढ़
175. बैजनाथ, श्री मऊ
176. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
177. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
178. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
179. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
180. भीम प्रसाद सोनकर,श्री अम्बेडकर नगर
181. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
182. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
183. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
184. मधुबाला, श्रीमती सन्तरविदास नगर (भदोही)

185. मनबोध, श्री देवरिया
186. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
187. मनीष रावत, श्री सीतापुर
188. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
189. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
190. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
191. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
192. महबूद अली, श्री जे0पी0 नगर
193. महावीर सिंह कुं0 हरदोई
194. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
195. महेश शर्मा, डा0 गौतमबुद्धनगर
196. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
197. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
198. मानपाल सिंह, श्री कांशीराम नगर
199. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
200. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
201. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
202. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
203. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
204. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
205. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
206. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
207. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
208. मो0 आसिफ जाफरी, सी0ए0 कौशाम्बी
209. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
210. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महराजनगर
211. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
212. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
213. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
214. मो0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
215. मो0 इरफान, श्री मुरादाबाद
216. मोहम्मद यूसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
217. यासर शाह, श्री बहराइच
218. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
219. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
220. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया' श्री गोण्डा
221. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
222. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
223. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
224. रणजीत सुमन, श्री एटा
225. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
226. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
227. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
228. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
229. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
230. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
231. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
232. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
233. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
234. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
235. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
236. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
237. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
238. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
239. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
240. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
241. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
242. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
243. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
244. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
245. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
246. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
247. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
248. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
249. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
250. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
251. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर

252. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
253. राधे श्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराजनगर
254. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
255. राम करन आर्य, श्री बस्ती
256. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
257. रामगोपाल श्री बाराबंकी
258. राम गोविन्द, श्री बलिया
259. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
260. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
261. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
262. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
263. राम प्रसाद चौधरी,श्री बस्ती
264. राम मगन, श्री बाराबंकी
265. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
266. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
267. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
268. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
269. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
270. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
271. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
272. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
273. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
274. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
275. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
276. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
277. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीरनगर
278. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
279. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
280. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
281. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
282. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
283. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
284. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
285. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
286. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
287. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
288. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
289. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
290. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
291. विजय सिंह, श्री रामपुर
292. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रूखाबाद
293. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
294. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
295. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
296. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
297. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
298. वीरपाल राठी, श्री बागपत
299. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
300. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
301. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्धनगर
302. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
303. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
304. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
305. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
306. शकिर अली, श्री देवरिया
307. शारदा प्रताप शुक्ला,श्री लखनऊ
308. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
309. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
310. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाईनगर
311. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
312. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
313. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
314. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज

315. शैलेन्द्र यादव "ललई",श्री जौनपुर
316. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
317. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
318. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
319. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
320. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
321. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
322. संजय कपूर, श्री रामपुर
323. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
324. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
325. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी,श्री जौनपुर
326. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
327. सतीश कुमार निगम "एडवोकेट", श्री कानपुर नगर
328. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
329. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
330. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
331. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
332. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
333. सिबगतुल्ला अंसारी,श्री गाजीपुर
334. सियाराम सागर, डा0 बरेली
335. सीमा, श्रीमती जौनपुर
336. सुखदेव प्रसाद वर्मा,श्री फतेहपुर
337. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
338. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
339. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
340. सुधाकर, श्री मऊ
341. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
342. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
343. सुनील कुमार लाला,श्री लखीमपुर खीरी
344. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
345. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
346. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
347. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
348. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
349. सुरेश कुमार खन्ना,श्री शाहजहांपुर
350. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
351. सुल्तान बेग, श्री बरेली
352. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
353. सैय्यद कासिम हसन,श्री फतेहपुर
354. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
355. सोबरन सिंह यादव,श्री मैनपुरी
356. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
357. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
358. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
359. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
360. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
361. हेमलता चौधरी,श्रीमती बागपत

नोट :- मुख्यमंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), कारागार, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बांट माप मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री (श्री रामसकल गुर्जर) भी सदन में उपस्थित थे।

राष्ट्रीय गीत

श्री अध्यक्ष-

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।।

मातरम। वन्देमातरम।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग आसन ग्रहण करें।

[11.01 बजे] जनपद मुजफ्फरनगर के गांव कबाल/मलिकपुरा में दिनांक 27 अगस्त, 2013 को घटित घटना को नियम-311 के अन्तर्गत सर्वप्रथम लिए जाने की मांग

(वन्दे मातरम् के उपरान्त भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, पीस पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के अनेक मा0 सदस्य ''असफलता सरकार की, दोषारोपण पंचायतों पर, अखिलेश-मुलायम जी होश में आओ, हिन्दुओं पर अत्याचार बंद कराओ, बलात्कारियों का संरक्षण बंद करो, बंद करो, महापंचायतों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, वी0एच.पी0 स0पा0 की पहले दावत, कोसी परिक्रमा पर बाद में अदावत, लूट, डकैती, हत्या की भरमार, यही है स0पा0 सरकार, साम्प्रदायिकता की आग में जलता प्रदेश, झुनझुना बजा रहे, अखिलेश, दंगा राज व जंगल राज, इसी को कहते हैं। स0पा0 राज, गुण्डे-माफिया मस्त है, प्रदेश की जनता त्रस्त है, सारी व्यवस्था हो गयी ढेर, अखिलेश सरकार हो गयी फेल, अपहरण, डकैती, बलात्कार, स0पा0 का देखो जंगलराज, स0पा0-भा0ज0पा0 का कुश्ती नूरा, जनता की गर्दन पर चलता छूरा, यू0पी0 बन गया दंगा प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री हैं अखिलेश, स0पा0, भा0ज0पा0 का देखो पंगा, पूरे प्रदेश में दंगा-दंगा, निर्दोष लोगों पर दर्ज मुकदमें वापस लो तथा हाईकोर्ट का बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाओ'' आदि नारे लिखे बैनर व टोपी पहने हुए सदन की वेल में आ गये।

वेल में आये हुए अनेक माननीय सदस्य साम्प्रदायिक हिंसा रोक न सके वह सरकार निकम्मी है, साम्प्रदायिक दंगों का कौन जिम्मेदार, स0पा0 सरकार, स0पा0 सरकार, लाशों की राजनीति बंद करो, लूट डकैती हत्या की भरमार, यही है स0पा0 सरकार आदि के नारे लगाने लगे।

इसी मध्य डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया रिपोर्टर्स की चेयर पर चढ़ गये तथा वेल में आये हुए कुछ माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान/शोर व्याप्त हो गया।)

(घोर व्यवधान/शोर के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप लोग अपने-अपने आसन पर चलिये। बाजपेयी जी पीछे चलिये, अपनी सीट पर जाकर अपनी बात कहिये। मेरा आग्रह है कि जो कहना है अपनी सीटों पर जाकर कहें, आपकी बात सुनी जायेगी। बाजपेयी जी अपनी सीट पर चलकर अपनी बात कहिये, चेयर से उतरिये, यह अच्छी बात नहीं है।

(वेल से)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

यह सरकार के द्वारा प्रायोजित दंगा है, पूरी मशीनरी फेल हो गयी है और सरकार के इशारे पर दंगा हुआ है, सरकार ने दंगा रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। यह जो जस्टिस विष्णु सहाय आयोग गठित किया गया है.....

(घोर व्यवधान जारी)

श्री सतीश महाना-

यह दंगा सरकार के इशारे पर हुआ है और उसके द्वारा प्रायोजित है। यह निकम्मी सरकार है और तुष्टीकरण की नीति अपना रही है।

श्री अध्यक्ष-

मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप लोग अपने-अपने सीटों पर चलिये और वहीं से अपनी बात कहिये, सबकी बात सुनी जायेगी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास, मुस्लिम वक्फ, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल से यही पहचान लेने के लिये काफी है कि उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों को भड़काने और प्रदेश को यहाँ तक लाने में जिन लोगों का सहयोग है, वह यही लोग हैं। प्रदेश को जहाँ पहुँचाया है, वह यही लोग हैं, ...

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपनी सीटों पर जायें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(वेल में उपस्थित सदस्य बलात्कारियों का संरक्षण बन्द करो, महापंचायतों का उत्पीड़न बंद करो, अखिलेश मुलायम होश में आओ, हिन्दुओं पर अत्याचार बंद करो आदि नारे लगाते रहे।)

(व्यवधान के दौरान भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अनेक सदस्य साम्प्रदायिक दंगों का कौन जिम्मेदार है? सपा सरकार-सपा सरकार, ब्याज सहित पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान करो, बलात्कारियों का संरक्षण बन्द करो, महापंचायतों का उत्पीड़न बन्द करो लिखे हुए बैनर लहराते रहे।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

इन्होंने ही उत्तर प्रदेश में सुनियोजित ढंग से आग लगाई है। साम्प्रदायिक दंगे भड़काए हैं और प्रदेश का माहौल खराब किया है। इसे समझ लेने में हमें कोई देर नहीं होना चाहिए यही राजनैतिक दल है और यही लोग हैं। यही भारतीय जनता पार्टी, यही विचारधारा अलगाववादी सोच, फासिस्ट ताकतें.....

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर जाएं। माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर जाकर अपनी बात कहें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

एक बार फिर बहुत बुरे हालात से गुजारने का षडयंत्र किया है।

(सदन के फ्लोर पर खड़े भाजपा के सदस्य तथा बसपा के सदस्य अपनी सीटों से लगातार नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

श्री अध्यक्ष-

मैं 15 मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 04 मिनट पर सदन की कार्यवाही पन्द्रह मिनट के लिए स्थगित कर दी)

11 बजकर 19 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

(सदन के वेल में उपस्थित विपक्ष के माननीय सदस्यगण खड़े होकर नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि जो कुछ कहना है अपने-अपने स्थान पर चलकर कहें।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य अनेक माननीय सदस्य बैनर लहराते रहे और नारे लगाते रहे।)

माननीय सदस्यगण आपने नियम-56 में इस सारे प्रकरण के बारे में दिया है। नियम-56 में यह बातें सुनी जायेंगीं, जब नियम-56 का समय आये तो आप अपनी अपनी बात कहिये। इस तरह से चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, बैठिये।

(माननीय सदस्यों द्वारा नारे लगाये जाते रहने पर घोर व्यवधान)

माननीय सदस्यगण मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर चलें। आपने इस घटना को नियम-56 में दे रखा है और जब यह सुनने के लिये तैयार है और इस पर चर्चा की बात हो रही है तो फिर क्यों इस तरह से कर रहे हैं ? आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर जायें। माननीय मौर्या जी, अपने सदस्यों को कहिये कि अपनी सीटों पर जायें। चलिये, आप लोग अपनी अपनी सीटों पर चलिये।

(भाजपा के सदस्यों द्वारा लगातार सपा, बसपा कॉग्रेस विरोधी नारे लगाये जाते रहे।)

माननीय सदस्यगण मेरा आपसे यह आग्रह है कि आपको जो कुछ कहना है अपनी-अपनी सीटों पर जाकर कहिये। आपने सारी घटना का उल्लेख नियम-56 में किया है। नियम-56 का टाइम आने दीजिये उसमें आपकी बात सुनी जायेगी।

(माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वेल में खड़े होकर नारे लगाये जाते रहने व बैनर दिखाये जाते रहने के कारण घोर व्यवधान)

मैं 12.20 बजे तक के लिये सदन को स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 21 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी)

प्रश्नोत्तर

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश की मुख्य नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की कार्य योजना

*1- डा0 धर्मपाल सिंह तथा श्री धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की मुख्य नदियों गंगा एवं यमुना को प्रदूषण मुक्त करने की कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्प संख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

कृपया प्रश्नोत्तर का उत्तर भाग इंगित स्थान पर छापें। उत्तर भाग पीछे है।

जी हां।

गंगा नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत ''गंगा कार्य योजना'' (प्रथम चरण) में कुल 06 नगरों में 106 योजनाएं क्रियान्वित की गयी तथा ''गंगा कार्य योजना'' (द्वितीय चरण) में कुल 23 नगरों की 213 योजनाओं में से 203 योजनाओं के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। शेष 10 योजनाओं का क्रियान्वयन जारी है।

वर्तमान में एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 05 नगरों में 07 परियोजनाएं निर्माणाधीन है तथा गंगा व सहायक नदियों के किनारे बसे नगरों की योजनाएं विरचित की जा रही है। इसके साथ-साथ जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य नगरों में प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं बनायी जा रही हैं। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा नेशनल क्लीन गंगा, 2020 संचालित है।

---

* नोटः- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित मानें गये।

यमुना नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत ''यमुना कार्य योजना'' (प्रथम चरण) में 08 नगरों में 145 योजनाएं क्रियान्वित की गयी तथा द्वितीय चरण में कुल 06 योजनायें स्वीकृत की गयी हैं जिनमें से 05 योजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष एक योजना निर्माणाधीन है।

यमुना नदी प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक अवशेष कार्यों के लिए यमुना नदी के किनारे स्थित 08 नगरों में से 07 नगरों के लिये योजनायें विरचित की गयी हैं जो स्वीकृत होने की प्रक्रिया में हैं। इसके साथ-साथ जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत यमुना के किनारे बसे नगरों की योजनाएं संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजीव गांधी आवास योजना अन्तर्गत शहरी मलिन बस्तियों के लोगों हेतु कार्य योजना

*2-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या नगरीय रोजगार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजीव गांधी आवास योजना के अन्तर्गत शहरी मलिन बस्तियों में रहने वालों के लिये कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ। राजीव आवास योजना का मूल उद्देश्य शहरों को स्लम मुक्त किया सेवायें उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित किया जाना है, जिसके अन्तर्गत स्लम निवासियों को बुनियादी सुविधायें और सामाजिक है। इस योजना के अन्तर्गत अद्यतन 21 शहरों यथा-कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, गाजियाबाद, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, गोरखपुर, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, मथुरा, शाहजहांपुर, रामपुर, इटावा, कन्नौज एवं रायबरेली को चयनित किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के जनपदों में सार्वजनिक सुख-सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*3-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश के जे0एन0एन0 यू0आर0एम0 संचालित जनपदों में सार्वजनिक सुख सुविधाओं जैसे सड़क, पार्किंग स्थल, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, नालों के निर्माण आदि के सम्बन्ध में डी0पी0आर0 तैयार करके अतिशीघ्र केन्द्र सरकार को भेजने सम्बन्धी निर्देश दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इलाहाबाद जनपद में उपरोक्त मदों का डी0पी0आर0 तैयार हो गया है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम की मिशन अवधि मूलरूप में मार्च, 2012 तक निर्धारित थी, जिसे मार्च, 2014 तक बढ़ा दिया गया है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के प्रथम चरण की बढ़ी हुई अवधि में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम के यूआईजी एवं यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्शों में नई परियोजनाओं पर विचार किये जाने की सहमति दी गई है।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श की कुल 10 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 14-06-2013 को राज्य स्तरीय संचालन समिति (एस0एल0एस0सी0) की बैठक में प्रस्तुत की गयी थी, जिसे समिति द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। इसी प्रकार यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श में कुल 22 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गयी है, जिनमें से 17 परियोजनाओं को एस0एल0एस0सी0 की उक्त बैठक में अनुमोदित किया गया है तथा इनमें से पांच परियोजनाओं की स्वींकृति भारत सरकार से हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद नगर की ड्रेनेज परियोजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

वर्ष 2010 में स्टार्म वाटर ड्रेनेज परियोजना अनुमानित लागत रु0 499.84 करोड़ भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था, परन्तु उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित परिव्यय (एलोकेशन) समाप्त हो जाने के कारण भारत सरकार द्वारा उक्त परियोजना स्वीकृत नहीं की गयी है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के विस्तारित चरण में स्वीकृति हेतु इलाहाबाद का स्टार्म वाटर ड्रेनेज का डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध को रोकने हेतु कार्य योजना

*4-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिये कोई व्यावहारिक प्रभावी तथा कारगर नीति बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

प्रदेश में अपराधों को रोकने के लिए लागू किये गये कारगर उपायों के कारण अपराध नियंत्रण में है तथा अपराधों में कमी आयी है। इसके अतिरिक्त जघन्य अपराधों की रोकथाम हेतु उक्त अभियोगों में संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा ऐक्ट, गैंगस्टर ऐक्ट तथा एन0एस0ए0 के तहत कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के निर्देश दिये गये हैं।

अपराधों के रोकथाम हेतु हीनियस क्राइम मानेटरिंग सिस्टम का साफ्टवेयर तैयार कराया गया है, जिसमें उक्त अपराधों का विवरण आनलाइन उपलब्ध है। महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग मुख्यालय में महिला सहायता प्रकोष्ठ मुख्यालय स्थापित किया गया है। जनपदीय पुलिस अधीक्षक के अधीन सभी जनपदों में महिला थाना की स्थापना की गयी है।

प्रदेश के थानों पर गठित स्पेशल युनिट के नामित जुवेनाइल आफीसर जो उप निरीक्षक स्तर के है कि नियुक्ति की गयी है जिनके द्वारा बाल एवं हिंसा की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 24 जनपदों में एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया है जो वर्तमान में क्रियाशील है। प्रदेश सरकार द्वारा हेल्प लाइन नम्बर 1090 की शुरूआत की गयी है जिस पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। सभी जनपदों में कन्ट्रोल रूम पर अवस्थित फोन नम्बर भी महिला हेल्प लाइन के रूप में कार्य कर रहें हैं।

इसके अतिरिक्त मा0 मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव, गृह तथा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के स्तर पर भी समय-समय पर अपराध नियंत्रण हेतु समीक्षा बैठकें की जाती हैं। बैठकों में लिये गये निर्णय के अनुसार आवश्यक दिशा निर्देश भी समय-समय पर निर्गत किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में घटते भू-जल स्तर की रोकथाम के उपाय

*5-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में घटते भू-जल स्तर के दृष्टिगत भू-गर्भ जल की अपेक्षा सतही जल को पीने के पानी हेतु नागरिकों को उपलब्ध कराये जाने का विचार सरकार की प्राथमिकता पर है ? यदि हां, तो इस हेतु क्या कोई कार्य योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

पेयजल के लिये उपलब्धता के आधार पर सतही जल का प्रयोग करना सरकार की प्राथमिकता है।

सतही जल की उपलब्धता के आधार पर प्रदेश के कुछ नगरों, यथा-कानुपर, आगरा, इलाहाबाद, झांसी, लखनऊ, गाजियाबाद आदि नगरों में सतही जल को स्रोत मानकर पेयजल हेतु परियोजनाएं प्रस्तावित एवं निर्मित की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मानक के अनुसार पुलिस बल की तैनाती की मांग

*6-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में जनसंख्या एवं पुलिस बल का अनुपात मानक के अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो सरकार प्रदेश में मानक के अनुसार पुलिस बल की तैनाती/नियुक्ति कब तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

शासनादेश संख्या 4147/6-पु-1-8-120/08 दिनांक 11-12-2008 के द्वारा उ0प्र0 पुलिस की विभिन्न शाखाओं में जनसंख्या के आधार पर मानकीकरण के अनुसार 204021 पद सृजित किये गये हैं।

उक्त पदों पर प्रशिक्षण अवस्थापना को देखते हुये चरणबद्ध रूप से की जा रही है। उक्त स्वीकृत पदों पर चरणबद्ध ढंग से एवं अन्य रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने पर पुलिस बल मानक के अनुरूप उपलब्ध हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

*7-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु कार्य योजना

*8-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल राष्ट्र से जुड़े उ0प्र0 राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाली माओवादी गतिविधियां बढ़ी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, नेपाल राष्ट्र से जुड़े उ0प्र0 राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाली माओवादी गतिविधियों के बढ़ने की कोई सूचना प्रकाश में नहीं आयी है।

उक्त गतिविधियों के नियंत्रण हेतु सीमा की सुरक्षा हेतु सशस्त्र सीमादल नियुक्त है इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा भी सीमावर्ती क्षेत्र में निरन्तर गस्त पेट्रोलिंग आदि की जाती है। समय-समय पर सशस्त्र सीमा बल एवं स्थानीय पुलिस के मध्य बैठकों का आयोजन कर सूचनाओं का आदान-प्रदान एवं आपसी समन्वय स्थापित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

*9-श्रीमती विमला सिंह सोलंकी तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में नगरीय पेयजल हेतु कार्य योजना

*10-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगरीय पेयजल कार्यक्रम (जिला सेक्टर) के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां, वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगरीय पेयजल कार्यक्रम (जिला सेक्टर) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-37 (सामान्य) तथा अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0-अनुसूचित जाति सब प्लान) में बजट व्यवस्था कराई गई है।

नगरीय पेयजल कार्यक्रम (जिला सेक्टर) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-37 (सामान्य) में रुपये 50.00 करोड़ तथा अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति सब प्लान) में रुपये 25.00 करोड़ की सीमित बजट 'व्यवस्था है जिसके सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति समस्त जनपदों के लिये निर्गत की जा चुकी है। नगरीय पेयजल कार्यक्रम (जिला सेक्टर) के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 की कार्य-योजना में 100 नये नलकूपों के अधिष्ठान, 107 नलकूपों के रिबोर, 13088 नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन, 13207 हैण्डपम्पों के रिबोर, 120 स्पेशल रिपेयर कार्य, 536.45 किमी पाइप लाइन कार्य, 23 शिरोपरि जलाशय (नये/मरम्मत) कार्य एवं अन्य विविध कार्य प्रस्तावित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाये जाने की कार्य-योजना

*11-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में बढ़ती जनसंख्या का दुष्प्रभाव वहां की यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के महानगरों में शहरीकरण, विकास व अन्य विविध कारणों से जनसंख्या में प्रायः निरन्तर वृद्धि हो रही है, इसी कारण सड़कों पर विभिन्न प्रकार के वाहनों की संख्या में भी लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। आवागमन के साधनों में निरन्तर वृद्धि होने व सड़कों की चौड़ाई सीमित होने आदि कारणों से महानगरों में कभी-कभी जाम लगना अस्वाभाविक नहीं है। जनसंख्या व वाहनों की संख्या में हो रही लगातार वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश की यातायात व्यवस्था नियंत्रण हेतु यातायात पुलिस बल के नियतन में वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखने हेतु ''आधुनिकीकरण योजना'' व ''उ0प्र0 यातायात प्रबन्धन निधि'' से आवश्यक विभिन्न उपकरणों को क्रय कर पुलिस बल को उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि प्रवर्तन कार्य और प्रभावी हो सके।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में दंगों की रोकथाम हेतु प्रभावी योजना

*12-श्री सुनील कुमार सिंह यादव तथा डा0 मो0 अयूब-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माह मार्च, 2012 से दिनांक 15-08-2013 तक कुल कितने साम्प्रदायिक दंगे हुये तथा उक्त दंगों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार दंगों की रोकथाम हेतु कोई प्रभावी योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

संदर्भित अवधि में दिनांक 01-06-2012 को मथुरा, दिनांक 22-07-2012 को बरेली तथा 24-10-2012 को फैजाबाद में कुल 03 वृहद साम्प्रदायिक दंग हुये हैं। उक्त दंगों में सम्मिलित लोगों के विरुद्ध यथोचित निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है।

प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम के लिये साम्प्रदायिक विवादों/घटनाओं का चिन्हीकरण करते हुये उन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के विषय में शासनादेश दिनांक 16-05-2012 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट एवं सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसमें यह स्पष्ट निर्देश है कि साम्प्रदायिक सद्भाव प्रत्येक दशा में बना रहना चाहिये इसमें किसी भी प्रकार की चूक को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा। प्रत्येक स्तर पर शान्ति समितियों को सक्रिय किये जाने की आवश्यकता है। थाना स्तर पर साम्प्रदायिक तत्वों की सूची अद्यतन करते हुये उनकी गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जानी चाहिये। पुलिस तथा मजिस्ट्रेटों को व्यापक जन सम्पर्क करते हुये अपना अभिसूचना तंत्र विकसित करना चाहिये, जिससे किसी भी अप्रिय घटना के घटित होने के पूर्व ही परिस्थितियों पर नियंत्रण किया जा सके। जुलूस, त्योहार, मेले आदि

के अवसर पर प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था दूरदृष्टि के साथ सुनिश्चित की जाये। यदि फिर भी किसी स्थान पर कोई साम्प्रदायिक घटना घटित होती है तो उसे तत्काल नियंत्रित करते हुये फैलने से रोका जाना चाहिये। यदि परिस्थितियों को तत्काल नियंत्रित करने में अधिकारीगण असफल रहते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। इस बात का ध्यान देना आवश्यक है कि घटना के फलस्वरूप निर्दोष व्यक्तियों को झूठे मुकदमों में न फंसाया जाये। इसी प्रकार दहशतगर्दी की आड़ में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने की प्रवृत्ति पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिये जनपद स्तर पर दंगा नियंत्रण योजनायें बनायी गई हैं, जिसे समय-समय पर अद्यतन करते हुये प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के शहरों में बुजुर्गों की सुरक्षा हेतु उपाय

*13-डा0 अरुण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विशेषकर शहरों/महानगरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की हत्याओं के मामले प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बुजुर्गों की सुरक्षा हेतु कोई पुलिस हेल्पलाइन तथा अन्य ठोस सुरक्षा प्रबन्ध करने का उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में कतिपय जनपदों से बुजुर्गों की हत्या किये जाने के प्रकरण प्रकाश में आये हैं।

उक्त प्रकरण में प्रभावी रूप से रोकथाम हेतु उनके नजदीकी घरेलू नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, किरायेदार एवं कारीगरों आदि के चरित्र सत्यापन कराये जाने एवं सुरक्षा के दृष्टिगत अन्य सहयोग किये जाने के लिये समय-समय पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के समस्त जिला पुलिस प्रमुख/प्रभारियों को दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के न्यायालयों में लम्बित अपराधिक प्रकरणों के अभियोग वापस लेने की सरकार की रीति के सम्बन्ध में जानकारी

*14-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के न्यायालयों में लम्बित विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में आरोपित व्यक्तियों से अभियोग वापस लेने की सरकार कोई स्पष्ट, पारदर्शी एवं सुनिश्चित नीति है ? यदि हां, तो उक्त नीति का पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

अभियोग वापसी की कार्यवाही सी0आर0पी0सी0 की धारा 321 में वर्णित प्राविधानों एवं एल0आर0 मैनुअल के प्रस्तर 19.35-19.37 में स्थापित व्यवस्था तथा समय-समय पर मा0 उच्चतम

न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि निर्णयज सिद्धान्तों के आलोक में प्रकरणों का परीक्षण गुणदोष के आधार पर किया जाता है।

कोई औचित्य नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ के राजाजीपुरम के बुलाकी अड्डे की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

1-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित राजाजीपुरम् क्षेत्र में बुलाकी अड्डा चौराहा से कोठारी बन्धु पार्क को जाने वाली तथा अलितरंग मैरिज हाल के सामने से मीना बेकरी को जाने वाली सड़कें अत्यन्त क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

बुलाकी अड्डा चौराहा से कोठारी बन्धु पार्क को जाने वाली सड़क लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ है तथा अलितरंग मैरिज हाल के सामने से मीना बेकरी को जाने वाली सड़क नगर निगम, लखनऊ के अधीनस्थ है, जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त है।

केवल नगर निगम के अधीनस्थ अलितरंग मैरज हाल के सामने मीना बेकरी को जाने वाली सड़क की मरम्मत का कार्य धन स्वीकृत होने के उपरान्त कराया जायेगा।

समग्र विकास योजना के द्वितीय चरण में नगर निगम के अधीनस्थ आने वाली प्रश्नगत सड़क का पेवर द्वारा निर्माण हेतु रु0 25.75 लाख एवं इंटरलांकिग ब्रिक्स कार्य हेतु रु0 24.70 लाख का व्ययानुमान लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को पत्र संख्या-237/मु0अ0/न0आ0/13, दिनांक 08-05-2013 द्वारा प्रेषित किये गये हैं। योजनान्तर्गत स्वीकृत उपरान्त कार्य सम्पादित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसीलों में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना

2-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की कितनी तहसीलों में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हो गयी है तथा कितनी शेष है ? क्या सरकार शेष तहसीलों में मुंसिफ कोर्ट खुलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान में तहसील लखीमपुर खीरी तथा मुहम्मदी में सिविल जज (जू0डि0) न्यायालय कार्यरत है। तहसील निघासन में सृजित सिविल जज (जू0डि0) न्यायालय को संचालित किये जाने की कार्यवाही

प्रगति पर है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से संशोधित प्रस्ताव संस्तुति सहित प्राप्त होने पर शेष तहसीलों में न्यायालयों में की स्थापना के सम्बन्ध में अग्रतर नियमानुसार कार्यवाही क्रमित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के रसड़ा में मुंसिफ न्यायालय का कार्य प्रारम्भ किये जाने की मांग

3-श्री उमाशंकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रसड़ा जनपद बलिया में आजादी से पूर्व स्थापित मुंसिफ न्यायालय को कतिपय कारणों से वर्ष 1965-66 में जिला मुख्यालय पर स्थानान्तरित कर दिया गया था ? यदि हां, तो मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी मुसिफ न्यायालय बनाये जाने की संस्तुति की गयी तथा 06 अप्रैल, 1998 को मुंसिफ कोर्ट बनकर तैयार भी हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार रसड़ा में मुंसिफ न्यायालय का कार्य प्रारम्भ किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का पूर्ण नियंत्रण होता है। किसी न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत/संस्तुति प्राप्त की जाती है। सम्प्रति प्रश्नगत न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में निर्धारित प्राथमिकता सूची के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्पष्ट अभिमत/संस्तुति प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

4-श्री केशव प्रसाद मौर्य-

[पहले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

5-डा0 अरुण कुमार-

[पहले मंगलवार के अता0प्र0सं0-4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

यमुना एक्सप्रेस-वे में दुर्घटनाओं को रोकने की कार्य-योजना

06-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना एक्सप्रेस-वे यातायात के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया गया है ? क्या सरकार अवगत है कि यमुना एक्सप्रेस-वे पर आये दिन सड़क दुर्घटनायें हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कोई कार्य योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

यदा-कदा दुर्घटनायें होती हैं।

जी हां।

यमुना एक्सप्रेस-वे पर पड़ने वाले जनपदों द्वारा यमुना एक्सप्रेस-वे मार्ग पर सड़क दुर्घटना रोकने के लिये कार्य-योजना के अनुरूप कार्यवाही की जाती है।

यमुना एक्सप्रेस-वे पर जगह-जगह साईन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, बैरियर, बोलार्ड, स्पीड बम्प, ब्लिंकर, सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं स्पीड इन्फोर्समेन्ट सिस्टम लगाया गया है।

जनपद गौतमबुद्धनगर यातायात पुलिस द्वारा यमुना एक्सप्रेस-वे की जीरो प्वाइंट तथा जेवर टोल प्लाजा पर यमुना एक्सप्रेस-वे प्रयोगकर्ताओं को सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक किया जाता है। जैसे निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, सीट बेल्ट का प्रयोग, शराब पीकर वाहन न चलाने, वाहन की टायर की दशा में रखने, वाहन में रिफ्लेक्टर लगाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने एवं आवश्यकता पड़ने पर वाहनों को निर्धारित स्थान पर पार्क किये जाने की कार्यवाही की जाती है। अत्याधुनिक यातायात उपकरणों से सुसज्जित इन्टरसेप्टर वाहन की सहायता से तेज गति से चलने वाले वाहनों तथा मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन चलाने वालों की चेकिंग कर नियमानुसार चालान/शमन की कार्यवाही की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त निर्माणकर्ता एजेन्सी/कंशैसनायर द्वारा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किमी0 शून्य से किमी 165 तक एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किया हुआ है, जिसके अन्तर्गत स्पीड कैम, सीसीटीवी, वीआईडीएस (वीडियों इन्सीडेण्ट डिटेक्टेशन सिस्टम) वीएमएस (वैरियबल मैसेज साइन) आदि स्थापित किये हुए है। इसी के साथ-साथ कंशैसनायर द्वारा कोरिडोर कन्ट्रोल मैनेजमेन्ट सिस्टम भी लागू किया हुआ है, जिसमें रूट पैट्रोलिंग, मोटरसाईकिल, एम्बुलेन्स, पुलिस की तैनाती सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट के निराकरण के उपाय

7-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भीषण गर्मी में पेयजल संकट को देखते हुए क्षेत्रों में पीने के पानी को उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा कोई विशेष योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

वर्ष 2013-14 में सूखा कन्टिन्जेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों के लिए रु0 10146.71 लाख की धनराशि का प्रस्ताव विभिन्न कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम द्वारा तैयार किया गया है। नगरीय पेयजल कार्यक्रम (जिला सेक्टर) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-37 (सामान्य) में रुपए 50.00 करोड़ तथा अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति सब प्लान) में रुपए 25.00 करोड़ की सीमित बजट व्यवस्था है, जिसके सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति समस्त जनपदों के लिए निर्गत की जा चुकी है। नगरीय पेयजल कार्यक्रम (जिला सेक्टर) के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 की कार्य-योजना में 100 नए नलकूपों के अधिष्ठापन, 107 नलकूपों के रिबोर, 13088 नए हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन, 13207 हैण्डपम्पों के रिबोर, 120 स्पेशल रिपेयर कार्य, 536.45 किमी पाइप लाइन कार्य, 23 शिरोपरि जलाशय (नए/मरम्मत) कार्य एवं अन्य विविध कार्य प्रस्तावित किए गए हैं।

जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी एवं यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श तथा राज्य सेक्टर के नगरीय पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भी पेयजल समस्या के निराकरण हेतु विभिन्न नगरों में पेयजल परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ अन्यत्र बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

8-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहीं अन्यत्र बनाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री अखिलेश यादव-

9-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[2सरे बुधवार के अता0 प्रश्न सं0-186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,]

प्रदेश में रायफल क्लब/एसोसियेशन का गठन एवं इसके आय-व्यय का विवरण

10-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जिलों में राइफल क्लब/ एसोसियेशन का गठन किया गया है ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन से पदाधिकारी होते हैं तथा इसकी सदस्यता शुल्क क्या है ? कितने जिलों में शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण/प्रतियोगितायें विगत तीन वर्षों 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 में आयोजित की गई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त वर्षों में प्रत्येक जिले के राइफल क्लब से कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा किन कार्यों में उक्त धनराशि का व्यय किया गया ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के 57 जिलों से सूचना प्राप्त हो गयी है, जिनमें से 03 को छोड़कर 54 जिलों में राइफल क्लब/एसोसियेशन का गठन किया गया है। शेष जिलों से सूचना प्रतीक्षित है।

विभिन्न जनपदों में पदाधिकारियों एवं सदस्यता शुल्क भिन्न-भिन्न है।

जिलों से प्राप्त विवरण विस्तीर्ण होने के कारण सूचना की प्रति मा0 संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में मा0 सदस्यों के अवलोकनार्थ रखी गयी है।

जनपद अलीगढ़ के थानों में कम्प्यूटर द्वारा एफ0आई0आर0 की सुविधा तथा इसे प्रदेश के सभी थानों में लागू करने की मांग

11-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के सभी थानों में कम्प्यूटर द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज करने की सुविधा है? यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी थानों में कम्प्यूटर द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की वक्फ सम्पत्ति का बिना अनुमति बैनामें को खारिज करके की मांग

12-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर की वक्फ सम्पत्ति 42-ए सइदिया वक्फ खाता केवट संख्या 303 गाटा संख्या 1710 क्षेत्रफल 1570 हेक्टेयर का बैनामा सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के बिना पूर्व अनुमति के दिनांक 13-04-2012 को कर दिया गया है ? क्या मंत्री जी की जानकारी में है कि इस सम्बन्ध में डी0एम0 शाहजहांपुर ने जांच कराने के बाद इसका दाखिल खारिज रोकने तथा इस सम्बन्ध में तितम्मा न करने के आदेश के बाद भी किन कारणों से तितम्मा करके 1710 के स्थान पर 1718 कर दिया गया ? क्या सरकार अनियमित बैनामा निरस्त कराकर वक्फ समिति को सुरक्षित करने की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां, वक्फ सम्पत्ति 42-ए सइदिया वक्फ बैनामा गाटा 1710 क्षेत्रफल 1.570 हेक्टेयर दर्शाकर गलत ढंग से कराया गया है।

जी हां, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा प्रकरण की जांच करायी गयी थी, जिसमें उक्त बैनामा अनियमित पाया गया था और उपरोक्त बैनामा दिनांक 13-04-2012 को दाखिल खारिज न करने एवं उपरोक्त बैनामे का तितम्मा न कराये जाने हेतु उप निबन्धक, सदर, शाहजहांपुर को भी निर्देशित किया गया था। उप निबन्धक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि लेखपत्र के क्रेतागणों द्वारा इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर कि किसी सक्षम व्यवहार न्यायालय के आदेश के बिना मात्र प्रशासकीय निर्देश से किसी लेख-पत्र का पंजीयन रोकने का अधिकार नहीं है। इस सम्बन्ध में प्राप्त जिला शासकीय अधिवक्ता, शाहजहांपुर का परामर्श कि ''धारा-35 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम एवं नियम-241, उ0प्र0 रजिस्ट्रेशन मैनुअल भाग-2 के प्राविधानों के दृष्टिगत बिना किसी सक्षम सिविल न्यायालय के आदेश के तितम्मा विलेख का पंजीकरण रोका नहीं जा सकता है'' के आलोक में विधिक तितम्मा विलेख का पंजीकरण दिनांक 02-03-2013 को उप निबन्धक, सदर, शाहजहांपुर द्वारा किया गया है।

वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अभी तक निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई हैं :-

1-उक्त वक्फ सम्पत्ति खाता नं0-303, गाटा संख्या-1718 का किया गया विक्रय नामा एवं तितम्मा को सक्षम न्यायालय में वाद दायर कराकर निरस्त कराने के सम्बन्ध में, नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु शासन द्वारा अध्यक्ष, उ0प्र0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड एवं जिलाधिकारी शाहजहांपुर को पत्र दिनांक 14-05-2013 एवं दिनांक 16-07-2013 द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

2-प्रश्नगत वक्फ सम्पत्ति गाटा संख्या-1718 को राजस्व अभिलेखों में वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज है।

3-उक्त वक्फ सम्पत्ति का पूर्ण कब्जा एवं नियंत्रण उ0प्र0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा नामित प्रबंधकीय कमेटी के पास ही है।

4-वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु खाता सं0-303 के गाटा संख्या-1718 को वक्फ सम्पत्ति के रूप में अंकित की गई है, का अमल दरामद खारिज न होने देने हेतु शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) को जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा पत्र दिनांक 01-04-2013 द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

5-वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अध्यक्ष, प्रबन्ध कमेटी को पूर्ण सहयोग प्रदान किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा पत्र दिनांक 09-04-2013 द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शहीद का दर्जा घोषित करने की नीति एवं डिप्टी एस0पी0 जियाउल हक को शहीद का दर्जा दिये जाने की मांग

13-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शहीद का दर्जा घोषित करने की नीति क्या है ? भारत-पाकिस्तान सीमा पर उत्तर प्रदेश के निवासी वीर सैनिक श्री सुधाकर एवं श्री हेमराज तथा प्रतापगढ़ के डिप्टी एस0पी0 जियाउल हक की हत्या के बाद क्या इन तीनों को शहीद का दर्जा दिया गया ? यदि हां, तो इनके आश्रितों को क्या-क्या सुविधायें अनुमन्य थी तथा क्या-क्या सुविधायें दी गई? क्या सरकार सभी के लिये एक सी नीति बनाकर सभी प्रकार के शहीदों के परिवारों को एक समान सुविधायें उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ?

श्री अखिलेश यादव-

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जिन सैनिकों को शहीद घोषित किया जाता है और जिसकी सूचना उत्तर प्रदेश को दी जाती है, उन्हें ही शहीद की श्रेणी में माना जाता है।

मध्य प्रदेश निवासी श्री सुधाकर एवं उत्तर प्रदेश निवासी श्री हेमराज भारतीय सेना के सैनिक थे। इनकी हत्या होने पर भारत सरकार द्वारा ''शहीद'' का दर्जा प्रदान किया गया। उक्त नीति से आच्छादित न होने के कारण डिप्टी एस0पी0 जियाउल हक को शहीद का दर्जा नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश निवासी श्री हेमराज की भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमन्य सुविधाएं प्रदान की गयी। (संलग्नक-1)

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शहरों में अतिक्रमण हटाये जाने की नीति

14-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरों में अतिक्रमण हटाने की नीति क्या है? क्या सरकार ऐसी कोई प्रभावी व्यवहारिक नीति बनायेगी जिससे अतिक्रमण हटने के बाद दोबारा अतिक्रमण न हो सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की संगत धाराओं में दी गयी व्यवस्था के अनुसार शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है।

(देखिए नत्थी ''क'' आगे पृष्ठ-147 पर।)

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अनाधिकृत अतिक्रमण एवं अवैध निर्माणों को हटाए जाने विषयक शासनादेश संख्या-3079/नौ-12-16ज./2012, दिनांक 14.12.2012 निर्गत किया गया है, जिसमें अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त को यह दायित्व दिया गया है कि वे प्रत्येक थाने में एक रजिस्टर बनवाकर रखवा दें जिसमें प्रत्येक अतिक्रमण हटाने की प्रविष्टि अंकित की जाये कि कब, किस समय, कहां से अतिक्रमण हटाया गया, साथ ही अतिक्रमण हटाने के पूर्व की स्थिति अर्थात अतिक्रमण की स्थिति व अतिक्रमण हटाने के बाद की स्थिति फोटोग्राफ का एलबम भी रखा जाय। इसी शासनादेश में अतिक्रमण हटाने के पश्चात् पुनः उक्त स्थल पर अतिक्रमण होने पर संबंधित थानाध्यक्ष को उत्तरदायी बनाया गया है।

उक्त व्यवस्था को और प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-1279/नौ-7-13-31रिट/2013, दिनांक 15 मई, 2013 निर्गत किया गया है जिसमें राजस्व विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठतम् अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है तथा उक्त व्यवस्था के अनुश्रवण की व्यवस्था जिलाधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किये जाने का प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम अन्तर्गत पेयजलापूर्ति की सुविधा बहाल करने की मांग

15-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में जे0एन0एन0यू0 आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0 एस0एस0एम0टी0 कार्यांश से प्रथम चरण में आच्छादित होने पर पेयजल की स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य किया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि इस योजना के लागू होने के मध्य ही नगर फिरोजाबाद की पालिका परिषद् का सीमा विस्तार करते हुए 13 नई ग्राम सभायें सम्मिलित करने के कारण इस योजना का लाभ स्वीकृत परियोजना के सापेक्ष बहुत कम रह गया एवं लाखों की संख्या में नागरिक पेयजलापूर्ति एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं से वंचित रह गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के यू0आई0 डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यांश के द्वितीय चरण को नगर फिरोजाबाद में लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

अक्टूबर, 2008 में 13 ग्राम सभाएं नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद की सीमा में सम्मिलित की गयी हैं। इन ग्राम सभाओं में ग्रामीण क्षेत्र के लिये निर्धारित मानकों के अनुरूप पेयजल सुविधा उपलब्ध है परन्तु नगरीय क्षेत्र में निर्धारित मानक के अनुसार जलापूर्ति कम है।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के आगामी चरण के प्रारम्भ होने तथा नई परियोजनाओं को स्वीकार किये जाने की स्थिति में फिरोजाबाद नगर की शेष पेयजलापूर्ति कार्यों को लिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में साइबर सेल क्राइम पर प्रभावी रोकथाम हेतु साइबर सेल का गठन

16-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आगरा, लखनऊ एवं नोएडा साइबर सेल कार्यरत हैं, जबकि आठ महानगर, कानपुर, मेरठ, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, नोएडा तथा गाजियाबाद हैं ? क्या सरकार प्रदेश में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर प्रभावी रोक लगाने हेतु शेष महानगरों में भी साइबर सेल खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। प्रदेश के समस्त जनपदों में क्राइम ब्रांच के अन्तर्गत साइबर क्राइम सेल का गठन किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा महानगर में फैक्ट्रियों के गन्दे पानी को रोकने के उपाय

17-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताते की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर में बिना टैप किये गन्दे नालों एवं फैक्ट्रियों का गन्दा पानी सीधा यमुना में डाला जा रहा है जिसके दुष्प्रभाव जलीय जन्तु एवं मनुष्यों पर हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रदूषण को रोकने के लिये कोई कारगर योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद आगरा नगर के कुल 41 नालों में से 20 नालों को टैप किया गया है तथा 21 नालों का गन्दा पानी बिना टैप किये सीधे यमुना नदी में जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त जनपद आगरा में कुल 57 जल प्रदूषणकारी उद्योगों में से 08 उद्योग स्वतः बन्द हैं तथा 02 उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित न होने के कारण उनको प्रदूषण नियंत्रण बोड्र द्वारा बन्द कर दिया गया है। शेष 47 उद्योगों पर उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है।

आगरा नगर के शेष क्षेत्रों हेतु सीवरेज की तीन परियोजनायें जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यांश के एक्सटेन्डेड फेज के तहत प्रस्तावित की गयी हैं, जिनके अन्तर्गत 94 एम0एल0डी0 क्षमता के 05 एस0टी0पी0 सम्मिलित है। यह परियोजनायें भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने व धनावंटन के पश्चात् ही क्रियान्वित की जा सकेंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में खराब पड़े हैण्डपम्पों को रि-बोर कराये जाने की मांग

18-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में कितने हैण्डपम्प खराब है तथा कितने रि-बोर की स्थिति में हैं ? क्या उक्त हैण्डपम्पों को रि-बोर कराने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है ? यदि हां, तो उक्त हैण्डपम्प कब तक रि-बोर कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कानपुर महानगर में विभिन्न संस्थाओं द्वारा कुल 14,342 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं। अधिष्ठापित हैण्डपम्पों में से 1986 हैण्डपम्प रि-बोर योग्य हैं।

हैण्डपम्पों के रि-बोर का कार्य जिला योजना नगरीय पेयजल के अन्तर्गत किया जाता है।

जिला योजना समिति की संस्तुति तथा धनराशि की उपलब्धता पर हैण्डपम्पों के रि-बोर का कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग

19-श्री सतीश महाना तथा श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं एवं बिगड़ती कानून-व्यवस्था को नियंत्रण में करने हेतु सरकार ने कोई प्रभावी कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

2-प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों में निरन्तर कमी आयी है। महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में अपराध अनुसंधान विभाग मुख्यालय में महिला सहायता प्रकोष्ठ मुख्यालय स्थापित किया गया है। प्रदेश के जनपदों को 05 जोन में विभक्त कर इनका पर्यवेक्षण पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जा रहा हे। जनपदीय पुलिस अधीक्षक के अधीनस्थ प्रदेश के सभी जनपदों में महिला थाना की स्थापना की गयी है। फिर भी इन अपराधों में पूर्णतः नियंत्रण के उद्देश्य से गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनपदों में एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया है, जो वर्तमान में क्रियाशील है। इसी क्रम में हाल ही में अपराध नियंत्रण हेतु शहरी क्षेत्रों में सतत् पुलिस पेट्रोलिंग कराई जा रही है और प्रातः काल के समय गश्त पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने के लिये ''वूमेन पावर लाइन-1090'' एक सफल प्रयोग है, जिससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हो रही है। लड़कियों के स्कूल/कालेजों पर सादे कपड़ों में पुलिस कर्मी लगाये जा रहे हैं। महिला पुलिस बल का उपयोग विस्तार से किया जा रहा है। गश्त-मिलान, अपराधियों की चेकिंग, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी जैसी कई योजनायें प्रदेश में लागू कर आम नागरिकों को सुरक्षित महसूस कराने का अथक प्रयास चल रहा है। प्रदेश के सभी जनपदों में कन्ट्रोल रूम पर अवस्थित फोन नम्बर भी महिला हेल्प लाइन के रूप में कार्य कर रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध गम्भीर घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट, गिरोह बन्द अधिनियम एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों को रोकने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को ट्रैफिकिंग एवं महिला प्रकरणों के सम्बन्ध में जागरूक बनाने की दृष्टि से प्रदेश के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन सर्विस कोर्सेज में ट्रैफिकिंग एवं लैंगिक संवेदनशीलता जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। दुष्कर्मी/अपराधी को सजा दिये जाने का प्राविधान भारतीय दण्ड संहिता में पूर्व से ही मौजूद है, इसके अतिरिक्त क्रिमिनल लॉ (अमेडमेन्ट) आर्डिनेन्स-2012 दिनांक 03 फरवरी, 2013 को लागू किया गया है, जिसके द्वारा भा0द0वि0, द0प्र0सं0 व साक्ष्य अधिनियम में

कुछ संशोधन करते हुये बलात्कार की सजा को और कठोर किया गया है। अपराधों की रोकथाम हेतु जनपद प्रभारियों को समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

20-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[1ले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड-मवई तथा रुदौली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की मांग

21-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना सरकार द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो क्या जनपद फैजाबाद स्थित असेवित विकास खण्ड मवई तथा रुदौली में उक्त योजनान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हाँ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड-मवई में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुलिस कर्मियों की कमी को दूर करने की मांग

22-श्री अजय कुमार 'लल्लू'--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में पुलिस कर्मियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस की भर्ती करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो जनपद कुशीनगर में उपरोक्त पुलिस भर्ती प्रक्रिया कब तक पूर्ण करा ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

उ0प्र0 पुलिस बल में आरक्षी भर्ती के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 4147/6-पु-1-8-120/08, दिनांक 11-12-2008 द्वारा आरक्षियों की चरणबद्ध भर्ती उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से विज्ञापन संख्याः पीआरपीबी/एक-1(28)/13, दिनांक 14-05-2013 द्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। जिसके पूर्ण होने पर जनपदीय आवश्यकता के अनुसार आरक्षियों की नियुक्ति की जायेगी।

उ0प्र0 पुलिस बल में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा के 3698 पदों का अधियाचन पत्र संख्याः डीजी-चार-106(266)/2006, दिनांक 18-05-2010 द्वारा उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भेजा गया था।

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों की दौड़-चाल की प्रक्रिया उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा वर्तमान में सम्पन्न करायी जा रही थी, कि इसी मध्य मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्याः 36383/2013 राजेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 11-07-2013 को सुनवायी के पश्चात मा0 न्यायालय ने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती प्रक्रिया के मध्य नियम परिवर्तन करने पर रोक लगाते हुए 03 सप्ताह में प्रति शपथपत्र दाखिल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस मुख्यालय के पत्र दिनांक 23-07-2013 द्वारा उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ से अनुरोध किया गया है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त जनपदीय आवश्यकता के आधार पर पुलिस बल की तैनाती की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त जनपदों में फायर स्टेशनों की स्वीकृति

23-श्री अजय कुमार 'लल्लू'--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त जनपदों में फायर स्टेशनों की स्थापना की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार समस्त फायर स्टेशनों का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ। समस्त जनपदों में फायर स्टेशन स्वीकृत है।

आय-व्ययक में उपलब्ध प्राविधान के सापेक्ष निर्माण कार्य किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में हत्या के पंजीकृत मुकदमें तथा मृतकों के आश्रितों को अनुदान दिये जाने की मांग

24-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में मार्च, 2012 से 13-03-2013 तक हत्या के कितने मुकदमें पंजीकृत हुए ? क्या सरकार प्रदेश में मारे गये सभी व्यक्तियों के परिवार/आश्रितों को एक निश्चित धनराशि अनुदान के रूप में दिये जाने की नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मार्च, 2012 से 13.03.2013 तक जनपद शाहजहाँपुर में हत्या के 69 अभियोग पंजीकृत हुए।

ऐसे प्रकरणों में यथास्थिति अनुदान दिये जाने की व्यवस्था उ0प्र0 मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली में प्रावधानित है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर छावनी में पी0एल0डी0 इण्टर कालेज के पीछे सड़क निर्माण की मांग

25-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-53 पी0एल0डी0 इण्टर कालेज के पीछे तिराहे पर बनवारी लाल शुक्ल के मकान से सी0सी0 रोड तक सड़क निर्माण न होने से जनता को समस्या हो रही है ? यदि हां, तो सरकार उक्त कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत वार्ड 53 पी0एल0डी0 इण्टर कालेज के पीछे तिराहे पर बनवारी लाल शुक्ल के मकान से सी0सी0 रोड तक सड़क निजी क्षेत्र की अविकसित सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या 5097/9-अ-3-2001, दिनांक 26.05.2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमतीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है चूंकि क्षेत्र निजी सोसाइटी के अन्तर्गत आता है व नगर निगम को हस्तांतरित नहीं है। अतः प्रश्नगत क्षेत्र के विकास का दायित्व कानपुर विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में शस्त्र लाइसेन्स की समय सीमा निर्धारण करने की मांग

26-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विरासत के शस्त्र लाइसेंस पात्रता होने पर निश्चित समय सीमा में राजस्व मामलों की भांति शस्त्र लाइसेंस जारी करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत करने का अधिकार आयुध अधिनियम-1959 तथा आयुध नियमावली-1962 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट में निहित है, जिनके द्वारा उक्त अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत अर्धन्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए आदेश पारित किये जाते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आयुध अधिनियम, 1959 केन्द्रीय अधिनियम है, जिसमें लाईसेन्स स्वीकृत करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में मासूमों के आहरण की घटनाओं की वृद्धि को रोकने के उपाय

27-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मासूमों के अपहरण की घटनाओं में वृद्धि हो रही है ? यहि हां, तो क्या सरकार इन घटनाओं में हो रही वृद्धि को रोकने के लिये अलग से कोई कानून बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में सरकार मासूमों के अपहरण के होने वाले अपराधों के प्रति सतर्क है। मासूमों में सुरक्षा की भावना पैदा करने तथा उनके विरुद्ध घटित अपराधों में त्वरित कार्यवाही करने के लिए शासन कटिबद्ध है। राज्य स्तर पर मासूमों से सम्बन्धित अपराधों की रोकथाम के समुचित उपाय किये गये है। प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 में एक सहायता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है तथा प्रदेश के जनपदों के थानों पर गठित स्पेशल यूनिट के नामित जुवेनाइल आफिसर्स जो उपनिरीक्षक स्तर के हैं, की नियुक्ति की गयी है, जिनके द्वारा इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। मासूमों के विरुद्ध घटित अपराधों में विशेष संवेदनशीलता के साथ अलग से त्वरित अनुश्रवण किया जा रहा है। बच्चों के गायब होने पर तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज करके विवेचना की जा रही है तथा गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में साफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसमें गुमशुदा बच्चों की जानकारी अपलोड की जा रही है। संवेदनशीलता के दृष्टिगत अपराधों के रोकथाम हेतु समय-समय पर जनपद प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। मासूमों के विरुद्ध घटित गम्भीर घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट, गिरोह बन्द अधिनियम एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। मासूमों के साथ घटित अपराधों की न्यायालय में विचाराधीन अभियोगों में अभियुक्तों को दण्डित किये जाने हेतु प्रभावी पैरवी की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ में मानक के अनुसार पुलिस बल की तैनाती की मांग

28-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अतिसंवेदनशील शहर है, जहां मानक के अनुरूप पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं है ? यदि हां, तो उक्त जनपद में मानक के अनुरूप पुलिस कर्मियों व अधिकारियों की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

जोनल एवं परिक्षेत्र स्तर से यथा सम्भव रिक्तियों की पूर्ति की जा चुकी है। जनपद अलीगढ़ की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए शेष रिक्तियों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना की तहसील हरौली के मुंसिफ कार्यालय की स्थापना की मांग

29-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बबीना, जनपद झांसी में स्थित तहसील टहरौली को बने करीब 10 वर्ष हो गये हैं किन्तु आज तक मुंसिफ न्यायालय की स्थापना नहीं

की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील-टहरौली में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का पूर्ण नियत्रंण होता है। किसी न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत/संस्तुति प्राप्त की जाती है। वर्तमान में प्रश्नगत न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का कोई अभिमत/संस्तुति प्राप्त नहीं है।

कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत गहरी सीवर लाइन की अधोमानक गुणवत्ता से सम्बन्धित प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

30-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0 एम0 योजनान्तर्गत गहरी सीवर लाइन को अधोमानक गुणवत्ता से सम्बन्धित मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 29-4-2010 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कानपुर महानगर में उक्त योजना का कितना कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

सन्दर्भित पत्र दिनांक 29-04-2010 प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर में जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श में तीन परियोजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है, जिनकी प्रगति निम्नवत् है-

1-कानपुर सीवरेज परियोजना डिस्ट्रिक्ट-1 (इनर ओल्ड एरिया) का 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है।

2-कानपुर सीवरेज परियोजना डिस्ट्रिक्ट-4 (पार्ट-3) का 66 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है।

3-कानपुर सीवरेज परियोजना डिस्ट्रिक्ट-2 (210 एमएलडी एसटीपी) का 83 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है।

शेष कार्य दिसम्बर, 2013 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

31-श्री सतीश महाना-

[1लें मंगालवार के अता0प्र0सं0-182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ के आनन्द विहार कालोनी इन्दिरा नगर की जल निकासी एवं सड़क की मरम्मत विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

32-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नितिन अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 06 फरवरी, 2013 जो कि लखनऊ नगर की आनन्द विहार कालोनी तकरोही शहीद भगत सिंह वार्ड, इन्दिरानगर, लखनऊ की जल निकासी एवं सड़क की मरम्मत विषयक है, राज्य मंत्रीनगर विकास को प्राप्त हुआ है ? जिस पर नगर विकास राज्य मंत्री ने दिनांक 13 फरवरी, 2013 को उक्त कार्य कराने जाने हेतु नगर आयुक्त, लखनऊ को आदेश प्रदान किये है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का अनुपालन हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

स्थल का निरीक्षण किया गया। नाली एवं सड़क सुधार कार्य पर लगभग रु0 1.80 करोड़ व्यय होगा। वर्तमान में नगर निगम लखनऊ में वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

कानपुर महानगर में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी कार्यक्रम अन्तर्गत सीवर कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी

33-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी (एन0जी0आर0बी0ए0) के अन्तर्गत कानपुर महानगर में कितने चरणों में कार्य योजना प्रस्तावित है ? क्या उक्त योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय योजना प्रस्तावित है ? क्या उक्त योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में कार्य प्रारम्भ हो जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कानपुर महानगर में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत चरण निर्धारित नहीं किये गये है।

जी हां।

नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज कार्यों हेतु कानपुर सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 की योजना लागत रु0 443.33 करोड़ तैयार कर मिशन निदेशक, एन0एम0सी0जी0,एन0जी0आर0बी0ए0, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को स्वीकृति एवं धनावंटन होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के ग्राम लाईन खेड़ा में सीवर एवं खंडजा बनवाये जाने की मांग

34-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि लखनऊ नगर में राजाजीपुरम के बी ब्लाक के ग्राम लाईन खेड़ा में नगर निगम द्वारा खड़ंजा एवं सीवर खोदकर डाल देने से आवागमन बाधित है एवं बीमारी भी फैलने की आशंका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खड़ंजा एवं सीवर बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हाँ।

जी हाँ।

इंटरलाकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

35-श्री रामचन्द्र यादव-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल सदस्य वि0 सभा द्वारा अपनी जानमाल की सुरक्षा उपलब्ध कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

36-श्री चन्द्रभान सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का अपनी जानमाल की सुरक्षा हेतु एक्स श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने विषयक पत्र दिनांक 12-09-2012, 10-10-2012 व 07-11-2012 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

उक्त पत्रों के संबंध में जीवनभय आख्या प्राप्त कर राज्य सुरक्षा समिति की बैठक दिनांक 01-04-2013 में विचार करते हुए श्रेणीबद्ध सुरक्षा का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पिछड़ी एवं मलिन बस्ती में मूलभत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के अन्तर्गत जनपद शामली की अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त करने की मांग

37-श्री सुरेश राणा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ी बस्तियों एवं अन्य मलित बस्तियों में जहां सड़कें नहीं है और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, में

सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग सड़क, नाली, जल निकासी जैसी अवस्थापना सुविधाओं के सृजन की योजना प्रदेश में संचालित की जा रही है ? यदि हां, तो शामली जनपद की नगर पंचायत थानाभवन, जलालाबाद एवं गढ़ी पुख्ता की ऐसी सभी बस्तियों के समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हाँ। ''शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों एवं अन्य मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग सड़क, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधा योजना'' प्रदेश में संचालित की गयी है। जनपद-शामली की नगर पंचायत-थाना भवन की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्ती हाफिज दोस्त में उक्त योजनान्तर्गत रु0 33.26 लाख की कार्य योजना स्वीकृति हेतु प्राप्त हुई है, जिसके स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नगर पंचायत-जलालाबाद व गढ़ी पुख्ता की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों अथवा अन्य मलिन बस्तियों में विकास कार्य कराये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव सूडा के माध्यम से प्राप्त होने पर यथाप्रक्रिया उन पर विचार किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में रिक्शा चालकों को बैटरी/सौर ऊर्जा चालित रिक्शा प्रदान करने की योजना

38-श्री सुरेश राणा

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रिक्शा चालकों को बैटरी/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शा प्रदान किये जाने की योजना चलायी जा रही है ? यदि हां, तो जनपद शामली के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के पात्र रिक्शा चालकों को कब तक इस योजना के अन्तर्गत रिक्शा वितरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हाँ। जनपद-शामली के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के स्थानीय निकायों के पात्र रिक्शा चालकों से प्राप्त आवेदन पत्रों के सत्यापन के उपरान्त पात्र पाये गये निजी स्वामित्व वाले रिक्शा चालकों को उनसे पुराना रिक्शा लेकर नियमानुसार बैटरी/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शा प्रदान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ। जनपद-शामली के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के स्थानीय निकायों के पात्र रिक्शा चालकों से प्राप्त आवेदन पत्रों के सत्यापन के उपरान्त पात्र पाये गये निजी स्वामित्व वाले रिक्शा चालकों को उनसे पुराना रिक्शा लेकर नियमानुसार बैटरी/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शा प्रदान करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले नाले का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

39-डा0 अरूण कुमार

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला नाला अर्द्धनिर्मित है, जिसकी वजह से क्षेत्र में गन्दगी बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला नाला निर्माणाधीन है। नगर निगम द्वारा 500 मीटर लम्बे नाले का कार्य दिनांक 15.05.2013 को स्वीकृत किया गया था, जिसमें 35 मीटर नाला निर्माण हो चुका है। भारी वर्षा के कारण नाला व समीपस्थ क्षेत्रों में जलभराव के कारण नाला निर्माण का कार्य रोक दिया गया, जो जल्द ही आरम्भ कर पूर्ण कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सोनभद्र में नक्सलवाद से प्रभावित ग्राम एवं नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने की कार्य योजना

40-श्री सुनील कुमार सिंह यादव

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के कुल कितने ग्राम नक्सल वाद से प्रभावित है ? क्या सरकार की नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार नक्सलवाद से प्रभावित ग्रामों की सूची के साथ-साथ नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने से सम्बन्धित कार्य योजना का विवरण भी उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद सोनभद्र में कुल 344 ग्राम नक्सलवाद से प्रभावित है।

जी हाँ।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-18015/21/2012-एनएम-III, दिनांक 04-4-2013 द्वारा नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने से संबंधित कार्य योजना बनायी गयी है। उक्त पत्र तथा नक्सलवाद से प्रभावित ग्रामों की सूची मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, जहाँ देखी जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाली जनता के कल्याण तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कम्युनिटी पुलिसिंग की कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस कैम्पों का आयोजन कर जन सामान्य का कुशल चिकित्सकों से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराकर दवाओं आदि का वितरण, छात्र-छात्राओं को शिक्षित करने हेतु पाठ्य पुस्तकों, पाठ्य सामग्रियों एवं आवागमन हेतु साइकिलों का वितरण किया जाता है। खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन कराकर खेल-कूद सामग्रियों

का वितरण, युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविर चलाकर सिलाई मशीन आदि का संचालन कराया जाता है। वयस्क लड़कों को ड्राइविंग लाइसेन्स प्रदान कर एवं उन्हें औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नौकरी दिलाने की कार्यवाही की जाती है। जन जागरूकता अभियान चलाकर सामान्य जन को जागरूक करने की कार्यवाही करायी जाती है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विकास हेतु शासन द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य कराये जा रहे हैं।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों यथा सड़कों, विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि के निर्माण कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा कर विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं गति को बनाये रखने हेतु कार्यवाही सम्पादित करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में हुई हत्याओं के सम्बन्ध में गिरफ्तारी की थानेवार सूची का विवरण

41-श्री सुनील कुमार सिंह यादव

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में वर्ष 2012-13 एवं 2013 मई तक कुल कितनी हत्याएं हुई तथा कितने मामलों में गिरफ्तारी हुई तथा कितने मामलों में गिरफ्तारी होना शेष है ? क्या सरकार उक्त की थानेवार सूची उपलब्ध कराते हुए शेष गिरफ्तारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्ष 2012 तक हत्या के कुल 25 अभियोग पंजीकृत हुए, जिसमें 25 गिरफ्तारियाँ हुईं तथा अब किसी मामले में गिरफ्तारी होना शेष नहीं है।

वर्ष 2013 मई तक हत्या के कुल 16 अभियोग पंजीकृत हुए, जिसमें 15 गिरफ्तारियाँ हुईं तथा एक मामले में अभियुक्त की मृत्यु होने के कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। किसी मामले में गिरफ्तारी होना शेष नहीं है।

वर्ष 2012 में 25 हत्या एवं वर्ष 2013 में 16 हत्या की घटना घटित हुई, जिनका थानेवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0	थाना	वर्ष 2012 में घटनाओं की संख्या	वर्ष 2013 में घटनाओं की संख्या
1	रार्बट्सगंज	06	02
2	करमा	01	00
3	घोरावल	00	01
4	शाहगंज	00	02

क्र0	थाना	वर्ष 2012 में घटनाओं की संख्या	वर्ष 2013 में घटनाओं की संख्या
5	पन्नूगंज	00	01
6	ओबरा	01	01
7	चौपन	04	01
8	कोन	01	02
9	जुगैल	00	01
10	दुद्धी	03	00
11	विण्ढमगंज	00	01
12	वभनी	03	00
13	म्योरपुर	01	00
14	बीजपुर	01	01
15	पिपरी	00	01
16	अनपरा	02	01
17	शक्तिनगर	02	01
	योग	25	16

उपर्युक्त किसी मामले में गिरफ्तारी होना शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

अन्य प्रदेशों की भांति सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को हाउस टैक्स में छूट दिये जाने की मांग

42-श्री अमर पाल शर्मा

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, हिमांचल प्रदेश एवं पंजाब सरकार की भांति प्रदेश सरकार भी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जिनके पास एक ही मकान है को हाउस टैक्स में छूट दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रदेश की नागर निकायें उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 तथा उ0प्र0 प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में निहित व्यवस्थानुसार संचालित होती है, जिसमें सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को, जिनके नाम एक ही मकान है, के भवनों पर गृहकर में छूट दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। गृहकर नगरीय स्थानीय निकायों की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण उन्हें गृहकर में छूट दिये जाने से निकाय की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना के खैलार, सिमरावारी को नगर पंचायत घोषित किये जाने की मांग

43-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना के खैलार, सिमरावारी, बी0एच0ई0एल0 झांसी सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है एवं करीब 20,000 आबादी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन तीनों गांवों को मिलाकर नगर पंचायत घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर पंचायत सृजन के लिए निर्धारित मानक पूर्ण न होने के कारण इसे नगर पंचायत का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के चार चेकडैम की जाँच कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

44-श्रीमती उमाकान्ती

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कालपी, जनपद जालौन में निर्मित किये जा रहे अधोमानक चार अदद चेकडैम की जांच कराने हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-09-2012, अनुस्मारक-पत्र दिनांक 23-10-2012 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हाँ।

प्रकरण की टी0ए0सी0 से जाँच कराकर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को निर्देशित किया गया। तद्क्रम में उ0प्र0 जल निगम द्वारा विभागीय टी0ए0सी0 से जाँच करायी गयी। जाँच आख्या परीक्षणाधीन है, परीक्षणोंपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के गोमती नगर की अनेकों कालोनियों को नगर निगम में शामिल करने की मांग

45-श्री सुनील कुमार सिंह यादव

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद लखनऊ के गोमतीनगर से सटे खरगापुर ग्राम पंचायत के सरस्वतीपुरम्, कौशलपुरी, अवधपुरी, गीतापुरी आदि नवविकसित कालोनियों को नगर निगम में शामिल करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। प्रश्नगत कॉलोनियों को नगर निगम में शामिल करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के बाबू पुरवा कालोनी में पेयजल का अभाव व सड़क को निर्माण कराये जाने की मांग

46-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 54 बाबूपुरवा कालोनी के ब्लाक नं0-302, 303, 343 में पेयजल का अभाव एवं ब्लाक नं0-302, 303 के सामने की सड़क के निर्माण न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

श्रम विभाग की कालोनी है जो नगर निगम को हस्तानान्तरित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के सुजानपुर को पी0ए0सी0 रोड तक नाले की सफाई कराये जाने की मांग

47-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53 के0डी0ए0 कालोनी, दहेली सुजानपुर में सिद्धनाथ चौराहे से पी0ए0सी0 रोड तक नाले की सफाई न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53 के0डी0ए0 कालोनी, देहली सुजानपुर में सिद्धनाथ चौराहे से पी0ए0सी0 रोड तक नाले की सफाई का कार्य पूर्ण हो गया है।

कार्य पूर्ण हो गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के सुजानपुर में सड़क एवं नाली के निर्माण कार्य कराये जाने की मांग

48-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53 के0डी0ए0 कालोनी, दहेली सुजानपुर में म0नं0-316 से 351 तक सड़क एवं नाली के निर्माण न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के सुजानपुर में सड़क एवं नाली के निर्माण कार्य कराये जाने की मांग

48-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53 के0डी0ए0 कालोनी, दहेली सुजानपुर में म0नं0-316 से 351 तक सड़क एवं नाली के निर्माण न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53 के0डी0ए0 कालोनी, देहली सुजानपुर में मकान नं0 316 से 351 तक सड़क एवं नाली के निर्माण का कार्य नगर निगम में धन की उपलब्धता के आधार पर आगणन तैयार कर स्वीकृतोपरान्त कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के सिद्धार्थनगर देहली में सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

49-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड-53 सिद्धार्थ नगर, दहेली सुजानपुर में दुर्गा मन्दिर के पास की सड़क के निर्माण न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? कि यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत वार्ड 53 सिद्धार्थ नगर, देहली सुजानपुर, राजपुरम में दुर्गा मन्दिर के पास की सड़क के निर्माण का कार्य नगर निगम से धन की उपलब्धता के आधार पर आगणन तैयार कर स्वीकृतोपरान्त कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में राजीव आवास योजना के चयन का मानक जनपद बरेली में इस योजना में प्रस्तावित निर्माण का कार्य

50-डा0 अरूण कुमार-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गयी शहरी गरीब व्यक्तियों के लिए स्लम से मुक्ति दिलाने के लिए गरीबों को आवास उपलब्ध कराने वाली राजीव आवास योजना में चयन का मानक क्या है तथा जनपद बरेली में

उक्त योजना के कितने आवास बनाये जाने का प्राविधान है ? क्या सरकार बतायेगी कि बरेली नगर में उक्त योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में इन आवासों का पंजीकरण एवं आवंटन कब से प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजना के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देश के अनुसार शहरी मलिन बस्ती में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों, जिनके पास कच्चे, अर्द्धनिर्मित (सेमी पक्के) अथवा ऐसे आवास हैं, जिनमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव हैं, और इन शहरी गरीब बस्तियों में स्थाई रूप से निवास कर रहे हैं, इस योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी से आच्छादित होंगे। जनपद-बरेली में प्रथम चरण में राजीव आवास योजनान्तर्गत सर्वेक्षित मलिन बस्तियों में कुल 608 आवासों का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

रि-लोकेशन के आधार पर बनाये जाने वाले आवासों के सम्बन्ध में ही पंजीकरण एवं आवंटन की स्थिति लागू होती है, जबकि वर्तमान में बरेली परिक्षेत्र में राजीव आवास योजनान्तर्गत बनाये गये पायलेट प्रोजेक्ट में भवन स्वामियों के निजी स्वामित्व के स्थल पर ही आवासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में पंजीकरण एवं आवंटन की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

51-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[एक से अधिक विभागों से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद बस्ती में मतगणना के दौरान लोगों पर पंजीकृत मुकदमों के वापसी विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

52-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 03-12-2003 को जनपद बस्ती में विधान परिषद् (स्थानीय निकाय) की मतगणना के दौरान तत्कालीन जिला प्रशासन द्वारा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती कंचना सिंह के पति सहित पार्टी समर्थकों के विरुद्ध कायम किये गये आपराधिक मुकदमा सं0-1398/2003 धारा-147, 323, 504, 506, 353, 382 आई0पी0सी0 व 07 क्रिमिनल ला ऐक्ट व 136 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम थाना कोतवाली बस्ती को वापस लिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 02-04-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वाहनों से हो रही दुर्घटनाओं को रोक के उपाय

53-डा0 अरूण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वाहनों के असुरक्षित आवागमन के कारण बड़ी संख्या में लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान से हाथ धो बैठते है तथा उससे भी कहीं बड़ी संख्या में गम्भीर रूप से घायल होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कोई कारगर उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में सड़क हादसे और जनहानि की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी को देखते हुए इन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निम्न प्रभावी कार्यवाही की जा रही है :-

(1) प्रदेश के कई बड़े शहरों में यातायात नियंत्रण हेतु चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

(2) पुलिस द्वारा यातायात नियमों के अनुपालन हेतु विशेष ध्यान देकर प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है।

(3) नागरिकों, स्कूली बच्चों को यातायात नियमों का अनुपालन करने के लिये प्रशिक्षित, प्रेरित और जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न संस्थाओं का सहयोग भी लिया जा रहा है।

(4) "आधुनिकीकरण योजना" व "उ0प्र0 यातायात प्रबन्धन निधि" से आवश्यक विभिन्न यातायात उपकरणों को क्रय कर प्रदेश पुलिस को उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि प्रवर्तन कार्य और प्रभावी हो सके।

(5) दुर्घटना में घायल व बीमार व्यक्तियों को शीघ्र अस्पताल भेजे जाने हेतु शासन द्वारा प्रदेश में "समाजवादी एम्बुलेंस" व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू की गयी है।

(6) दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से शीघ्र हटाने हेतु उपलब्ध क्रेन सुविधा को और व्यस्थित किया जा रहा है।

(7) प्रदेश के जनपदों के कई स्थलों पर सेतु निर्माण, मार्ग चौड़ीकरण, एकल दिशा मार्ग ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है।

(8) पार्किंग स्थलों को चिन्हीकरा कर और सुव्यस्थित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(9) प्रदेश के जनपदों में दुर्घटना बाहुल्य स्थलों को चिन्हित कराकर सड़कों की कमियों को ठीक कराने के साथ ऐसे स्थानों पर आवश्यक संकेतक बोर्ड/चिन्ह लगवाये जाने की कार्यवाही की जाती है।

(10) पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग के बीच परस्पर सांमजस्य को बढ़ाते हुए इस दिशा में सार्थक प्रयास किया जा रहा है।

(11) मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा वाहनों में किसी भी प्रकार की अपारदर्शी फिल्म लगाया जाना प्रतिबन्धित किये जाने के फलस्वरूप इसका कड़ाई से अनुपालन प्रदेश के सभी जनपदों में कराया जा रहा है।

प्रदेश पुलिस बल में भर्ती प्रक्रिया को बदलने की मांग

54-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पुलिस बल को और प्रभावी तथा सुदृढ़ बनाने हेतु भर्ती की प्रक्रिया में मौलिक परिवर्तन करते हुए शैक्षिक योग्यता एवं उन्नत श्रेणी का प्रशिक्षण देने के उपरान्त सिपाही के स्थान पर सिविल पुलिस अफसर का नया पदनाम देकर भर्ती की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

उ0प्र0 पुलिस बल की भर्ती पुलिस नियमावली के अन्तर्गत किये जाने का प्राविधान है एवं इनका प्रशिक्षण, उ0प्र0 पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ द्वारा कराया जाता है। सिपाही के स्थान पर सिविल पुलिस अफसर का नया पदनाम देकर भर्ती किये जाने का बिन्दु नीतिगत है। विद्यमान नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

कानपुर नगर छावनी विधान सभा के बाबू पुरवा में खराब पड़े हैण्डपम्पों की ठीक कराये जाने की मांग

55-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड सं0-54, बाबूपुरवा खटिकाने में खराब सम्पूर्ण हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं रि-बोर न होने से जनता को समस्या हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

सम्पूर्ण हैण्डपम्प खराब नहीं है। अधिष्ठापित 17 नग हैण्डपम्पों में से 12 नग हैण्डपम्प चालू है। धन की उपलब्धता के आधार पर हैण्डपम्पों की रिबोरिंग का कार्य उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराया जाता है।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक श्यामनगर की सड़क निर्माण की समस्या का निराकरण कराये जाने की मांग

56-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड सं0-77ए ब्लाक श्यामनगर में मकान नं0 60 से मकान नं0 82 तक सड़क निर्माण न होने से जनता को समस्या हो रही यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड सं0-77-ए-ब्लाक श्याम नगर में मकान नं0 60 से मकान नं0 82 तक सड़क निर्माण का कार्य नगर निगम में धन की उपलब्धता के आधार पर आगणन तैयार कर, स्वीकृतोपरान्त कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के बर्रा में निर्मित ओवरहेड टैंकों से जलापूर्ति कराये जाने की मांग

57-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में विश्व बैंक बर्रा के सेक्टर-'क' में दो ओवरहैड टैकों का निर्माण वर्ष 2010-11 में किया गया था ? यदि हां, तो क्या ओवरहैड टैंक से पानी की सप्लाई स्थानीय जनता को उपलब्ध करायी जा रही है ? यदि नहीं, तो सप्लाई कब तक शुरू हो जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

एक ओवरहैड टैंक पूर्व में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाया गया है तथा दूसरा ओवर हैड टैंक जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत उ0प्र0 जल निगम द्वारा वर्ष 2010-11 में बनवाया गया है, जिसे टेस्ट कराकर भरा दिया गया है।

जी नहीं।

गंगा बैराज से फीडर मेन के कार्य विलम्बित होने के कारण अभी सप्लाई जनता को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, फीडरमैन के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त दिसम्बर, 2014 तक जलापूर्ति किये जाने की सम्भावना है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के ग्रामों को मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम से अच्छादित करने सम्बन्धी जानकारी

58-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्रामों को मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत चयन करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जनपद लखीमपुर खीरी मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम से आच्छादित है, जिसमें विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी भी सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 उच्च न्यायालयों के कामकाज को हिन्दी भाषा में किये जाने का अनुरोध

59-श्री सुरेश कुमार खन्ना

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों में अधिकांश कार्य अंग्रेजी भाषा में किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार उ0प्र0 के उच्च न्यायालयों (इलाहाबाद व लखनऊ) बेंच में अधिकांश कामकाज हिन्दी भाषा में किये जाने हेतु कोई प्रयास करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की नियमावली 1952 के चैप्टर 7 के नियम 8 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालयों द्वारा पारित किये जाने वाले आदेशों, डिक्री एवं किन्हीं भी निणर्यों में वैकल्पिक रूप से हिन्दी भाषा का प्रयोग किये जाने की व्यवस्था है, जिसके अधिकाधिक प्रयोग के लिये मा0 उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली नगर के अनेकों स्थानों पर मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को बहाल किये जाने की मांग

60-डा0 अरूण कुमार

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र हजियापुर, अकब कोतवाली, शाहाबाद, बानखाना, सुरखा, कोहड़ापीर, भूड़ आदि क्षेत्रों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का अभाव है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में सी0सी0 रोड़, शुद्ध पेयजल, जल निकासी आदि सुविधायें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नंहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

अकब कोतवाली, शाहबाद, बानखाना, सुर्खा, कुल्पाड़ापीर, भूड़ आदि क्षेत्रों में मूलभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध हैं। यह क्षेत्र पूर्णतः विकसित है केवल हजियापुर के आंशिक भाग में अवस्थापना सुविधाओं का अभाव है।

हजियापुर कें आंशिक भाग में धन की उपलब्धता के आधार पर अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी। अकब कोतवाली, शाहबाद, बानखाना, सुर्खा, कुल्हाड़ापीर भूड़ आदि क्षेत्रों में शुद्ध पेयजलापूर्ति की व्यवस्था उपलब्ध है। उक्त के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों को भी लाभान्वित करने एवं पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के अन्तर्गत कार्य कराये जा रहे हैं। योजना के क्रियान्वयन के उपरान्त मानक के अनुसार पेयजल उपलब्ध हो सकेगा

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

61-डा0 अरूण कुमार-

[1ले बुधवार के अता0प्र0सं0-191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बरेली में शस्त्र लाइसेन्स के आवेदनों के निस्तारण सम्बन्धी जानकारी

62-डा0 अरूण कुमार

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक तक बरेली जनपद में कितने लोगों ने शस्त्र लाइसेन्स के लिए आवेदन किया तथा उनमें से कुल कितने लोगों को लाइसेन्स दिये गये तथा उसमें कितनों को वारिसान के आधार पर लाइसेन्स दिये गये ? क्या सरकार बतायेगी कि शेष आवेदन-पत्रों का कब तक निस्तारण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक बरेली जनपद में 1470 लोगों ने शस्त्र लाईसेन्स के लिए आवेदन किया तथा उनमें से 333 लोगों को लाईसेन्स दिए गये एवं उसमें से 152 लोगों को वारिसान के आधार पर लाईसेन्स दिए गये।

शेष आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु शस्त्र अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के बाबूपुरवा एन0एल0सी0 कालोनी के क्षतिग्रस्त नाली खण्डन्जा के निर्माण की मांग

63-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड सं0 54 बाबूपुरवा एन0एल0सी0 कालोनी ब्लाक नं0 265, 266, 267 के पीछे नाली एवं खड़न्जा क्षतिग्रस्त होने से जनता को समस्या हो रही है ? यदि हां, तो सरकार उक्त नाली एवं खड़ण्जा को पुननिर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

श्रम विभाग की कालोनी है, जो नगर निगम को हस्तानान्तरित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बगाही भट्ठा में समुचित पेयजल एवं सड़क निर्माण की मांग

64-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड सं0-31 बगाही भट्ठा में पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने एवं सड़क क्षतिग्रस्त होने

से जनता को समस्या हो रही है ? यदि हां, तो सरकार उक्त कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

बगाही भट्ठा की आंतरिक सड़कों के सुधार का कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर आगणन तैयार कर स्वीकृतोपरान्त कराया जा सकेगा।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

विधवा पेंशन स्वीकृत किये जाने की पात्रता एवं जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा, के अनेकों लोगों की पेंशन रोके जाने के सम्बन्ध में जानकारी

65-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधवा पेंशन स्वीकृत किये जाने की पात्रता क्या है तथा इस सम्बन्ध में नीति क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि किसी विधवा की पेंशन अचानक बिना किसी समय के रोक/बन्द की जा सकती है ? यदि नहीं, तो श्रीमती सरिता पत्नी स्व0 जगन लाल, श्रीमती रामवेटी पत्नी स्व0 भाईलाल, श्रीमती सावित्री पत्नी स्व0 रामनरेश, श्रीमती मुख्तरी पत्नी मो0 शेर खां, श्रीमती शिवरानी पत्नी स्व0 परसराम, श्रीमती इशरती पत्नी स्व0 खलील खां निवासीगण ग्राम बडावन, ब्लाक भावलखेड़ा, तह0 सदर, शाहजहांपुर की पेंशन किस आधार पर रोक दी गयी ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर पेंशन पुनः बहाल करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, संस्कृति राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अरुण कुमारी कोरी)-

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत 18 से 60 वर्ष आयु के ऐसे लाभार्थी जो गरीबी की रेखा के नीचे हों, जिनके बच्चे नाबालिग हों अथवा बालिग होने पर भी भरण पोषण करने में असमर्थ हों तथा उनके द्वारा पुनर्विवाह न किया गया हो और किसी अन्य योजनान्तर्गत कोई शासकीय लाभ न प्राप्त किया जा रहा हो उक्त योजनान्तर्गत पात्र है। इसी प्रकार योजनान्तर्गत लाभार्थी की आयु 40 से 79 वर्ष के मध्य हो तथा वर्ष 2002 की बी0पी0एल0 सूची कार्ड धारक हों।

जी नहीं।

सन्दर्भित लाभार्थियों की सत्यापन प्रक्रिया प्रचलित है। सत्यापन होने के उपरान्त लाभार्थियों को पेंशन भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के थाना प्रेमनगर की कानूनगोयान पुलिस चौकी के भवन का कथित प्रकरण

66-डा0 अरूण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिले के थाना प्रेमनगर के अन्तर्गत कानूनगोयान पुलिस चौकी बिना भवन के संचालित की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिस चौकी के भवन निर्माण की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। सरकारी भवन में स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली नगर के अनेकों स्थानों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाए बहाल करने की मांग

67-डा0 अरूण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर के स्लम एरिया संजयनगर, गोसाईगौटिया, दुर्गानगर, आलोकनगर, जोगीनवादा, डिफेन्स कालोनी, सिद्धार्थनगर, सैदपुर, प्रतापपुर, विहारमान, नगला, सुरखा, मठलक्ष्मीपुर, रहपुरा, महलऊ आदि क्षेत्रों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में सी0सी0 रोड, शुद्ध पेयजल, जल निकासी, सीवर आदि सुविधायें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

बरेली नगर के स्लम एरिया संजयनगर गोसाईगौटिया, दुर्गानगर, आलोकनगर, जोगीनवादा, डिफेन्स कालोनी, सिद्धार्थनगर, सैदपुर, प्रतापपुर, विहारमान, नगला, सुरखा, मठलक्ष्मीपुर, रहपुरा, महलऊ नवविकसित क्षेत्र हैं। इन कालोनियों में अवस्थापना सुविधाओं का आंशिक रूप से अभाव है।

उक्त स्लम एरिया में उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत समय-समय पर अवस्थापना सुविधाओं हेतु सड़क, नाली निर्माण, पेयजल हेतु हैण्डपम्प की स्थापना का कार्य कराया जाता है तथा नगर निगम, बरेली द्वारा उक्त क्षेत्रों में रु0 252.53 लाख का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त स्लम एरिया में आंशिक पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है। शेष भाग में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के अन्तर्गत कार्य कराये जा रहे हैं। उक्त क्षेत्रों में सीवर की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के कस्बा खैराबाद में फायर स्टेशन स्थापित करने की मांग

68-श्री राधेश्याम जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर आदेश संख्या-पी0जी0 10249133, दिनांक 01-04-2013 द्वारा जनपद सीतापुर के कस्बा कचनार एवं आदेश संख्या-पी0जी0 10173554, दिनांक 27-11-2012 द्वारा कस्बा खैराबाद में फायर स्टेशन स्थापित करने हेतु प्रमुख सचिव, गृह को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

फायर मुख्यालय द्वारा जनपद सीतापुर के कस्बा कचनार एवं कस्बा खैराबाद में फायर स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, सीतापुर में नियमानुसार प्रस्ताव मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद सीतापुर के नगर पालिका परिषद् कतिपय योजनाओं में शामिल करने की मांग

69-श्री राधेश्याम जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के नगरपालिका परिषद् को जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की यू0डी0आई0एस0एस0एम0टी0 योजना में शामिल कर आच्छादित कराने का आदेश प्रमुख सचिव, नगर विकास को मा0 मुख्य मंत्री जी के कम्प्यूटर आदेश सं0-पी0जी0 10092496, दिनांक 27-7-2012 तथा पी0जी0 10115750, दिनांक 30-8-2012 द्वारा दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

संदर्भित कम्प्यूटर संदर्भों में से प्रकरण से संबंधित पत्र तथा उन पर अंकित कम्प्यूटर संख्या-पी0जी0आई0ओ0 10092496 दिनांक 27-07-2012 तथा पी0जी0आई0ओ0 10115750 दिनांक 30-08-2012 के स्थान पर पी0जी0आई0 10115759 दिनांक 30-08-2012 अंकित है, प्राप्त हुए हैं।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के प्रथम चरण हेतु उत्तर प्रदेश को आवंटित परिव्यय समाप्त हो जाने के कारण नगर पालिका परिषद्, सीतापुर को यू0आई0डी0एस0 एस0एम0टी0 कार्यान्श में आच्छादित किये जाने में कठिनाई है। यदि भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम का द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जाता है और प्रदेश की नई परियोजनाओं को स्वीकार किया जाता है, तो सीतापुर की परियोजनाओं को यथाप्रक्रिया भारत सरकार को भेजे जाने पर विचार किया जा सकेगा। तद्नुसार वस्तुस्थिति से मा0 मुख्य मंत्री जी दिनांक 10-09-2012 को अवगत हो चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के स्थानीय निकायों को कार्यों हेतु आवंटित धनराशि

70-डा0 अरूण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में ''नया सवेरा नगर विकास योजना'' में बरेली जिले के किन-किन स्थानीय निकायों को कितनी-कितनी धनराशि किन-किन कार्यों के लिये आवंटित की गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना से अब तक कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं तथा शेष कार्य कब तक करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

वित्तीय वर्ष 2013-14 के माह अगस्त, 2013 तक ''नया सवेरा नगर विकास योजना'' के अन्तर्गत जनपद बरेली की विभिन्न निकायों को अवस्थापना कार्य हेतु निम्नवत ब्याज रहित ऋण की स्वीकृति दी गई है:

निकाय का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि (रु0 लाख में)
1. नगर निगम, बरेली	जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत जलापूर्ति हेतु	390.00
2. नगर पालिका परिषद्, फरीदपुर	नाला निर्माण कार्य	75.00
3. नगर पालिका परिषद्, आवंला	इण्टर लाकिंग सड़क निर्माण	50.00
4. नगर पंचायत, घौरा टाण्डा	इण्टर लाकिंग सड़क निर्माण	70.00
5. नगर पंचायत, मीरगंज	सड़क निर्माण	35.00
6. नगर पंचायत, रिछा	सड़क निर्माण	35.00
7. नगर पंचायत, रिठौरा	प्रकाश व्यवस्था	25.00

उपर्युक्तानुसार स्वीकृत कार्य पूर्ण किये जाने की अन्तिम तिथि 31-03-2014 है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर से जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम अन्तर्गत वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण

71-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर स्थित गुजैनी वाटर वर्क्स फेज-2 में 27.5 एम0एल0डी0 वाटर ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट का निर्माण हो रहा है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही कानपुर पेयजल योजना फेज-II के अन्य कार्यों के साथ गुजैनी वाटर वर्क्स में एक नग 28.5 एम0एल0डी0 का वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्माणाधीन है।

उक्त निर्माण कार्य दिसम्बर, 2013 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा वार्ड के नटवर डेरे की सड़क मरम्मत कराये जाने की मांग

72-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत वार्ड संख्या-75 मुंशीपुरवा में अजीतगंज चौराहे से नटवन डेरे तक सड़क मरम्मत न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

वार्ड संख्या 75 मुंशीपुरवा में अजीतगंज चौराहे से नवटन डेरे तक सी0सी0 रोड पूर्व में बनी हुई है जो वर्तमान में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है पक्का मलवा डालकर सड़क को मोटरेबुल बना दिया गया है। वर्षा ऋतु के उपरान्त पैच वर्क कराकर सड़क का स्थाई सुधार कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर छावनी विधान सभा क्षेत्र के बनियान फैक्ट्री के सड़क निर्माण की मांग

73-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड संख्या-53 रामपुरम् श्याम नगर में सेंगर चौराहे से बनियान फैक्ट्री तक सड़क के निर्माण न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हा, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं ? तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र में वार्ड संख्या-53 रामपुरम् श्याम नगर में सेंगर चौराहे से बनियान फैक्ट्री तक सड़क निजी क्षेत्र की अविकसित सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। शासनादेश संख्या-5097/9-अ-3-2001, दिनांक 26-05-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है चूंकि क्षेत्र निजी सोसाइटी के अन्तर्गत आता है व नगर निगम को हस्तांतरित नहीं है। अतः प्रश्नगत क्षेत्र के विकास का दायित्व कानपुर नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर छावनी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराये जाने की मांग

74-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड संख्या-75 अजीतगंज बगाही में पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध न होने से

जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं ? तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के वार्ड संख्या-75 अजीतगंज बगाही में वर्तमान में जलापूर्ति जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर द्वारा सामान्य रूप से की जा रही है। जे0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम फेज-प्रथम के अन्तर्गत सुदृढ़ीकरण हेतु इस वार्ड में लगभग 6.00 किमी0 जल वितरण प्रणाली के बिछाये जाने का कार्य प्रस्तावित है, जिसमें से लगभग 4.00 किमी0 जल वितरण प्रणाली बिछायी जा चुकी है। इस वितरण प्रणाली को मार्च, 2014 तक कमीशन्ड किया जाना प्रस्तावित है।

कानपुर नगर छावनी विधान सभा के देहली सुजानपुर की सड़क निर्माण की मांग

75-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड संख्या-53 देहली सुजानपुर के0डी0ए0 कालोनी में म0नं0-ई/40 तक सड़क निर्माण न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत वार्ड संख्या-53 देहली सुजानपुर के0डी0ए0 कालोनी में ई/60 से ई/40 तक सड़क के सुधार का कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर छावनी विधान सभा क्षेत्र के श्यामनगर से मंगला विहार तक सड़क निर्माण की मांग

76-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड संख्या-77 श्यामनगर में सी0ओ0डी0 क्रासिंग से श्यामनगर, मंगला विहार होते हुए एन-25 तक सड़क न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत वार्ड संख्या-77 श्यामनगर में सी0ओ0डी0 क्रासिंग से श्याम नगर चाणक्यपुरी चौराहे तक सड़क का सुधार नगर निगम द्वारा कराया गया है जो अच्छी स्थिति में है। मोहनी गेस्ट हाउस से मंगला विहार होते हुये एन-25 तक की सड़क निजी क्षेत्र की अविकसित सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या 5097/9-अ-3-2001 के अनुसार सोसाइटीयों के नियमतीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था चूंकि क्षेत्र निजी सोसाइटी के अन्तर्गत आता है व नगर निगम को हस्तांतरित नहीं है। अतः प्रश्नगत क्षेत्र के विकास का दायित्व कानपुर नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम कुनिया थाना मुसेला में दुष्कर्म की रिपोर्ट न लिखे जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

77-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अशोक कुमार सिंह पुत्र उदयपाल सिंह निवासी ग्राम-कुनिया मुसेला, थाना-मदनापुर, जिला-शाहजहांपुर के शिकायती-पत्र दिनांक 17-10-2012 जो उनके पुत्र के साथ अप्राकृतिक/दुष्कर्म करने व उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाने विषयक है के साथ प्रश्नकर्ता का पत्रांक-228, दिनांक 26-12-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

श्री अशोक कुमार सिंह पुत्र श्री उदयपाल सिंह निवासी ग्राम-कुनिया मुसेला, थाना मदनापुर, जिला शाहजहाँपुर के प्रार्थना-पत्र के आधार पर दिनांक 03-08-13 को थाना मदनापुर में मु0अ0सं0 210/13 धारा 377 भादवि विपक्षी सोहन सिंह पुत्र कल्लू निवासी कुनिया चचोरा, थाना मदनापुर के विरुद्ध पंजीकृत करा दिया गया है। विवेचना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र आगरा छावनी में मूलभूत व्यवस्थापना सुविधाएं बहाल करने की मांग

78-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र आगरा छावनी के अन्तर्गत 06 कि0मी0 की दूरी पर स्थित मलिन बस्तियों में सड़क, खड़न्जा व नाली की व्यवस्था न होने के कारण वहां जलभराव व गन्दगी की अधिकता के कारण क्षेत्र में भयंकर बीमारियां फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मलिन बस्तियों में सड़क, खड़न्जा व नाली निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

विधान सभा क्षेत्र आगरा छावनी के अंतर्गत मलिन बस्तियों विशेषकर नरीपुरा में जल भराव की समस्या है जिसके निवारण हेतु जल निगम के माध्यम से स्टार्म वाटर ड्रेनेज के निर्माण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

विधान सभा क्षेत्र आगरा छावनी के अन्तर्गत विभिन्न मलिन बस्तियों में से चिन्हित अधिकांश मलिन बस्तियों में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना की उप घटक बी0एस0यू0पी0 योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण के साथ ही विकास कार्य भी धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कराये जा रहे हैं। आगरा छावनी की मलित बस्ती सौहल्ला में विकास कार्य कराये जाने हेतु परियोजना तैयार कर स्वीकृति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सीतापुर शहर में सीवर लाइन डालने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

79-श्री राधेश्याम जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर शहर में सीवर लाइन डालने हेतु मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र सं0-पी0जी0 10249484, दिनांक 11-4-2013 तथा पत्र संख्या-पी0जी0 10251128, दिनांक 16-4-2011 द्वारा जारी आदेश प्रमुख सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

संदर्भित कम्प्यूटर संदर्भों में से प्रकरण से संबंधित पत्र तथा उन पर अंकित कम्प्यूटर संख्या-पी0जी0 10249484 दिनांक 11-04-2013 तथा पी0जी0 10251128 दिनांक 16-04-2013 प्राप्त हुये हैं।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0 एस0एम0टी0 कार्यान्श के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के लिये निर्धारित परिव्यय समाप्त हो जाने के कारण भारत सरकार द्वारा नई परियोजनाओं को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अतः सीतापुर की सीवरेज परियोजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में सीतापुर को यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श से आच्छादित नहीं किया जा सकता है। प्रकरण के संदर्भ में कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम को निर्देशित कर दिया गया है। यदि भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम का द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जाता है, और प्रदेश की नई परियोजनाओं को स्वीकार किया जाता है, तो सीतापुर की सीवरेज परियोजना का गठन कराकर यथाप्रक्रिया भारत सरकार को भेजे जाने पर विचार किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र आगरा के कैन्टोमेन्ट में वाहनों के निकालने की वैकल्पिक व्यवस्था

80-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा कैन्टोमेन्ट में ताजमहल पूर्वी गेट से 800 मीटर की दूरी पर अहमद बुखारी, नगला पैमा व गढ़ी बंगस

मोहल्लों में वाहनों के निकलने के लिये वैकल्पिक मार्ग की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मोहल्लों में वाहनों के आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कुष्ठ आश्रम से नगला पैमा तक की भूमि वन विभाग की थी किन्तु भूमि उपलब्ध न होने के कारण आश्वासन समिति की बैठक दिनांक 11-03-2010 में निर्णय लिया गया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक कर ली जाये, जिससे कि सड़क के निर्माण कार्य का समाधान हो सके। दिनांक 15-6-2010 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि ''बिजलीघर के पास नगला पैमा के सामने 1.1 कि0मी0 लम्बाई में कच्चे मार्ग को पक्का कर दिया जाये, जिसको वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाये''।

उक्त निर्णय के क्रम में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त सड़क का निर्माण किया गया।

अ. वैकल्पिक मार्ग का नाम-गढ़ी बंगस, नगला पैमा, अहमद बुखारी से लेकर बिजलीघर तक सड़क का निर्माण कार्य।

ब. वैकल्पिक मार्ग की कुल लम्बाई-1.2 कि0मी0 (1024 मी0)

स. वैकल्पिक मार्ग की कुल लागत - रु0 55.63 लाख

द. वैकल्पिक मार्ग पूर्ण होने की तिथि -11-08-2011

सड़क के निर्माण पूर्ण होने से नगला पैमा, गढ़ी बंगस, अहमद बुखारी एवं इस क्षेत्र के समस्त निवासियों द्वारा सड़क का प्रयोग किया जा रहा है तथा इस क्षेत्र के सभी निवासी लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

81-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में शहरी गरीब व्यक्तियों को मकान उपलब्ध कराने के आसरा योजना के मानक एवं आवास उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में जानकारी

82-डा0 अरूण कुमार-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गयी शहरी गरीब व्यक्तियों के लिये मकान उपलब्ध कराने हेतु आसरा योजना के क्या मानक हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि बरेली नगर में उक्त योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में कितने आवास उपलब्ध कराये जाने की योजना है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रदेश सरकार द्वारा संचालित आसरा योजनान्तर्गत निम्नलिखित मानक निर्धारित हैं :-

(क) शहरी क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बाहुल्य व मलिन बस्तियों में रहने वाले अल्प आय वाले मेहनतकश परिवार जिनके पास आवासीय सुविधा का अभाव हो तथा जिनकी मासिक आय रु0 6000/-से अधिक न हो।

(ख) सम्बन्धित नगरीय निकाय में पंजीकृत रिक्शा चालक।

(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति के ऐसे आवासहीन व्यक्ति जो बी0पी0एल0 कार्ड धारक हों।

(घ) अवमुक्त स्वच्छकार।

बरेली नगर में उक्त योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में मलिन बस्ती खड़उवा में 220 आवासों के निर्माण कराये जाने की योजना है।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र में सड़क एवं पार्क का सुन्दरीकरण कराये जाने की मांग

83-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड सं0-53 के0डी0ए0 कालोनी देहली सुजानपुर से एस/5-161 से एस-58 तक तथा भानू शुक्ला के मकान से सरदार सिंह के मकान तक की सड़क तथा पार्क का सुन्दरीकरण न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त सड़कों का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत वार्ड संख्या-53 के0डी0ए0 कालोनी देहली सुजानपुर में एस/5-161 से एस-58 तक तथा भानू शुक्ला के मकान से सरदार सिंह के मकान तक की सड़क तथा पार्क का सुन्दरीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के न्यू आजाद नगर में क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

84-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड सं0-53 न्यू आजाद नगर में क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत वार्ड सं0-53, न्यू आजाद नगर में क्षतिग्रस्त सड़क निजी क्षेत्र की अविकसित सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या 5097/9-अ-3-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है चूंकि क्षेत्र निजी सोसाइटी के अन्तर्गत आता है व नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं है। अतः प्रश्नगत क्षेत्र के विकास का दायित्व कानपुर विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में महिला पुलिस बल बढ़ाये जाने की प्रचलित प्रक्रिया

85-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के बढ़ते खतरे को देखते हुये महिला पुलिस बल बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां, शासनादेश संख्या : 4147/6-पु-1-8-120/08 दिनांक 11-12-2008 द्वारा शासन ने विभिन्न श्रेणी के 2,04,021 पदों का सृजन किया है जिसमें 20 प्रतिशत महिला पुलिस के लिये आरक्षण का प्राविधान है। भर्ती के प्रथम चरण में 35,844 पुरुष/महिला आरक्षियों की भर्ती की गयी है जिसमें शासन की नीति के अनुसार 20 प्रतिशत महिला आरक्षियों की भर्ती सम्पन्न की जा चुकी है। आरक्षियों की द्वितीय चरण की भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है जिसमें 35,500 पुरुष/महिला आरक्षियों की भर्ती की जा रही है। शासन की नीति के अनुसार इन 35,500 पदों के सापेक्ष 20 प्रतिशत महिला आरक्षियों की भर्ती कुल 7,100 की भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। भर्ती के उपरान्त पुलिस बल में महिलाओं की स्वतः वृद्धि हो जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के कतिपय घाटों के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण की योजना सम्बन्धी जानकारी

86-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित नाना राव घाट, शक्ति चौराहा घाट, गोला घाट एवं बिठूर घाट के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण की कोई योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कानपुर स्थित नाना राव घाट, सत्ती चौरा घाट (शक्ति चौराहा घाट), गोला घाट कानपुर कैण्टोंमेन्ट क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, जो स्थानीय निकाय सीमा में नहीं है। बिठूर घाट, नगर पंचायत बिठूर के अन्तर्गत आता है। उक्त घाटों के जीर्णोद्धारा एवं सौन्दर्यीकरण की कोई योजना वर्तमान में नगर पंचायत बिठूर द्वारा संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड जरवल के रेवलियां स्थित कब्रिस्तान की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

87-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड जरवल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रेवलियां स्थित कब्रिस्तान की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/12-13/क-5नं0138519/4090, दिनांक

25-4-2013 मुख्य विकास अधिकारी, जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हाँ।

अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी निर्माण योजनान्तर्गत जनपद बहराइच में वर्ष 2012-13 में कुल रु0-524.81 लाख आवंटित किया गया था, जिसके विरुद्ध जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा 86 कब्रिस्तानों का चयन बाउण्ड्रीवाल निर्माण के लिये किया गया था। मा0 सदस्य का पत्र वर्ष 2013-14 में प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों के बाउण्ड्रीवाल निर्माण के लिये अभी कब्रिस्तानों के चयन की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ आवास विकास परिषद् की इन्दिरा नगर कालोनी के पार्क के अवैध कब्जे को हटाये जाने की मांग

88-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ आवास विकास परिषद् की इन्दिरा नगर कालोनी के ब्लाक ए के मकान नं0-ए-1103/1 से 1103/17 के सामने स्थित सड़क लगभग 25 मीटर ही बनाया गया है ? यदि हां, तो शेष भाग का निर्माण न कराने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि इसके सामने स्थित पार्क पर अवैध कब्जा भी किया गया है ? क्या सरकार अवैध कब्जे से पार्क को मुक्त कराकर इसका सौन्दर्यीकरण कराते हुए बाउण्ड्रीवाल का भी निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हाँ।

अवशेष सड़क निर्माण पर अनुमानित लागत धनराशि रु0 7.98 लाख है, परन्तु वर्तमान में नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण कार्य कराये जाने में कठिनाई है।

जी नहीं।

सौन्दर्यीकरण कराये जाने के कार्य पर अनुमानित लागत रु0 9.98 लाख की है, किन्तु निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण कार्य कराये जाने में कठिनाई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के नटवन टोला मलिन बस्ती में नाली व सड़क निर्माण कराये जाने की मांग

89-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 75 मुंशीपुरवा में सीओडी नाला एवं नटवन टोला मलिन बस्ती में म0नं0 130/296/से 130/292 तक की नाली व सड़क निर्माण न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हाँ।

वार्ड 75 मुंशीपुरवा में सीओडी नाला एवं नटवन टोला मलिन बस्ती मकान 130/296 से 130/292 तक की नाली व सड़क के सुधार का कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के मुंशीपुरवा से शिव कटरा-चरारी रोड की मरम्मत कराये जाने की मांग

90-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड नं0-75 मुंशीपुरवा में अजीतगंज चौराहे से नटवन डेरे तक एवं वार्ड 44 चरारी में शिव कटरा-चरारी, रोड के मरम्मत/निर्माण न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हाँ।

वार्ड 75 मुंशीपुरवा में अजीतगंज चौराहे से नटवन डेरे तक एवं वार्ड नं0 44 चरारी में शिवकटरा-चरारी रोड के मरम्मत/निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दम्पत्ति पुरस्कार योजनान्तर्गत जनपद सोनभद्र में कितनों को लाभ दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

91-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 35 वर्ष तक की आयु की विधवाओं को पुनर्विवाह करने पर सरकार द्वारा दस हजार रुपया दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो जनपद सोनभद्र में वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 में इस योजना में लाभान्वित लाभार्थियों का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी-

जी हाँ।

दम्पत्ति पुरस्कार योजनान्तर्गत रु0 11,000/- दिये जाने का प्राविधान है।

जनपद-सोनभद्र में इस योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में 04 लाभार्थी एवं वर्ष 2011-12 में 03 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस योजनान्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण किसी लाभार्थी को लाभ नहीं दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के सी0ओ0डी0 से नया सेण्टर तक सड़क निर्माण व गलियों की सफाई कराये जाने की मांग

92-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के वार्ड 54 बाबूपुरवा कालोनी में सी0ओ0डी0 6 नं0 गेट चौराहा से नया सेण्टर पार्क तक की सड़क के निर्माण एवं अंशुमान गौसिया के पीछे गलियों में सिल्ट सफाई न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

वार्ड 54 बाबूपुरवा कालोनी के सी0ओ0डी0 6 नम्बर गेट चौराहे से नया सेन्टर पार्क तक की सड़क नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के न्यू पी0ए0सी0 लाइन कोयला नगर के कच्चे मार्ग को पक्का कराये जाने की मांग

93-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53 म0नं0-22 से म0नं0-27 तक आदर्श विहार न्यू0 पी0ए0सी0 लाइन कोयला नगर में कच्चे मार्ग के होने से जनता को कठिनाइयां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों को पक्का करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत वार्ड 53 म0नं0 22 से म0न0 27 तक आदेश विहार यू0पी0ए0सी0 लाइन कोयला नगर का मार्ग निजी क्षेत्र की अविकसित सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या 5097/9-अ-3-2001, दिनांक 26-05-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमतीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है चूंकि क्षेत्र निजी सोसाइटी के अन्तर्गत आता है व नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं है। अतः प्रश्नगत क्षेत्र के विकास का दायित्व कानपुर नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के पो0 भगुरा कलवारी के श्री चन्द्र भूषण पुत्र श्री सरजू श्रीवास्तव को चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता दिलाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

94-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बस्ती के श्री चन्द्रभूषण पुत्र श्री सरयू श्रीवास्तव, ग्राम चकदहा, पो0-भगुरा, कलवारी को चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/क-5नं0-151655/213, दिनांक 25-04-2013 जिला अधिकारी, जनपद-बस्ती को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा जांच कराई गयी। जांचोपरान्त पाया गया कि श्री चन्द्रभूषण पुत्र श्री सरजू प्रसाद का इलाज नहीं चल रहा है, बल्कि आवेदक के भाई श्री शिव भूषण पुत्र श्री सरजू प्रसाद का इलाज चल रहा है। तद्नुसार जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा श्री शिवभूषण पुत्र श्री सरजू प्रसाद श्रीवास्तव ग्राम चकदहा, पो0 भंगुरा, कलवारी, तहसील-सदर, जिला बस्ती के हृदय रोग उपचार हेतु मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता स्वीकृत करने की संस्तुति की गयी, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से श्री शिव भूषण पुत्र श्री सरजू प्रसाद के उपचार हेतु रु0 45,000/-(रु0 पैतालिस हजार मात्र) की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर शासनादेश संख्या एफ-118/48 मु0म0का0-लेखा (वि0को)/2013, दिनांक 5 अगस्त, 2013 द्वारा चिकित्सा अधीक्षक, डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, नई दिल्ली को प्रेषित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के शहीद पार्क का निर्माण कराये जाने की मांग

95-श्री राधेश्याम जायसवाल-

क्या नगर रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर के शहीद पार्क (लालबाग पार्क) में डूडा विभाग से आडिटोरियम हाल का निर्माण कार्य 02 वर्ष पूर्व शुरू कराकर (मात्र नींव भराकर) बंद कर दिया गया है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद सीतापुर के शहीद पार्क (लालबाग पार्क) में आडिटोरियम हाल का निर्माण कार्य डूडा, सीतापुर को नगर पालिका परिषद्, सीतापुर से ''अवस्थापना विकास निधि'' के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था के रूप में सौंपा गया था। योजना की लागत रु0 83.11 लाख स्वीकृत थी जिसके सापेक्ष डूडा, सीतापुर को मात्र रु0 10.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। उक्त के सापेक्ष डूडा सीतापुर द्वारा रु0 9.24 लाख का व्यय कर नींव स्तर तक कार्य किया जा चुका है।

नगर पालिका परिषद्, सीतापुर से अवशेष धनराशि प्राप्त होने पर अवशेष कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना की पुलिस चौकी बी0एच0ई0एल0 को थाना बनाये जाने की मांग

96-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की बबीना विधान सभा क्षेत्र के बिजौली बी0एच0ई0एल0 औद्योगिक क्षेत्र के मध्य में स्थित बी0एच0ई0एल0 पुलिस चौकी जो थाना बबीना एवं चिरगांव से 30 कि0मी0 दूरी पर है और यह क्षेत्र मध्य प्रदेश सीमा से तीन ओर से घिरा होने के कारण यहां पर सीमावर्ती अपराध चरम पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार दूरी एवं औद्योगिक क्षेत्र के परिवेश को देखते हुये पुलिस चौकी बी0एच0ई0एल0 को थाना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

पुलिस चौकी वी0एच0ई0एल0 (भेल) थाना बबीना से 12 किमी0 दूरी पर स्थित होने तथा पुलिस चौकी वी0एच0ई0एल0 क्षेत्र में अपराधों की स्थिति को देखते हुये रिपोर्टिंग पुलिस चौकी वी0एच0ई0एल0 को थाना बनाये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र बाबू पुरवा कालोनी से शिव कटरा चरारी तक रोड का निर्माण कराये जाने की मांग

97-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड नं0-54 बाबू पुरवा कालोनी में ब्लाक-26 से 28 तक सी0सी0 रोड के किनारे फुटपाथ न होने एवं वार्ड 31 बाबू पुरवा बगाही भट्ठा में मलिन बस्ती के बीच-बीच में म0नं0 130/389 से 130/531 तक, 130/586 ई से 130/600 ए तक, 130/376 बी से 130/786 तक, 130/30 से 130/31 तक, 130/43 सी से 130/58 तक, 130/386 से 130/366 तक एवं वार्ड नं0 44 चरारी में शिव कटरा-चरारी तक रोड के निर्माण न होने से आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोड का निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

वार्ड 54 बाबूपुरवा कालोनी में ब्लाक 26 से 28 तक सी0सी0 रोड के फुटपाथ एवं वार्ड 31 बाबूपुरवा बगाही भट्ठा में मलिन बस्ती के बीच-बीच में एवं वार्ड नं0 44 चरारी में शिवकटरा-चरारी तक सड़कों के सुधार का कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के जानकी मन्दिर की मूर्तियों की चोरी सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

98-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम पंचायत लक्खारामपुरवा (वि0ख0-विशेश्वरगंज) स्थित प्राचीन राम जानकी मन्दिर से चोरी हुई दुर्लभ अष्टधातु की मूर्तियों को बरामद किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0 हि0/12-13/क-5 नं0-157322/3034, दिनांक 4-2-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

श्री पूजा राम पाठक के लिखित सूचना पर दिनांक 11.10.2012 को थाना विशेश्वरगंज पर मु0अ0सं0-378/2012, धारा-457/380 भा0द0वि0 विरुद्ध अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अपराध के अनावरण का प्रयास किया गया तथा श्री रामजानकी व श्री लक्ष्मण की मूर्तियों को बरामद करने कर प्रयास किया गया, परन्तु सफलता प्राप्त नहीं हुई। दिनांक 24.04.2013 को अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम पंचायत रूकनापुर के कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने की मांग

99-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप -

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रूकनापुर (वि0ख0-पयागपुर) के मुख्य मार्ग रूकनापुर में स्थित कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0 हि0/12-13/क-5 नं0-323463/4066, दिनांक 21-4-2013 उन्हे प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नही।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के ओमपुरवा से विनय दाल मिल के पीछे सीवर लाइन डलवाये जाने की मांग

100-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड नं0-44 ओमपुरवा में जखोड़िया कम्पाउण्ड, विनय दल मिल के पीछे प्लाट नं0-2 से

प्लाट नं0 72 तक सीवर लाइन न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त स्थान पर सीवर लाइन डलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अन्तर्गत सीवरेज वर्क्स इन सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1, कानपुर के 34 वार्डों में सीवर लाइन बिछाने एवं तत्संबंधित कार्यों का प्राक्कलन अनुमानित लागत रु0 443.33 करोड़ विरचित कर मिशन निदेशक, नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है। उक्त प्राक्कलन में छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 44 ओमपुरवा में जखोड़िया कम्पाउण्ड विनय दाल मिल के पीछे प्लाट नं0 2 से 72 तक सीवर लाइन बिछाने का कार्य भी सम्मिलित किया गया है।

भारत सरकार को प्रेषित परियोजना की स्वीकृति मिलने तथा धनावंटन के पश्चात ही कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के देहली सुजानपुर में पानी की टंकी के सामने सड़क निर्माण की मांग

101-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53 में के0डी0ए0 कालोनी डिवाइडर रोड देहली सुजानपुर में पानी की टंकी के सामने दोनों गलियों में नाली एवं सड़क, न्यू आजाद नगर में भूतेश्वरी मन्दिर से सतबरी रोड एवं दुर्गेश्वर प्रसाद के घर तक सड़क निर्माण न होने से जनता को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

वार्ड 53 के0डी0ए0 कालोनी डिवाईडर रोड देहली सुजानपुर में पानी की टंकी के सामने दोनों गलियों में नाली एवं सड़क का निर्माण वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है। न्यू आजाद नगर में भूतेश्वरी मन्दिर से सतम्बरी रोड एवं दुर्गेश्वर प्रसाद के घर तक सड़क निजी क्षेत्र की अविकसित सोसायटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या 5097/9-अ-3-2001, दिनांक 26-05-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। चूंकि क्षेत्र निजी सोसाइटी के अन्तर्गत आता है व नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं है। अतः प्रश्नगत क्षेत्र के विकास का दायित्व कानपुर नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

गोमती नदी को प्रदूषण से बचाने के उपाय

102-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में स्थित गोमती नदी का पानी की जल संस्थान द्वारा शहर के निवासियों को आपूर्ति की जाती है ? क्या गोमती नदी सात बड़े गन्दे नालों द्वारा शहर का उत्प्रवाह प्रतिदिन गिराये जाने से नदी प्रदूषित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार गोमती नदी को प्रदूषण से बचाने एवं उक्त नालों के गन्दे उत्प्रवाह को रोकने के लिए कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर निगम, लखनऊ की सीमा के अन्तर्गत जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ द्वारा पेयजलापूर्ति की जाती है। प्रथम जलकल एवं द्वितीय जलकल द्वारा जलापूर्ति हेतु गोमती नदी से कच्चा जल प्राप्त किया जाता है एवं प्राप्त कच्चे जल में रसायनों के समुचित मिश्रण एवं जल शोधन प्रक्रिया के उपरान्त शुद्ध, स्वच्छ एवं क्लोरीनयुक्त पेयजल आपूर्ति जलकल विभाग द्वारा की जाती है।

गोमती प्रदूषण नियन्त्रण परियोजना के प्रथम चरण में 7 नालों (गऊघाट नाले को सम्मिलित करते हुए) में से 6 नालों में हनुमान सेतु के अपस्ट्रीम, गऊघाट, नगरिया, सरकटा, पाटा, वजीरगंज, घसियारी मण्डी नालों का कुल सीवेज लगभग 136.41 एम0एल0डी0 सिस गोमती पम्पिंग स्टेशन पर डायवर्ट कर दिया गया है तथा नालों के माध्यम से यह सीवेज अब गोमती में नहीं जा रहा है। इसमें से 56 एम0एल0डी0 दौलतगंज एस0टी0पी0 से शोधित कर नदी में डाला जा रहा है एवं शेष सीवेज ट्रंक सीवर द्वारा सिस साइड के एस0टी0पी0 पर भेजा जा रहा है, जहां से ग्वारी पम्पिंग स्टेशन होते हुए भरवारा एस0टी0पी0 (345 एम0एल0डी0) पर शोधन हो रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में पात्र महिलाओं को विधवा पेंशन दिये जाने की मांग

103-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में वर्ष 2012-13 में ब्लाकवार तथा ग्राम सभावार किन-किन महिलाओं को विधवा पेंशन दी गयी है तथा कितनी शेष है ? क्या सरकार शेष बची पात्र महिलाओं को भी पेंशन की सुविधा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी-

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में वर्ष 2012-13 में विकास खण्ड मोहम्मदी में 2240 तथा विकास खण्ड पसगवॉ में 1676 लाभार्थियों को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ दिया गया है। (ब्लाक व ग्रामवार लाभार्थियों की सूची संलग्न है।) विकास खण्ड मोहम्मदी एवं पसगवॉ में कुल 488 लाभार्थी अवशेष है।

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के वार्षिक सत्यापन के उपरान्त मृतक/अपात्र लाभार्थियों की रिक्ति के सापेक्ष विधवा पेंशन के लाभार्थियों को नियमानुसार लाभान्वित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

104-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

(पहले गुरूवार के अता0 प्र0सं0-169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

कानपुर के शहीद मणि प्रसाद पाठक सी0ओ0 पुलिस की विधवा को मृतक आश्रित को ओ0एस0डी0 पद पर नियुक्ति विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

105-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहीद मणि प्रसाद पाठक सी0ओ0 पुलिस कानपुर की विधवा को उ0प्र0 मृतक आश्रित सेवा नियमावली, 1974 के अन्तर्गत पद की प्रतिष्ठा के अनुरूप ओ0एस0डी0 पद पर पुलिस अथवा अन्य किसी विभाग में मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति प्रदान करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 27.5.2013 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा उनके पत्र दिनांक 27.05.2013 में की गयी अपेक्षा के क्रम में अवगत कराना है कि पुलिस विभाग के अन्तर्गत विद्यमान पुलिस माडर्न स्कूल तथा पुलिस ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट एवं पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय में ओ0एस0डी0 के समकक्ष प्रवक्ता के पद पर सेवायोजित किया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि:-

1-पुलिस माडर्न स्कूल, पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक अंशदान से संचालित किया जाता है, जो पुलिस विभाग की गैर सरकारी संस्था है, जिसमें अनुबंध के आधार पर अस्थायी नियुक्तियाँ प्रदान की जाती है।

2-पुलिस ट्रेनिंग स्कूल एवं पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय में शिक्षक का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

3-जहाँ तक अन्य किसी विभाग में श्रीमती मधुलिका पाठक को सेवायोजित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में शासन के पत्र संख्याः 1618/छः पु0से0-1-13-पीएफ5/2009, दिनांक 20.06.2013 तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 26.07.2013 एवं 11.09.2013 द्वारा शिक्षा विभाग में बी0एड0 कालेज में ओ0एस0डी0 के समकक्ष प्रवक्ता के पद पर रिक्तियों की स्थिति तथा उन पर नियुक्ति के लिये शिक्षा विभाग की सहमति हेतु उच्च शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से सूचना मांगी गयी है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर प्रकरण में अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विज्ञापन नीति के अन्तर्गत विज्ञापन लगाये जाने का प्राविधान

106-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के नगरों में कोई विज्ञापन नीति लागू है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? क्या उसमें सड़क, फुटपाथ, पटरियां, विद्युत खम्भों, सार्वजनिक परिसर एवं भवनों में होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर आदि लगाना अनुमन्य है ? यदि नहीं, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्राविधानित है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 193 में नगर आयुक्त की अनुमति से विज्ञापन लगाये जाने का प्राविधान है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में मान्यवर काशीराम दलित बाहुल्य समग्र विकास योजना के कार्यों का कथित प्रकरण

107-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में मान्यवर कांशीराम दलित बाहुल्य समग्र विकास योजना के माध्यम से कराये जा रहे विकास कार्य अवशेष एवं अधूरे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे कार्यों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की कतिपय कालोनियों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं बहाल करने की मांग

108-डा0 अरूण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली शहर में बसी हुई कालोनियां संजयनगर, मिथिलापुरी की सावरकर नगर, सुर्खा, इन्दिरा नगर आदि में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का अभाव है? यदि हां, तो क्या सरकार उन कालोनियों को वैध कालोनी घोषित करते हुए मूलभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रश्नगत कालोनियां इन्द्रानगर के अतिरिक्त अविकसित एवं अवैध कालोनी की श्रेणी में है, जिसके कारण इन कालोनियों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का अभाव है। जहाँ तक नवविकसित

कालोनियों की वैधता का प्रश्न है, उक्त कालोनियों के रेगुलराईजेशन का कार्य बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली की अधिकारिता के अधीन आता है। उक्त कालोनियों के विधिवत् रेगुलराईजेशन व नगर निगम को हस्तान्तरण के उपरान्त नगर निगम द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित विकास कार्य कराये जायेंगे। इन्द्रानगर में क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधार हेतु लगभग 15.00 लाख रु0 12.85 लाख के दो प्रस्ताव अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत तैयार किये जा चुके हैं, जिसकी स्वीकृति उपरान्त कार्य प्रारम्भ कराये जा सकेंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

109-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-123 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा के कावेरी कुंज फेस प्रथम व द्वितीय में जर्जर नालियों एवं सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

110-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में कावेरी कुंज फेज-प्रथम व द्वितीय की जर्जर सड़कों एवं नालियों की मरम्मत विगत 5 वर्षों से नहीं करायी गयी है? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़कों व नालियों की मरम्मत कब तक करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आगरा में काबेरी कुंज फेस-प्रथम व द्वितीय में जल निगम द्वारा सीवर की लाइन डाली गयी थी तथा खोदी गयी सड़क की ट्रेंच की मरम्मत करायी गयी थी। कावेरी कुंज फेस-प्रथम व द्वितीय की सड़कों पर नगर निगम द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार पैच मरम्मत कराया जाता है। उक्त सड़क के सुदृढ़ीकरण हेतु आगणन धनांक रु0 81.50 लाख का तैयार किया गया है। कावेरी कुंज फेस-प्रथम व द्वितीय की सड़कों एवं नालियों की मरम्मत का कार्य सुनिश्चित मद में धन की उपलब्धता होने पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की कतिपय कालोनियों में जर्जर सड़कों व नालियों की मरम्मत कराये जाने की मांग

111-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में लायर्स कालोनी, न्यू लायर्स कालोनी एवं कैलाश विहार कालोनी की आन्तरिक जर्जर सड़कों व नालियों की मरम्मत कार्य सरकार कब तक करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आगरा की लायर्स कालोनी, न्यू लायर्स कालोनी की आन्तरिक सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है समय-समय पर क्षतिग्रस्त सड़कों पर आवश्यकतानुसार नगर निगम द्वारा पैच वर्क कराया जाता रहता है।

कैलाश विहार कालोनी की आन्तरिक सड़कों की मरम्मत हेतु नगर निगम द्वारा धनांक रु0 9,79,700.00 का आगणन स्वीकृत किया गया है, जिसकी निविदा दिनांक 24.08.2013 को आमंत्रित की गयी है। निविदा प्राप्त होने पर स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद मलिन बस्ती में राजीव आवास योजना लागू करने की मांग

112-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय नगर अल्लापुर, इलाहाबाद मलिन बस्ती में राजीव आवास योजना लागू करने हेतु राजकीय आस्थान तथा रेल विभाग से भूमि दिलवाने विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 5-12-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। संदर्भित पत्र दिनांक 5.12.2012 के क्रम में राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा नगरीय विकास अभिकरण, इलाहाबाद को प्रकरण के परिपेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये जिसके अन्तर्गत उल्लिखित संजय नगर बस्ती के भूखण्डों का नक्शा, राजस्व अभिलेख एवं आख्या तैयार की गयी। राजस्व विभाग के अधिकारियों की आख्या में संजय नगर झुग्गी-झोपड़ी अल्लापुर में स्थित होना दर्शाते हुए अवगत कराया गया कि उक्त बस्ती का मालिकाना हक राज्य सरकार का होने के साथ ही उसका कुछ हिस्सा रेलवे के अन्तर्गत आता है। अतएव राजीव आवास योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षित की गयी उक्त मलिन बस्ती में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

उ0प्र0 पुलिस भर्ती के बर्खास्त व सेवा में लिए जाने तक समयान्तराल का वेतन भत्ता दिये जाने की मांग

113-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 पुलिस के 2005-06 में भर्ती लगभग 18 हजार सिपाही पूर्व की सरकार ने 11 सितम्बर, 2007 को बर्खास्त किया और मा0 सर्वोच्च नयायालय के आदेश से 01 जून, 2009 को पुनः सेवा में लिया गया? क्या सरकार बतायेगी कि इन कर्मियों को बर्खास्तगी से पुनः सेवा में लिये जाने तक समयान्तराल का वेतन भत्ता दिये जाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

हाँ। यह वित्तीय और विधिक परीक्षण कर निर्णीत होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के शहरी ग्रामों को नगर निगम सीमा में शामिल करने की मांग

114-श्री दलवीर सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के द्वितीय सोमवार के अता0प्र0सं0-36 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के शहरी ग्रामों को अलीगढ़ नगर निगम की सीमा में शामिल किये जाने हेतु सर्वेक्षण की आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। राजस्व विभाग (तहसील कोल) से सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। सर्वेक्षण की आख्या प्राप्त होने पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के जवाहर नगर कालोनी की पुरानी सीवर लाइन को बदलवाने की मांग

115-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के खन्दारी क्षेत्र में निर्मित जवाहर नगर कालोनी की पुरानी एवं खराब सीवर लाइन के स्थान पर नई सीवर लाइन डलवायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

यह कालोनी पूर्व से सीवर व्यवस्था से आच्छादित है एवं इसका रख-रखाव जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा द्वारा किया जा रहा है।

जनपद आगरा में सड़कों पर अतिक्रमण हटवाये जाने की मांग

116-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा की सड़कों पर अतिक्रमण किये जाने के कारण घण्टों जाम की स्थिति बनी रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर आगरा को अतिक्रमण से मुक्त करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर निगम द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों/मुख्य मार्गों पर अभियान चलाकर स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण हटाये गये हैं। समय-समय पर नगर निगम द्वारा अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया जाता है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न मार्गों पर वाहनों की संख्या में वृद्धि हो जाने से यातायात पर बहुत अधिक दबाव हो जाने के कारण जाम की स्थिति बन जाती है। सड़कों के किनारे हथ ठेला, रिक्शा, खौमचे आदि लगाकर सामान की बिक्री की जाती है, जिन्हें समय-समय पर हटा दिया जाता है और पुनः अस्थायी रूप से लग जाते हैं, जिन्हें समय-समय पर हटाने की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा शहर के बाहर जानवरों के तबेले बनवाये जाने की मांग

117-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐतिहासिक नगर आगरा में भैंस व गाय हजारों की संख्या में सड़क पर गन्दगी फैलाकर बीमारियों को बढ़ाती है? यदि हां, तो क्या सरकार इनके लिए शहर से बाहर तबेले बनवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आगरा नगर निगम, द्वारा नगर क्षेत्र से गाय, भैसों एवं डेरी (तबेलों) को शहर से बाहर बनवाने के संबंध में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है, दिनांक 01 जनवरी, 2013 से अगस्त, 2013 तक 196 आवारा जानवर पकड़े गये तथा रु0 30,700/- जुर्माने की वसूली की गयी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की आयु सीमा में वृद्धि की मांग

118-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार नियुक्ति सीमा की वृद्धि के अनुरूप अधिवर्षता आयु में भी वृद्धि करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

जी नहीं।

राज्याधीन सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु लोकहित में 60 वर्ष निर्धारित है।

जनपद अलीगढ़ में दयौरऊ चण्डौस मार्ग के मरम्मत की मांग

119-श्री दलवीर सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के द्वितीय सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-77 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में एन0एच0 91 से दयौरऊ चण्डौस मार्ग के मरम्मत की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है? यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्रामीण अभियंत्रण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

जी हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पैकेज सं0 यू0पी0 0221 के अन्तर्गत, एन0एच0-91 से दयौरऊ चण्डौस मार्ग की लम्बाई 18.00 कि0मी0 में वर्ष फरवरी, 2009 में निर्माण कार्य कराया गया है, जो कि अनुरक्षण अवधि के अन्तर्गत है। वर्तमान में मार्ग क्षतिग्रस्त है।

ठेकेदार द्वारा पूर्व में कार्य प्रारम्भ कर आंशिक कार्य करने के बाद, बन्द कर दिया गया था। वर्षा ऋतु होने के कारण सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अनुरक्षण कार्य तीन माह में पूर्ण कराने हेतु विभाग को पुनः लिखित आश्वासन दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के पारा स्थित शुक्ला विहार कालोनी से पारा गांव वाली सड़क के किनारे नाली निर्माण की मांग

120-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ के पारा में स्थित शुक्ला विहार कालोनी में बालाजी ट्रेडर्स की दुकान से पारा गांव की ओर जाने वाली सड़क के किनारे नाली न होने के कारण सड़क पर जल भराव की समस्या बनी रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु सड़क के दोनों तरफ नाली का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कालोनी प्राईवेट कालोनाईजर द्वारा भूखण्ड विक्रय कर बसायी गयी अविकसित कालोनी है जिसका भूविन्यास मानचित्र स्वीकृत नहीं है। ऐसी कालोनियों में विकास कार्य कराने का दायित्व सम्बन्धित कालोनाईजर अथवा लखनऊ विकास प्राधिकरण का है।

सिविल जज (जू0डि0) के पदों पर नियुक्ति विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

121-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा 2003 के आधार पर सिविल जज (जू0डि0) के पदों पर नियुक्ति विषयक मा0 नेता विरोधी दल का पत्र 1409/ने0वि0 दल 2013, दिनांक 05-06-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं? तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा आई0ए0 संख्या 18-23/2007 इन रिट पिटीशन संख्या 165/2005, संजय सिंह व अन्य बनाम लोक सेवा आयोग व अन्य में यह आदेश पारित किया गया है कि उन्हीं याचीगण को अनुतोष प्रदान किया जायेगा जिन्होंने उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में 31-08-2005 के पहले रिट याचिका दायर की हो। चूँकि मा0 नेता विरोधी दल के पत्र दिनांक 05-06-2013 के साथ संलग्न प्रत्यावेदकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय

में दिनांक 31-08-2005 के पूर्व कोई याचिका दायर नहीं गयी है, अतः उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मोदी नगर के नगरपालिका ठेकेदारों द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

122-श्री सुदेश शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका मोदीनगर के ठेकेदारों द्वारा वर्ष 2012 में कराये गये कार्यों का भुगतान करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 377/रालोद/वि0म0द0/2013, दिनांक 18-2-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

उक्त पत्र दिनांक 18.2.2013 एवं तत्क्रम में प्राप्त अन्य पत्रों के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, गाजियाबाद से जाँच कराई गयी। प्राप्त जाँच आख्या के आधार पर प्रश्नगत भुगतान के सम्बन्ध में शासन द्वारा यथोचित निर्देश निर्गत किये गये किन्तु शासन के निर्देशों का अनुपालन न किये जाने पर शासनादेश दिनांक 5.6.2013 द्वारा अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, मोदीनगर के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को प्रविरत करते हुए, कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के अनेक तिराहों आदि पर ट्रैफिक लाइट लगाये जाने की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी

123-श्री दलवीर सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2012 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 193 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के सारसौल, नादापुल, मसूदाबाद, रसलगंज, दूबे का पड़ाव, एटा, चुंगी, शासनी गेट, क्वार्सी, दोदपुर चौराहा तथा कबर कुत्ता, किशनपुर, गांधी आई तिराहे पर ट्रैफिक लाइट अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा लगाये जाने की वित्तीय वर्ष 2013 तक की प्रगति रिपोर्ट सरकार सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद अलीगढ़ के सारसौल, नादापुल, मसूदाबाद, रसलगंज, दुबे का पड़ाव, एटा चुंगी, सासनी गेट, क्वार्सी, दोदपुर चौराहा, कबर कुत्ता, किशनपुर, गांधी आई तिराहे पर ट्रैफिक लाइट लगाये जाने हेतु अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, नगर निगम अलीगढ़ एवं मै0 साई श्याम क्रियेटर्स के मध्य दिनांक 01.11.2012 को अनुबन्ध निष्पादित हुआ था। अनुबन्ध के अनुसार मै0 साई श्याम क्रियेटर्स द्वारा उक्त कार्य किया जाना था, परन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य करने में रूचि नहीं ली गयी तथा निर्धारित समयावधि में प्रश्नगत कार्य आरम्भ नहीं किया गया जिस कारण मै0 साई श्याम क्रियेटर्स के

पक्ष में निष्पादित अनुबन्ध जमानत धनराशि जब्त करने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया। प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में उक्त कार्य नहीं कराया जा रहा है।

जनपद अलीगढ़ के जी0टी0रोड नौरंगाबाद से पानी की टंकी तक सड़क एवं नाली की मरम्मत कराये जाने की मांग

124-श्री दलवीर सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम अलीगढ़ में जी0टी0 रोड नौरंगाबाद से पानी की टंकी तक सड़क एवं नाली क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो सरकार इसकी मरम्मत करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर निगम, अलीगढ़ में जी0टी0 रोड नौरंगाबाद से पानी की टंकी तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण का कार्य आवास विकास परिषद् द्वारा कराया जा रहा है, जो वर्तमान में प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के झुगिया एवं नौतन में जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कराये जाने की मांग

125-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के झुगिया एवं नौतन क्षेत्र में जल निकासी हेतु संचालित नाला बन्द कर देने से पूरे क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति बनी रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार जल जमाव की समस्या समाप्त करने हेतु वहां नाले का निर्माण करायेगी, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हाँ।

प्रथम चरण में मेडिकल कालेज के अन्दर बाउन्ड्रीवाल के किनारे 400 मीटर नाले का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष नाला निर्माण की कार्यवाही चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के सेवरही नगर पंचायत में आई0एल0सी0एस0 योजनान्तर्गत शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण कराने की मांग

126-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के राज्य नगरीय अभिकरण (सूडा) द्वारा आई0एच0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर के सेवरही नगर पंचायत में वर्ष 2009-10 में 100 आवास के लिए 136.80 लाख स्वीकृत थे एवं आई0एल0सी0एस0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 235 यूनिट शुष्क शौचालय को जल प्रवाहित में परिवर्तन हेतु धन स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो क्या इन दोनों परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद कुशीनगर की नगर पंचायत सेवरही में 100 आवासों के निर्माण हेतु वर्ष 2010-11 में रु0 177.30 लाख स्वीकृत हुआ था। आई0एल0सी0एस0 योजनान्तर्गत 235 शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालय निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत हुई थी।

आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत स्वीकृत कुल आवास 100 के सापेक्ष सम्प्रति 81 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 19 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आई0एल0सी0एस0 योजनान्तर्गत कुल प्रस्तावित 235 शुष्क शौचालयों के सापेक्ष सभी 235 शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किया जा चुका है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में मदरसा शिक्षकों का मानदेय भुगतान कराये जाने की मांग

127-श्री अजय कुमार 'लल्लू-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षकों का मानदेय विगत कई वर्षों से नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्या इन शिक्षकों के मानदेय का भुगतान सरकार करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं, मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को मानदेय पर रखा जाता है, जिसके लिए शत-प्रतिशत धनराशि भारत सरकार से दिये जाने की व्यवस्था है। भारत सरकार द्वारा अब तक जितनी अवधि की धनराशि स्वीकृत कर निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से संबंधित शिक्षकों को उपलब्ध करा दी गयी है।

भारत सरकार से जैसे-जैसे धनराशि प्राप्त होती है, उसी के अनुरूप तत्परता से धनराशि निर्गत कर दी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में गुमशुदा की रिपोर्ट एवं बरामदगी का विवरण तथा इसे रोकने के उपाय

128-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में माह मार्च, 2012 से 10.6.2013 तक कितने महिलाओं/लड़कियों/पुरुषों/लड़कों की गुमशुदा की रिपोर्ट विभिन्न थानों पर पंजीकृत हुए हैं तथा अब तक कितने गुमशुदों की बरामदगी हुयी है? क्या सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद सोनभद्र के विभिन्न थानों में दिनांक 1.03.2012 से दिनांक 10.06.2013 तक कुल गुमशुदा/कुल बरामदगी/शेष बरामदगी का विवरण-

	पुरुष	महिला	लड़का	लड़कियॉ	योग
गुमशुदा का विवरण	47	34	42	27	150
बरामदगी का विवरण	29	24	32	19	104
शेष बरामदगी का विवरण	18	10	10	08	46

जनपद स्तर पर गुमशुदा सेल का गठन किया गया है, थाना स्तर पर बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त हैं, प्रत्येक थाने पर गुमशुदा रजिस्टर बना हुआ है, जिसकी समय-समय पर गुमशुदा सेल (डीसीआरबी) द्वारा मानीटरिंग की जाती है।

जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरौव्वा के अन्दर तासका में लगे गन्दा प्लान्ट की जांच करा कार्यवाही की मांग

129-श्री अली यूसुफ अली-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरौव्वा के अन्दर तासका में लगे गन्दा प्लान्ट से दो कि0मी0 तक बदबू आती है एवं प्रदूषण से नेशनल हाई-वे पर लोगों का वहां से गुजरना मुश्किल है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्लान्ट की जांच कराकर प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा प्रकरण की जांच की गई तथा उक्त स्थल पर संचालित उद्योग मे0 ए0एम0क्यू एग्रो इंडिया को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/25 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अनुपालन हेतु पत्र संख्या 1877/सी-3-जनरल, दिनांक 31-08-2013 द्वारा उद्योग का संचालन न करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के ग्राम बेरी थाना फरह में तेल के भण्डार में आग लगने से मृतक आश्रितों को राहत व तेल माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही

130-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के ग्राम बेरी, थाना फरह में वर्ष 2000 में अवैध तेल भण्डार में आग लगने से 60 ग्रामीण व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके आश्रितों के जीवन यापन के लिए कोई योजना बनायेगी एवं जनपद

मथुरा में अवैध तेल माफियाओं के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मथुरा के थाना फरह क्षेत्र के ग्राम बेरी में डीजल फुटकर बिक्रेता की दुकान में दिनांक 03.05.2000 को हुए भीषण अग्निकांड में 55 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फरह पर मु0अ0सं0 74/2000 धारा 304ए/336/337/338/427 भादवि बनाम 1-घूरेलाल वाल्मीकि, 2-नाहर निवासीगण ग्राम बेरी थाना फरह, जनपद मथुरा पंजीकृत होकर विवेचना सम्पादित की गयी। अभियुक्त नाहर सिंह जी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। अभियुक्त घूरे लाल ने मा0 न्यायालय से जमानत करा ली गयी है। विवेचक द्वारा मुकदमा में अन्तिम रिपोर्ट सं0 06 दिनांक 31-08-2000 को प्रेषित की गयी है।

इस भीषण अग्निकाण्ड के पीड़ितों में कमाने वाले व्यक्तियों को 01 लाख रु0 तथा गैर कमाने वाले व्यक्तियों को 50 हजार रुपये राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। प्रकरण में तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक के विरुद्ध भी कार्यवाही की गयी। निरोधात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत जनपद मथुरा के थाना कोतवाली पर दिनांक 26-03-11 को मु0अ0सं0 301/11 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम बनाम 11 मनोज कुमार अग्रवाल, 2-देवेन्द्र पंजीकृत कर गैगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा रिफाइनरी से तेलों की चोरी में लिप्त लोगों के विरूद्ध कार्यवाही

131-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा रिफाइनरी से निकले विभिन्न प्रकार के तेलों (कैरोसीन, डीजल, नैफ्था एवं कोलतार, डामर) आदि की चोरी कर इसका भूमिगत भण्डार कर (मिश्रण) तैयार करके अवैध रूप से प्रदेश तथा प्रदेश से बाहर फैक्ट्रियों को भेजा जाता है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसमें लिप्त लोगों के विरुद्ध पिछले 5 वर्ष में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मथुरा में ऐसे प्रकरणों में विगत पांच वर्षों में जनपद के विभिन्न थानों पर कुल 60 अभियोग भादवि एवं ई0सी0 एक्ट के अन्तर्गत सम्बन्धित/संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किये गये हैं। विवेचना से अपराध प्रमाणित होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध विवेचक/स्थानीय पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही कर उसके खिलाफ आरोप-पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया तथा मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र सुम्मेर सिंह अग्रवाल निवासी ग्राम बेरी, थाना फरह जनपद मथुरा हाल 53 यमुना धाम गोवर्धन चौराहा, थाना हाइवे, मथुरा एवं देवेन्द्र पुत्र कप्तान निवासी गांव भैसा थाना रिफाइनरी, मथुरा के विरुद्ध वर्ष 2011 में कोतवाली मथुरा में मु0अ0सं0 301/11 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधि0 के अन्तर्गत पंजीकृत कर कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के पारा स्थित बालाजी ट्रेडर्स की दुकान से पारा गांव की ओर की सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

132-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ के अन्तर्गत पारा में स्थित शुक्ला विहार कालोनी में बालाजी ट्रेडर्स की दुकान से पारा गांव की ओर जाने वाली सड़क पर जल भराव के कारण गड्ढा युक्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कालोनी प्राईवेट कालोनाईजर द्वारा भूखण्ड विक्रय कर बसायी गयी अविकसित कालोनी है जिसका भूविन्यास मानचित्र स्वीकृत नहीं है। ऐसी कालोनियों मे विकास कार्य कराने का दायित्व सम्बन्धित कालोनाईजर का है।

जनपद लखनऊ के शिवानी विहार कालोनी के हंस भक्ति धाम के सामने सीवर खुदाई से क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

133-श्री पूरन प्रकाश

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में स्थित शिवानी विहार कालोनी के सी ब्लाक पार्क के पास कुशवाहा जनरल स्टोर से हंस भक्ति धाम के सामने रिंग रोड को मिलाने वाला सीधा मार्ग वर्ष 2012 से सीवर खुदाई के बाद आंशिक/पूर्णतः क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की लेपन स्तर तक मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-3 पार्ट-1 परियोजना के अन्तर्गत शिवानी विहार कालोनी के सी-ब्लाक पार्क के पास कुशवाहा जनरल स्टोर से हंस भक्ति धाम के सामने रिंग रोड को मिलाने वाले सीधे मार्ग पर वर्ष 2011 में उ0प्र0 जल निगम द्वारा सीवर लाइन डालने का कार्य कराया गया था तथा तत्पश्चात् मार्ग कटिंग का रेस्टोरेशन वर्ष 2011 में नगर निगम, लखनऊ द्वारा की गयी थी। वर्तमान में रोड कटिंग के अलग बगल के भाग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा धन की उपलब्धता की स्थिति में कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर के कुरारा नगर पंचायत में श्रीराम प्यारे भरभूजा के घर के सामने स्थित कूड़ाघर अन्यत्र हटवाये जाने की मांग

134-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के कुरारा नगर पंचायत में रामप्यारे भरभूजा के घर के सामने रोड के बीच में स्थित कूड़ा घर से बीमारी फैलने की आशंका को देखते हुए उसे अन्यत्र हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

उक्त कूड़ा घर का निर्माण वर्ष 2010-11 में मोहल्ले से प्रतिदिन निकलने वाले कूड़े को एकत्र करने हेतु कराया गया था। एकत्र कूड़े को ट्रैक्टर ट्राली में भरकर नगर के बाहर निर्धारित स्थानों पर फेंक दिया जाता है। सफाई व्यवस्था के दृष्टिगत इस कूड़े घर को अन्यत्र हटाने की कोई योजना नहीं है।

''हमारी बेटी उसका कल'' योजना अन्तर्गत जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में धनराशि वितरण के सम्बन्ध में जानकारी

135-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ''हमारी बेटी उसका कल'' योजना में चयन हेतु जनपद स्तर पर किसी समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो चयन के मानक क्या है ? जनपद फैजाबाद की विधान सभा क्षेत्र रूदौली में कितने लोगों को उक्त धनराशि वितरित की गयी तथा कितने शेष हैं ? क्या शेष को मार्च, 2014 तक धनराशि वितरित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हाँ।

योजना के संचालनार्थ निर्गत शासनादेश सं0-1326/52-3-12-सा(2)/2012, दिनांक 14.08.2012 में व्यवस्थानुसार अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे अभिभावक जो उ0प्र0 के मूल निवासी है तथा जिनकी वार्षिक आय रु0 36,000/- से अधिक नहीं है, की पुत्री द्वारा उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा उ0प्र0 संस्कृत शिक्षा परिषद् की मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था से कक्षा-10 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु एक मुश्त अनुदान उपलब्ध बजट के सापेक्ष ''प्रथम आवत प्रथम पावक'' के सिद्धान्त के अनुरूप लाभान्वित किये जाने की व्यवस्था है।

वर्ष 2012-13 में निर्धारित तिथि तक जनपद फैजाबाद में 1595 पात्र छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे। जनपद को 1002 छात्राओं को भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य आवंटित किया गया था। उक्त लक्ष्य के सापेक्ष जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त जनपद फैजाबाद की 1002 छात्राओं के लाभान्वित किया गया था। लाभान्वित होने वाली छात्राओं में रूदौली विधान सभा क्षेत्र की छात्रायें भी सम्मिलित थीं। शेष 593 छात्राओं को धनराशि उपलब्ध न होने के कारण लाभान्वित नहीं किया जा सका था।

जी नहीं।

योजना के सचांलानार्थ निर्गत शासनादेश सं0 1326/52-3-12-सा(2)/2012, दिनांक 14-08-2012 के प्रस्तर-2(5) में धनराशि का वितरण, ''प्रथम आवत प्रथम पावत'' के सिद्धान्त पर उपलब्ध बजट के सापेक्ष जिलाधिकारी के अनुमोदन से किये जाने की व्यवस्था है।

मथुरा से अलीगढ़, हाथरस मार्ग के राया कस्बे में जाम की समस्या के निराकरण की मांग

136-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में मथुरा से अलीगढ़, हाथरस सड़क मार्ग के मध्य राया कस्बे में तीन से चार घण्टे रोजाना लगने वाले जाम के समाधान के लिये सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, हो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मथुरा के थाना राया क्षेत्र के अन्तर्गत कस्बा राया क्षेत्र के अन्तर्गत कस्बा राया के मुख्य बाजार से होते हुए मथुरा से जनपद अलीगढ़ व हाथरस को जाने वाला सिंगल डाबर रोड है, जिस पर दोनों ओर से सभी बड़े एवं छोटे वाहनों का दिन/रात आवागमन बना रहता है। राया कस्बा के मध्य स्थित रोड के समानान्तर मथुरा से कासगंज/बरेली/लखनऊ को जाने वाली रेल लाइन भी है। कस्बा राया स्थित रेलवे लाइन व मुख्य रोड के किनारे मुख्य बाजार है तथा बाजार से लगी दोनों ओर घनी आबादी है। कस्बा राया से रेलवे क्रांसिग पार करते हुए कस्बा मांट व नौहझील/सुरीर आदि को जाने वाला सिंगल डाबर रोड है। साथ ही कस्बा राया से कस्बा बल्देव, महावन (जनपद-मथुरा) एवं कस्बा सादाबाद (जनपद-हाथरस) को जाने वाले सिंगल डाबर रोड भी है, जिन पर रात-दिन प्रायः सभी बड़े-छोटे वाहनों का आवागमन बना रहता है। कस्बा राया के अंतर्गत रेलवे लाइन के 04 फाटक/क्रांसिग है। कस्बा राया में स्थित रेलवे क्रांसिग क्रमशः मांट/कोयल/रेतिया/सूरज फाटक है। मांट एवं कोयल फाटकों से होते हुए अत्यधिक भारी एवं छोटे वाहनों का प्रायः आवागमन बना रहता है। रेल के आने/जाने पर ये सभी फाटक कुछ समय पूर्व बंद होने पर सभी प्रकार के वाहनों की लम्बी कतार रेलवे क्रांसिग से लेकर मुख्य रोड पर लग जाती है। इस कारण करीब 15-20 मिनट तक यातायात अवरूद्ध हो जाता है। किन्तु स्थानीय पुलिस एवं यातायात पुलिस द्वारा उसे अतिशीघ्र खुलवाया जाता है। ट्रेन आने के समय जब फाटक बन्द होता है तो वाहन बेतरतीब न खड़े हो एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए स्थानीय पुलिस एवं यातायात पुलिस की ड्यूटी लगायी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के लक्ष्मी तालाब पर भू-माफियाओं द्वारा हुए कब्जे से मुक्त कराये जाने की मांग

137-श्री रवि शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर में स्थित लक्ष्मी तालाब पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। नगर निगम, झांसी द्वारा लक्ष्मी तालाब का सीमांकन दिनांक 08-05-2013 को कराया गया था, जिसमें 60 किता रकबा 33.012 हे0 श्रेणी 6(1) दर्ज कागजात है, जिसका चिन्हांकन करते समय अस्थायी रूप से श्री धर्मेन्द्र पुत्र श्री महेश खटीक निवासी खटकयाना झांसी द्वारा 25x25 फुट पर 06 फीट ऊंची दीवार बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया था तथा श्रीमती विनीता पुत्री मुन्ना यादव निवासी बकरा मण्डी, झांसी द्वारा 30x20 फुट पर टपरा डालकर अवैध कब्जा कर लिया गया था। उपरोक्त दोनों अवैध कब्जों को ध्वस्त करा दिया गया था। वर्तमान में लक्ष्मी तालाब पर कोई अवैध कब्जा नहीं किया जा रहा है।

सरकार तालाबों पर अतिक्रमण हटाने का अनवरत अभियान चला रही है तथा तालाब को मूल स्वरूप में लाने हेतु कटिबद्ध है। उपरोक्त कार्यवाही उक्त अभियान के फलस्वरूप ही सम्पन्न की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में थाना व तहसील दिवस में समस्याओं के निस्तारण व जवाबदेही तय किये जाने की मांग

138-श्री अजय मिश्र 'टेन्नी'

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनता की समस्याओं के निस्तारण हेतु आयोजित थाना दिवस व तहसील दिवस में अधिकारियों की उदासीनता के कारण कार्य हो नहीं पाते हैं ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त कार्यक्रमों में प्राप्त समस्याओं से सम्बन्धित अधिकारियों की जवाबदेही तथा समस्या निस्तारण हेतु समय सीमा तय करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपदों में जनता की समस्याओं के निस्तारण हेतु आयोजित थाना दिवस तथा तहसील दिवस में अधिकारियों द्वारा संवेदनशीलता के साथ समस्याओं का निस्तारण कराया जाता है तथा समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की उदासीनता नहीं बरती जाती है।

अधिकारियों के द्वारा थाना दिवस व तहसील दिवस में जनता की शिकायतों को निर्धारित समयावधि अंकित करते हुये निस्तारण कराया जाता है। प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण में शिथिलता पाये जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये सम्बन्धित अधिकारी को दण्डित किये जाने की भी व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड में उच्च न्यायालय की बेन्च बनाये जाने की मांग

139-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड में हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय) की बेंच बनाये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 (संघ सूची) की प्रविष्टि संख्या-78 की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय, उसकी खण्डपीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु है अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

इस सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य मंत्री, उ0प्र0 द्वारा भारत के प्रधान मंत्री जी से दिनांक 7-11-1994 एवं दिनांक 5-9-1995 को यह अनुरोध किया गया है कि वह जिस स्थान पर उपयुक्त समझे मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के विषय में निर्णय लेकर राज्य सरकार को अवगत करायें।

जनपद गोरखपुर की रामगढ़ ताल झील के सौन्दर्यीकरण की योजना

140-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय झील संभरण योजना के अन्तर्गत गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल झील के सौन्दर्यीकरण योजना में 11-06-2013 तक अवमुक्त हुए धन तथा उसके सापेक्ष कृत कार्यों का विवरण क्या है ? सौन्दर्यीकरण योजना के अवशेष कार्य क्या-क्या हैं ? तथा उन्हें कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

रामगढ़ ताल के प्रदूषण नियन्त्रण एवं संरक्षण की योजना में दिनांक 11.06.2013 तक कुल रु0 87.42 करोड़ (भारत सरकार का अंश रु0 31.22 करोड़ तथा राज्य सरकार का अंश 31.22 करोड़) अवमुक्त हुआ है। इस अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 2 नग (15 एम0एल0डी0, 30 एम0एल0डी0), 2 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशन, राइजिंग मेन एवं सीवर लाइन, सिंचाई हेतु सम्पवेल एवं पम्पिंग स्टेशन सहित अन्य बिल्डिंग कार्य, डिमार्केशन आफ लेक बाउण्ड्री, पुराने बन्धे का सुदृढ़ीकरण, इण्टरसेप्सन एवं डायवर्जन एवं लो-कास्ट सैनिटेशन के कार्य किये जा रहे हैं।

योजना के अन्तर्गत डीविडिंग, डीसिल्टिंग, न्यूट्रिएंट इन एक्टिवेशन ऐरशन सिस्टम, नेचर इण्टरप्रीटेशन सिस्टम, पब्लिक अवेयरनेस, वाटर क्वालिटी मानीटरिंग, वृहद वृक्षारोपड़, हाइड्रालिक इम्प्रूवमेन्ट आफ इन्फ्लो चैनल, गार्डेन एरिया, स्नैक ज्वाइण्ट, आब्जर्वेशन टावर, पैडल बोट इत्यादि के कार्य कराये जाने अवशेष हैं। योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को मार्च, 2015 तक पूरा कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में राजीव आवास योजना का क्रियान्वयन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अच्छादित जनपद फैजाबाद के सम्बन्ध में जानकारी

141-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरी क्षेत्रों को स्लम मुक्त करने के उद्देश्य से शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराये जाने की राजीव गांधी

आवास योजना संचालित की जा रही है ? यदि हां, तो जनपद फैजाबाद के रुदौली नगर पालिका के पात्र शहरी गरीबों को चिन्हित कर कब तक आवास उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हाँ। राजीव आवास योजना का क्रियान्वयन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 21 शहरों को आच्छादित किया गया है, जिसमें जनपद-फैजाबाद सम्मिलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में रिक्शा चालकों को बैटरी/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शा देने की योजना

142-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिक्शा चालकों को बैटरी/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शा देने की योजना प्रदेश में चलाई जा रही है ? यदि हां, तो जनपद फैजाबाद के रुदौली विधान सभा क्षेत्र के पात्र रिक्शा चालकों को कब तक इस योजना का लाभ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हाँ।

जनपद-फैजाबाद के रुदौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिका रुदौली में निर्धारित तिथि तक पंजीकृत एवं पात्र रिक्शा चालकों को अत्याधुनिक तकनीक वाले बैटरी/सौर ऊर्जा चालित रिक्शा प्रदान किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के पात्र आवेदकों को पेंशन प्रदान करने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

143-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के पात्र आवेदकों को पेंशन प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ ज0हि0/क-5नं0-151689/236, दिनांक 28-04-2013 जिला प्रोवेशन अधिकारी, जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी-

जी हाँ।

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद बहराइच के पत्र सं0-151 दिनांक 05.04.2013 द्वारा प्रश्नकर्ता को सूचना उपलब्ध करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल0आई0यू0) को वाहन एवं कार्यालय उपलब्ध कराने सम्बन्धी जानकारी

144-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल0आई0यू0) को विभाग की वाहन (जीप) न होने के कारण जिलों में दूरदराज में होने वाली गम्भीर गतिविधियों की समय से सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद मथुरा में स्थानीय अभिसूचना इकाई को वाहन एवं कार्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा जनपदीय अधिकारियों के माध्यम से अभिसूचना मुख्यालय/शासन को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय अभिसूचना इकाई के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षक में कार्य करते हैं। स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल0आई0यू0) को संसाधन सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल0आई0यू0) के लिए 4 पहिया वाहन (जीप) अनुमन्य नहीं है।

जनपद मथुरा के श्री कन्हैया लाल, भूतपूर्व सदस्य के निधन की सूचना में विलम्ब में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

145-श्री पूरन प्रकाश-

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मथुरा के श्री कन्हैया लाल, भूतपूर्व सदस्य का दिनांक 06 फरवरी, 2012 को निधन हो जाने की सूचना जनपदीय अधिकारियों द्वारा 29-05-2012 तक भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा विलम्ब से सूचना देने के लिये दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हाँ।

जी हाँ।

निधन के सूचना समय से न दिये जाने के सम्बन्ध में दोषी क्षेत्रीय लेखपाल श्री योगेन्द्र सिंह को दिनांक 18 जून, 2012 को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही कर दी गई तथा दोषी तहसीलदार श्री दर्शन सिंह की लापरवाही पाये जाने के कारण उन्हें कठोर चेतावनी प्रदान कर दी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम पंचायतों की विधवाओं को पेंशन की धनराशि अवमुक्त करने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

146-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों की 802 विधवाओं की पेंशन की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-5 नं0 151763/330/13, दिनांक 15-05-2013 प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी-

जी हाँ।

निदेशक, महिला कल्याण विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

महाराणा प्रताप की जयन्ती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की मांग

147-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयन्ती 19 मई पर सरकार उनके सम्मान में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर स्वाभिमान दिवस के रूप में घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अवकाशों की पर्याप्त संख्या के दृष्टिगत और अवकाश स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

148-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सियों को लाइसेन्स देने की मांग

149-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सियों को लाइसेंस देने की राज्य सरकार की निश्चित नीति है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को लाइसेन्स दिये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की निश्चित नीति है। इस संबंध में वर्ष 2009 में सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली-2009 बनायी गयी है। यह नियमावली भारत सरकार के प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम-2005 के विहित प्राविधानों के अनुरूप बनायी गयी है। प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के संबंध में लाइसेन्स, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। इस संबंध में

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था/अपराध, उत्तर प्रदेश को पदाभिहित किया गया है। नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम-2005 एवं उत्तर प्रदेश प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली-2009 के प्राविधानों के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का व्यवसाय करने हेतु लाइसेन्स स्वीकृत एवं निर्गत किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र के कुरारा नगर पंचायत के मगही नाले की सफाई कराये जाने की मांग

150-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरसात आने से पूर्व हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र के कुरारा नगर पंचायत में स्थित मगही नाला की सफाई कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

नगर पंचायत कुरारा जनपद हमीरपुर में मगही नाले के नाम से नगर के अन्दर 02 किमी कच्चा नाला है, जिसे वर्षा के पूर्व नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों द्वारा नाले के अवरोध स्थलों को साफ किया गया था। मगही नाले की सफाई कराने की कोई कार्ययोजना नहीं बनायी गयी है। इस नाले की सफाई कराये जाने हेतु बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित कराकर कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

गोरखपुर महानगर को जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना से आच्छादित कराने की मांग

151-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनगणना-2011 के अनुसार गोरखपुर महानगर की जनसंख्या क्या है ? क्या सरकार उक्त जनसंख्या के आधार पर गोरखपुर महानगर को जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना से आच्छादित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गोरखपुर नगर की कुल जनसंख्या 6,71,048 है।

गोरखपुर जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श से आच्छादित है तथा पेयजलापूर्ति व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की परियोजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है तथा इसके एक्सटेन्डेड फेज में अन्य परियोजनाओं को भी भारत सरकार से स्वीकृत कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर में धर्मशाला ओवरब्रिज के दाहिने पटरी में सी0सी0 रोड बनवाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

152-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में धर्मशाला ओवरब्रिज के दाहिने पटरी में प्रश्नकर्ता की विधायक निधि से सीसी रोड बनवाने हेतु 26-10-2012 को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड गोरखपुर द्वारा नगर आयुक्त गोरखपुर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगा गया था ? यदि हां, तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर उक्त कार्य करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

महानगर के धर्मशाला ओवर ब्रिज के दाहिने पटरी में प्रश्नकर्ता की विधायक निधि से सी0सी0 रोड बनवाने हेतु 26-10-2012 को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड गोरखपुर द्वारा नगर आयुक्त गोरखपुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया था लेकिन नगर निगम द्वारा धर्मशाला ओवरब्रिज के दाहिने पटरी पर इण्टरलाकिंग लगाने का कार्य अवस्थापना निधि से स्वीकृत होने के कारण अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं जारी किया गया। नगर निगम द्वारा वर्तमान समय में नाली का निर्माण कराया जा रहा है। नाली का निर्माण पूर्ण होते ही इण्टरलाकिंग का कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के बगहा बाबा चित्तमपुर मार्ग में सी0सी0 रोड एवं नाली बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

153-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक 26-10-2013 को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड गोरखपुर द्वारा बगहा बाबा चित्तमपुर मार्ग (टी0एन0 पाण्डेय) से मारकण्डेय तिवारी तथा मुन्ना शादी के मकान तक प्रश्नकर्ता को विधायक निधि से सी0सी0 रोड एवं नाली बनाये जाने हेतु नगर आयुक्त, गोरखपुर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगा गया था ? यदि हां, तो क्या अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर उक्त निर्माण करा दिय गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

दिनांक 26.10.2012 को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड गोरखपुर द्वारा बगहा बाबा चिलमापुर मार्ग (टी0एन0 पाण्डेय) से मारकण्डेय तिवारी तथा मुन्ना शाही के मकान तक प्रश्नकर्ता की विधायक निधि से सीसी रोड एवं नाली बनाये जाने हेतु नगर आयुक्त, गोरखपुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया था लेकिन नगर निगम द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस कारण नहीं दिया गया था, क्योंकि नगर निगम द्वारा इस कार्य को कराने के लिए निविदायें आमंत्रित करने की कार्यवाही चल रही थी। इस कार्य को नगर निगम द्वारा वर्षा समाप्त के उपरान्त करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

गोरखपुर महानगर के हुमायूंपुर नाले के निर्माण की जाँच पर कार्यवाही की मांग

154-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में निर्माणाधीन हुमायूंपुर नाले के निर्माण के दौरान नाला क्षतिग्रस्त होने के सन्दर्भ में जल निगम उत्तर प्रदेश द्वारा मार्च, 2013 में कराई गई टी0ए0सी0 जांच की रिपोर्ट क्या है तथा इसके लिये दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

गोरखपुर महानगर में निर्माणाधीन हुमायूँपुर नाले के निर्माण के दौरान नाला क्षतिग्रस्त होने की जाँच टी0ए0सी0 से करायी गयी। टी0ए0सी0 की जाँच के अनुसार दिनांक 25-03-2013 को बारिश होने के कारण नाले निर्माण के पास अतिक्रमित चार दुकानों के चबूतरों को टो-वॉल क्षतिग्रस्त होने से नाले की दीवार ढह गयी। यदि उक्त टो-वाल (इन्क्रोचमेन्ट) की समुचित सुरक्षा की जाती तो प्रश्नगत टो-वॉल के गिरने की घटना न घटती। टी0ए0सी0 जाँच में इस लापरवाही के लिए नगर निगम अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी पाये गये हैं, जिसके लिए नगर निगम गोरखपुर के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को निर्देशित किया गया है।

इसके अतिरिक्त गुणवत्ता व विशिष्टियों का अनुपालन न करने एवं शिथिल पर्यवेक्षण के लिए उ0प्र0 जल निगम के सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता दोषी पाये गये हैं, जिनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर के खजान्ची बाजार से पादरी बाजार के नाले का निर्माण कराये जाने की मांग

155-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में स्थित खजान्ची बाजार से पुलिस चौकी पादरी बाजार के बीच बाईपास के दोनों ओर नाला न बनाये जाने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र में हमेशा जल जमाव की स्थिति बनी रहती है ? यदि हां, तो उक्त नाले का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

यू0डी0आई0एस0एस0एम0टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत महानगर की जल निकासी के लिए उ0प्र0 जल निगम द्वारा तैयार किये जा रहे पुनरीक्षित चरणबद्ध आगणन में उक्त स्थान पर नाला निर्माण कार्य सम्मिलित है, केन्द्र सरकार से धन उपलब्ध होने पर कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के चिनहट के कतिपय ग्राम में अनुपयोगी नहर को पाटकर मुंशीपुलिया को देवा रोड से जोड़कर सड़क चौड़ीकरण का प्रकरण।

156-श्री सन्त प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में चिनहट स्थित ग्राम हरदासीखेड़ा एवं कंचनपुर मटियारी के मध्य से गुजरने वाली छोटी नहर अब सिंचाई के लिये अनुपयोगी हो गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर को पाटकर सुगम यातायात के लिये चौड़ी सड़क द्वारा मुंशीपुलिया को देवा रोड से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी नहीं। प्रश्नगत नहर सिंचाई विभाग की सम्पत्ति है जो नगर निगम को हस्तांतरित नहीं है। अतः नहर पर सड़क निर्माण किया जाना नगर निगम लखनऊ के द्वारा सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार

इलाहाबाद नगर निगम सदन द्वारा सफाईकर्मियों को मकानों का स्वामित्व प्रदान करने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

157-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर निगम सदन द्वारा 01 जुलाई, 1999 को संख्या-193 के अनुसार ममफोर्डगंज कटरा काली स्थान मधवापुर, करैलाबाग आदि में वर्षों से निवासित सफाईकर्मियों को हायर परचेज पद्धति पर मकानों का स्वामित्व प्रदान करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-03-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हाँ।

करैलाबाग में निर्धन स्वच्छकार समुदाय के कर्मचारियों को स्वामित्व प्रदान करने के संबंध में क्षेत्रफल के अनुसार भवन भूमि मूल्य निर्धारित किया जो प्रति क्वार्टर 1,24,291.00 रुपया आया है। इसका 10 प्रतिशत जमा करने हेतु कर्मचारियों को नोटिस जारी की गयी। शेष धनराशि को आसान किस्तों में जमा कराने के उपरान्त पंजीकरण एवं स्वामित्व प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जानी थी, किन्तु कर्मचारियों द्वारा उक्त 10 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की गयी।

उपरोक्तानुसार

इलाहाबाद नगर निगम के ड्राइवरों तथा श्रमिकों का वेतन भुगतान एवं नियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

158-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर निगम के ड्राइवरों तथा श्रमिकों (संविदा) को शासनादेश संख्या-104 भ0नि0वि0/9-1-12-203सा/10, दिनांकित 23 जुलाई,

2012 के सुसंगत प्राविधानों के अनुपालन में बकाया वेतन का भुगतान तथा नियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 12-06-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हाँ।

नगर निगम, इलाहाबाद के कर्मशाला विभाग में संविदा/मानव दिवस पर कार्यरत ड्राइवरों एवं आर0सी0 लेबरों को शासनादेश संख्या-104 म0नं0 वि0/9-1-203सा/10, दिनांक 23 जुलाई, 2012 के अनुपालन में इन श्रमिकों की सेवाएं दिनांक 31-07-2012 से समाप्त कर दी गयी है। उल्लेखनीय है कि सेवा से पृथक किये गये इन श्रमिकों द्वारा वेतन भुगतान किये जाने के संबंध में मा0 श्रम न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिस पर सुनवाई के उपरान्त मा0 श्रम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 18-05-2010 में यह आदेशित किया गया कि इन श्रमिकों को न्यूनतम दैनिक वेतन एवार्ड की तिथि से भुगतान किया जाय। मा0 न्यायालय के उक्त आदेशानुपालन में संविदा/मानव दिवस पर कार्यरत वाहन चालकों एवं आर0सी0 लेबरों को एवार्ड की तिथि से न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है। इनके बकाया वेतन के संबंध में अवगत कराना है कि नगर निगम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बकाया वेतन का भुगतान दो किश्तों में किये जाने का निर्णय लेते हुए प्रथम किश्त का भुगतान कर दिया गया है, द्वितीय किश्त के भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है धन उपलब्ध होते ही द्वितीय किश्त का भी भुगतान कर दिया जायेगा। जहां तक इन्हें नगर निगम, इलाहाबाद में होने वाली नियुक्तियों में प्राथमिकता दिये जाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान समय में भर्तियों पर प्रतिबन्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर के मु0 सिद्धार्थनगर में आर0पी0 सिंह से चिलमापुर सम्पर्क मार्ग तक सी0सी0 रोड हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की मांग

159-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर महानगर के मु0 सिद्धार्थनगर (भरवातोया खुर्द) में आर0पी0 सिंह से उमाशंकर उपाध्याय के घर होते हुए चिलमापुर सम्पर्क मार्ग तक प्रश्नकर्ता की विधायक निधि से सी0सी0 रोड निर्माण हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड गोरखपुर द्वारा 30-03-2013 को अनापत्ति मांगी गई थी ? यदि हां, तो किन कारणों से अनापत्ति नहीं दी गई ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

जी हाँ। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोरखपुर द्वारा नगर निगम, गोरखपुर से अनापत्ति मांगी गयी थी।

''इस कार्य के लिये नगर निगम द्वारा प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु स्वयं प्रस्तुत कर दिया गया है, स्थल पर नालियां क्षतिग्रस्त हो गयी हैं और पुराना खड़ंजा खराब दशा में है,'' की टिप्पणी के साथ नगर निगम, गोरखपुर द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

गोरखपुर महानगर के मु0 मिर्जापुर बसंत चौहान के घर से शैलेन्द्र प्रताप शाही के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की मांग

160-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में मु0 मिर्जापुर पचपेड़वा (चकसा हुसैन) में बसंत चौहान के घर से मेवालाल के घर तक, रेवपोखर (इस्लामाबाद) में नबी उल्लाह के मकान से मस्जिद हुदा तक एवं आजाद नगर (रुस्तमपुर) नहर रोड पर कर्मकुटी से शैलेन्द्र प्रताप शाही-मनोज कुमार के मकान तक प्रश्नकर्ता की विधायक निधि से सी0सी0 रोड व नाली बनाने हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड गोरखपुर द्वारा 29-01-2013 को नगर आयुक्त गोरखपुर से अनापत्ति मांगी गई थी ? यदि हां, तो किन कारणों से नहीं दी गई ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

जी हाँ। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोरखपुर द्वारा नगर निगम, गोरखपुर से अनापत्ति मांगी गयी थी।

(1) मु0 मिर्जापुर पचपेड़वा (चकसा हुसैन) में बसंत चौहान के घर से मेवालाल के मकान तक सी0सी0 रोड/नाली निर्माण के सम्बन्ध में नगर निगम, गोरखपुर द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया है :-

''उक्त कार्य का प्रस्ताव नगर निगम द्वारा तैयार किया गया है, जो मा0 सांसद, सदर की माँग पर तैयार किया गया है, जिसके लिये व्ययानुमान धनांक 7.22 लाख का, स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है।''

(2) मु0 देवपोखर (इस्लामाबाद) में नवीउल्ला की दुकान से मस्जिद हुदा तक सी0सी0 रोड/ नाली निर्माण के सम्बन्ध में नगर निगम, गोरखपुर द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया है :-

''उक्त स्थल पर नगर निगम द्वारा आगणन प्रस्तावित है।''

(3) मु0 आजादनगर (रूस्तमपुर) नहर रोड पर कर्मकुटीर से शैलेन्द्र प्रताप शाही से मनोज कुमार के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण के सम्बन्ध में नगर निगम, गोरखपुर द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया है :-

''उक्त कार्य का प्रस्ताव नगर निगम द्वारा तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है, जो पार्षद वरीयता में है।''

लखीमपुर खीरी के थानों का कम्प्यूटरीकृत किये जाने की मांग

161-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के कितने थानों को कम्प्यूटरीकृत कर आनॅलाइन कर दिया गया है तथा कितने शेष हैं? क्या सरकार शेष बचे हुए थानों को कम्प्यूटरीकृत कर ऑनलाइन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी के सभी 23 थानों को सी0सी0टी0एन0एस0 (क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम) योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। सभी थानों को ऑन लाइन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद के समस्त थानों को मई, 2014 तक ऑन लाइन कराये जाने का लक्ष्य है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के कतिपय इलाकों में सीवर लाइन बिछाये जाने की मांग

162-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सीतापुर रोड स्थित कालोनियां जैसे-गायत्रीनगर, न्याय बिहार, रायपुर, हरिहरनगर में सीवर लाइन नहीं बिछाई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनियों में सीवर लाइन डलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सीतापुर रोड स्थित गायत्रीनगर कालोनी में जेएनएनआरएम कार्यक्रम के यूआईजी कार्यांश के अन्तर्गत लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-3 पार्ट-1 परियोजना के तहत सीवर लाइन बिछायी जा चुकी है। न्याय विहार, रायपुर एवं हरिहरनगर कालोनियां लखनऊ नगर निगम की सीमा के बाहर होने के कारण इन स्थानों में सीवर लाइन प्रस्तावित नहीं की गयी है।

नव विकसित कालोनियों में सीवर लाइन बिछाने का दायित्व सम्बन्धित विकासकर्ता संस्था का है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

163-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0 186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद चन्दौली की नगर पालिका परिषद् मुगलसराय में प्रकाश व्यवस्था हेतु पुनः टेण्डर की कार्यवाही की मांग

164-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली की नगरपालिका परिषद् मुगलसराय द्वारा नगर में प्रकाश हेतु हाईमास्क लगाने हेतु दिनांक 20-5-2013 को कराई गई निविदा में केवल दो एजेन्सियों फिलिप्स एवं क्राम्पटन को ही आमंत्रित किया गया है जबकि तीन या तीन से अधिक एजेन्सियों को निविदा में आमंत्रित करना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टेण्डर को निरस्त करके पुनः टेण्डर करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

फिलिप्स एवं क्राम्पटन में हाईमास्क की आपूर्ति एवं फिक्सिंग हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी, दिनांक 20-05-2013 को आमंत्रित निविदा में कुल 04 फर्मों/एजेंसियों द्वारा निविदा दी गयी थी।

उक्त टेण्डर दिनांक 07-06-2013 को निरस्त कर दिया गया है। पुनः टेण्डर की कार्यवाही की जा रही है।

गोरखपुर महानगर में स्पोर्ट्स कालेज के सामने नाले का निर्माण कराये जाने की मांग

165-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में स्पोर्ट्स कालेज के सामने बाईपास नाला निर्माण हेतु क्या नगर निगम द्वारा कोई योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो नाले का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

गोरखपुर महानगर में स्पोर्टस कालेज के सामने भूसे की दुकान से डा0 बी0जी0 राव तक नाले का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मार्ग के एक तरफ डा0 बी0 जी0 राव से हाईडिल तक तथा मार्ग के दूसरी ओर हरि सेवकापुरम से मेडिकल रोड तक नाले का निर्माण प्रस्तावित है, जिसका निर्माण आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व पूर्ण करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

गोरखपुर महानगर की कतिपय जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण करने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

166-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-5 नं0 178655, दिनांक 08-05-2013 जो गोरखपुर महानगर की कतिपय जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण के संदर्भ में है, माननीय मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त पत्र दिनांक 08-05-2013 में 18 मार्गो का उल्लेख किया गया हैं जिसमें क्रम संख्या-1 पर अंकित मार्ग असुरन चौक से फर्टिलाईजर झुग्गियां मोड़ तक सड़क का चौड़ीकरण तथा डिवाईडर का निर्माण लोक निर्माण से सम्बन्धित है। क्रम संख्या-8 व 17 पर अंकित मार्ग आंशिक रूप से नगर निगम सीमा में है तथा क्रम सं0-5 पर अंकित मार्ग की निविदायें आमंत्रित की जा रही है, शेष मार्ग नगर निगम के हैं उनका सर्वेक्षण कराकर आगणन तैयार किये जा रहे हैं।

कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर में खराब पड़े इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने की मांग

167-श्री सलिल विश्नोई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर की आर्यनगर विधान सभा क्षेत्र में खराब पड़े गहरे बोरिंग के इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को सरकार ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। सामान्य खराबी के हैण्ड पम्पों को ठीक कराये जाने की सतत् प्रक्रिया है। हैण्डपम्पों के रि-बोर का कार्य जिला योजना (नगरीय पेयजल) सामान्य तथा अनुसूचित जाति सब-प्लान के अन्तर्गत किया जाता है। स्थायी रूप से खराब (रिबोर योग्य) इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को धनराशि की उपलब्धता पर रिबोर का कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर के पीने के पानी की समस्या को दूर करने की मांग

168-श्री सलिल विश्नोई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के पीने के पानी के संकट को देखते हुए पुराने कुओं की सफाई कराकर, उनको प्रयोग में लाकर जल संकट की समस्या को दूर करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण का कार्य उ0प्र0 जल निगम द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है।

कानपुर महानगर में सड़कों के चौड़ीकरण की योजना

169-श्री सलिल विश्नोई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में यातायात की समस्या को देखते हुए आन्तरिक सड़कों के चौड़ीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के साहिबाबाद वसुन्धरा के बीच नाले पर अनाधिकृत कब्जा हटाये जाने की मांग

170-श्री अमर पाल शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत साहिबाबाद में बड़े नाले साहिबाबाद वसुन्धरा के बीच से वैशाली जाने वाले नाले पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया है जिससे नाले बन्द हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे हटाये जाने की कार्यवाही करके उक्त नाले को खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

नाला कवर करने का कार्य नगर निगम सदन की बैठक दिनांक 18-06-2009 एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 30-01-2009 में पारित प्रस्ताव के क्रम में स्वीकृति प्रदान की गयी थी। नाला बन्द नहीं है। नाले का प्रवाह सतत् है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

171-श्री अमर पाल शर्मा-

[1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-127 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र के बाकरगंज में सड़क निर्माण की मांग

172-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के बाकरगंज, आजाद नगर में 130/571 से 130/576 तक सड़क न होने से आवागमन में समस्या हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

बाकरगंज, आजाद नगर में 130/571 से 130/576 तक सड़क सुधार का कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के अजीतगंज में सीवर भराव की समस्या के निदान कराये जाने की मांग

173-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अजीतगंज के ब्लाक 50 एवं 51 की कच्ची बस्ती में सीवर भराव रहने से जनता को समस्या हो रही

है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का निदान करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अजीतगंज के ब्लाक 50 एवं 51 की कच्ची बस्ती में स्थापित सीवर लाइन से संचालित है, विभाग द्वारा सीवर व्यवस्था के रख-रखाव का कार्य किया जाता है। वर्तमान में इस बस्ती में कोई सीवर भराव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के श्याम नगर में नाला पाटने से जल निकासी के निदान करवाये जाने की मांग

174-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत वार्ड 53 रामपुरम् श्यामनगर में जल निगम द्वारा खुदाई के बाद नाले को पाटने से जल निकासी अवरुद्ध हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या का निदान करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड सं0 53 रामपुरम् श्याम नगर की गलियों में सीवर बिछाने का कार्य प्रगति पर है। उ0प्र0 जल निगम द्वारा सीवर बिछाने के उपरान्त खोदी गयी मिट्टी को पुनः ट्रेन्च में भर दिया जाता है। उ0प्र0 जल निगम द्वारा रामपुरम् श्याम नगर में सीवर बिछाते समय खोदी गयी मिट्टी से किसी भी नाले को पाटा नहीं गया है। सीवर लाइन बिछाने एवं तत्सम्बन्धी कार्यो के कारण रामपुरम् श्याम नगर में जल निकासी अवरुद्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर की मलिन बस्तियों में वी0एस0यू0पी0 योजना के अन्तर्गत अनियमितताओं की जाँच

175-श्री सतीश महाना-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में मलिन बस्तियों में बनाये जा रहे वी0एस0यू0पी0 योजना के अन्तर्गत बरती जा रही अनियमितताओं के सन्दर्भ में आप द्वारा पत्रांक 1432 दिनांक 22-5-2013 द्वारा जांच कराने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत संजय नगर, विवेकानन्द नगर एवं धर्मेन्द्र नगर मलिन बस्तियों में बी0एस0यू0पी0 योजनान्तर्गत निर्मित हो रहे आवासों की जांच करायी जा रही है।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा कानपुर नगर से प्राप्त जानकारी के अनुसार मलिन बस्ती विवेकानन्द नगर की जांच आख्या में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में नहीं आया है तथा मलिन बस्ती संजय नगर एवं धर्मेन्द्र नगर की जांच आख्या में उक्त बस्तियों में अधिकांश भवन अपूर्ण होने तथा आवासों की गुणवत्ता निम्न कोटि की होने के तथ्य प्रकाश में आये हैं। जांच आख्या के परीक्षणोंपरान्त अपेक्षित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

अन्य कतिपय प्रदेशों की भाँति सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को हाउस टैक्स में छूट दिये जाने की मांग

176-श्री अमर पाल शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को जिनके नाम एक ही मकान है हाउस टैक्स में छूट प्रदान किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं ? तो क्या सरकार अन्य प्रदेशों जैसे दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, हिमांचल प्रदेश एवं पंजाब की भांति सेवानिवृत्त कर्मचारियों को (एक ही मकान वालों को) हाउस टैक्स में छूट दिये जाने हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रदेश की नागर निकायें उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 तथा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 में निहित व्यवस्थानुसार संचालित होती हैं, जिसमें सेवा निवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को, (एक ही मकान वालों को) भवनों पर गृहकर में छूट दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। गृहकर नगरीय स्थानीय निकायों की आय का सर्वाधिक महत्वूपर्ण स्रोत होने के कारण उन्हें गृहकर में छूट दिये जाने से निकाय की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र बांके लालपुरम् में मार्ग की मरम्मत करवाये जाने की मांग

177-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53 में बांके लालपुरम् में ट्रांसफार्मर वाली गली तथा उसके आगे वाली गली में खड़ण्जा सड़क अधूरी रहने से आवागमन की समस्या हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

छावनी विधान सभा के अन्तर्गत वार्ड-53 बांके लालपुरम् सोसाइटी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जिन गलियों में खड़ण्जा लगा था उनमें सीवर/पेयजल पाइप लाइन बिछाने के उपरान्त समुचित रूप से पूर्वानुरूप खड़ण्जा लगाकर मार्ग को पूर्वानुरूप पुनर्स्थापित करा दिया गया है तथा जिन गलियों में सड़क कच्ची थी, उनमें सीवर/पेयजल लाइन बिछाने के बाद खोदी गई टेन्च में मिट्टी पुनर्भरण कराकर इन गलियों को पूर्वानुरूप पुनर्स्थापित करा दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी में सीवर जल भराव की समस्या के उपाय की मांग

178-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं0 77, सी ब्लाक में मकान नं0 78 से 100 के बीच सड़क ध्वस्त हो जाने एवं वार्ड 54 में ब्लाक नं0 69 से 76 के पीछे सिल्ट एवं सीवर जल भराव के कारण आवागमन में समस्या हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

चूँकि सीवर लाइन चालू है तथा नगर निगम द्वारा सीवर व्यवस्था का रख-रखाव किया जाता है। वार्ड नं0 54 में ब्लाक नं0 69 से 76 के पीछे कोई सीवर जल भराव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर के फीलखाना क्षेत्र में नई पानी की टंकी अथवा पम्प निर्माण की मांग

179-श्री सलिल विश्नोई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के फीलखाना क्षेत्र के निवासियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति पुरानी जर्जर टंकी से पूर्ण नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क फीलखाना में नई पानी की टंकी अथवा पम्प का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कानपुर महानगर के फीलखाना क्षेत्र के स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति 1575 कि0ली0 क्षमता के पुराने सी0डब्लू0आर0 के माध्यम से की जा रही हैं।

नहीं।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत फीलखाना स्थित पुराने सी0डब्लू0आर0 के सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था की गयी है। नये सी0डब्लू0आर0 के निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

जनपद कुशीनगर के थाना कसया के ग्राम पतई में दबंगों द्वारा दलितों के मकान तोड़े जाने का कथित प्रकरण

180-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कुशीनगर के थाना कसया में ग्राम पतई में दबंगों द्वारा दलितों के आवासों को तोड़े जाने तथा उनके साथ मारपीट कर घायल किये जाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्धी मा0 नेता विरोधी दल का शिकायती-पत्र 1370/ने0वि0दल/2013, दिनांक 15-5-2013 प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

आवेदिका श्रीमती यशोदा देवी पत्नी स्व0 राम निवास ग्राम पतई, थाना-कसया, जनपद कुशीनगर के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0स0-759/2013, धारा 363, 366, 323, 504, 506, 427 भा0द0वि0 व 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनाम बेचन आदि 08 नफर के विरुद्ध दिनांक 10.08.2013 को अभियोग पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना श्री बलिराम सरोज, क्षेत्राधिकारी कसया, जनपद कुशीनगर द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के थाना चिनहट में दर्ज मुकदमें में अभियुक्तों की गिरफ्तारी सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

181-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ के थाना चिनहट में दर्ज मु0अ0सं0-13/13, धारा 364 भ0द0स0 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी सम्बन्धी मा0 नेता विरोधी दल का शिकायती पत्र 1065/ने0वि0दल/2013, दिनांक 30-1-2013 प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मु0अ0सं0-13/13 थाना चिनहट, जनपद लखनऊ की विवेचना क्षेत्राधिकारी, गोमतीनगर द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान धारा 506 भा0दं0वि0 व 3(1)10 एससी/एसटी ऐक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी है। विवेचना के दौरान अभियुक्त धर्मप्रकाश सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र दुखरन सिंह, भारतीपुरम् कालोनी, थाना चिनहट, लखनऊ को दिनांक 20-7-13 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश आदि की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शामली के थाना भवन नगर से मुल्लापुर रोड तक खुली मांस की दुकानें बन्द कराये जाने की मांग

182-श्री सुरेश राणा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के थाना भवन नगर से लेकर मुल्लापुर रोड पर स्थित अनाधिकृत खुली मांस की दुकान चलाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद शामली के कस्बा थाना भवन में मुल्ला रोड पर श्री शकील पुत्र फकीरा, नि0 कस्सावान, थाना भवन, श्री वसीम पुत्र रियाज अहमद नि0 मौ0 कस्सावान, थाना भवन एवं श्री महबूब पुत्र बुन्दू खटीक, नि0 मौ0 कस्सावान, थानाभवन द्वारा खोखे रख कर अनधिकृत रूप से मांस एवं मुर्गा आदि का विक्रय किया जा रहा था। उक्त तीनों खोखों से मांस एवं मुर्गा आदि को हटवाकर खोखों को बन्द करा दिया है। इसके अतिरिक्त थानाध्यक्ष, थानाभवन को निर्देशित भी कर दिया गया है कि किसी भी स्थिति में उपरोक्त तीनों दुकानें (खोखे) न खुलें तथा उन पर मांस आदि की बिक्री न हो।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कामिल की डिग्री को स्नातक के समकक्ष स्वीकारते हुए शासनादेश जारी करने की मांग

183-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कामिल की डिग्री को स्नातक के समकक्ष मानते हुए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है ? यदि हां, तो ऐसे समकक्ष कामिल डिग्री धारकों को प्रदेश सरकार स्नातक स्तर के समकक्ष स्वीकार करते हुए सरकारी सेवाओं में अर्ह माना जायेगा ? यदि हां, तो कब तक शासनादेश जारी किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ द्वारा प्रदत्त अदीब-ए-कामिल उपाधि को राज्याधीन सेवाओं में भर्ती हेतु मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 10/4-1978-कार्मिक-2 दिनांक 14 जुलाई, 1982 निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के रिक्शा चालकों हेतु टीन शेड स्टैण्ड बनाये जाने की मांग

184-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में नगरों में रिक्शा चालकों हेतु रिक्शा स्टैण्ड अथवा रिक्शा चालक शेड है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार रिक्शा चालकों

हेतु टीन शेड या स्टैण्ड बनाकर यह सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद लखीमपुर खीरी में नगर पालिका परिषद् लखीमपुर खीरी की सीमान्तर्गत रेलवे स्टेशन गेट के पश्चिम की ओर रेलवे बाउन्ड्री एवं लोक निर्माण विभाग मार्ग के मध्य लगभग तीन वर्ष पूर्व स्टैण्ड निर्मित था। रेलवे गेट के पूर्व की ओर ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। अतः वर्तमान में उस स्थान पर कोई शेड नहीं है। गोला, मोहम्मदी व नगर पंचायत, मैलानी में रिक्शा चालकों हेतु टीन शेड/स्टैण्ड उपलब्ध हैं। नगर पंचायत, ओयल ढकवा, बरबर व धौरहरा में कोई रिक्शा चालक पंजीकृत न होने के कारण वहां पर रिक्शा चालक शेड/स्टैण्ड बनाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के सार्वजनिक पार्क में अवैध कब्जा हटवाये जाने की मांग

185-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत वार्ड 53 सी ब्लाक के अन्तर्गत सार्वजनिक पार्क में जल निगम के ठेकेदार द्वारा कब्जा करने से जनता को समस्या हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कानपुर नगर में छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड सं0-53 सी ब्लाक के अन्तर्गत सार्वजनिक पार्क में जल निगम के अधीन ठेकेदार द्वारा कब्जा नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के खराब पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत व रिबोर कराये जाने की मांग

186-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में खराब पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं रि-बोर सरकार करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हाँ। खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने की सतत् प्रक्रिया है। हैण्डपम्पों के रि-बोर का कार्य जिला योजना (नगरीय पेयजल) सामान्य तथा अनुसूचित जाति सब-प्लान के अन्तर्गत किया जाता है। रिबोर योग्य हेतु हैण्डपम्पों को धनराशि की उपलब्धता पर रिबोर का कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी कें शिवकटरा क्षतिग्रस्त रोड की मरम्मत कराये जाने की मांग

187-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत वार्ड 44 में शिवकटरा रोड क्षतिग्रस्त होने से जनता को आवागमन से समस्या हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हाँ।

जी हाँ।

वर्षा ऋतु एवं वाटर लीकेज के कारण कुछ स्थलों पर सड़क में पाट होल्स (छोटे गड्ढे) हो गये हैं। पक्का मलवा डालकर सड़क को मोटरेबुल बना दिया गया है। वर्षा ऋत के उपरान्त पैच वर्क कराकर सड़क का स्थाई सुधार कर दिया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड बेहटा के गांव रमुवापुर का क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

188-श्री रामहेत भारती-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड बेहटा के गांव रमुवापुर का सम्पर्क मार्ग बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का नवीनीकरण/मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

जी हाँ।

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को आयोजनागत मद में राज्य सरकार द्वारा कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है, अपितु यह विभाग एक राजकीय कार्यदायी संस्था के रूप में अन्य विभागों/संस्थाओं से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्यों को 'डिपाजिट वर्क' के रूप में सम्पादित

कराता है। चूँकि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-बेहटा के गाँव रमुवापुर के सम्पर्क मार्ग के नवीनीकरण/मरम्मत हेतु वर्तमान में कोई स्वीकृति/धनराशि प्राप्त नहीं है, इसलिये उक्त मार्ग के नवीनीकरण/मरम्मत का कार्य इस विभाग के द्वारा कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

189-श्री अगशय राम सरन वर्मा-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम का पेड़ कटका में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने की मांग

190-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोहिया ग्राम विकास के अन्तर्गत सी0सी0 रोड का कार्य कब से प्रारम्भ होगा ? क्या मा0 मंत्री ती को जानकारी है कि शाहजहांपुर जनपद के ग्राम कपेड़ कटका में अभी तक सी0सी0 रोड का कार्य शुरू नहीं हो सका है ? यदि हां, तो कब तक शुरू किया जायेगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

प्रदेश में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत सी0सी0 रोड का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

जनपद-शाहजहाँपुर के विकास खण्ड ददरौल के अन्तर्गत ग्राम कपेड़ कटका यद्यपि डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित कुल 23 ग्रामों की सूची में सम्मिलित है, किन्तु धनराशि की अनुपलब्धता के कारण अभी तक उक्त ग्राम में सी0सी0 रोड/नाली निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका है।

विद्यमान शासनादेशानुसार स्वीकृत धनराशि रु0 20.00 लाख प्राप्त होने के उपरान्त ही, उक्त ग्राम में सी0सी0 रोड का कार्य शुरू कराया जाना सम्भव है।

उत्तराखण्ड की त्रासदी से प्रदेश के प्रभावित हुए नागरिक एवं उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी।

191-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून, 2013 में उत्तराखण्ड की त्रासदी में प्रदेश के कितने नागरिक आपदा का शिकार हुए है और उन्हें सरकार की ओर से अब तक क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करायी गई है ? क्या सरकार इसका विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उत्तराखण्ड की त्रासदी में प्रदेश के लगभग 1150 नागरिक आपदा से लापता/मृतक हैं। प्रदेश सरकार की ओर से उत्तराखण्ड में तात्कालीन सहायता हेतु 05 राहत शिविर संचालित किये गये। जिसमें निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध करायी गयी :-

राहत शिविरों में वाटर प्रूफ शामियाने लगाये गये।

शिविरों में यात्रियों के विश्राम की व्यवस्था की गयी।

निःशुल्क मोबाइल फोन पर बात करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

बैठने के लिए कुर्सियों की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

इलाज हेतु दवाइयों एवं चिकित्सकों की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

सुरक्षा हेतु पुलिस बल की व्यवस्था की गयी।

शिविर में आने सभी यात्रियों हेतु निःशुल्क भोजन आदि की व्यवस्था की गयी।

उ0प्र0 परिवहन निगम की बसों के माध्यम से यात्रियों को उनके गन्तव्य स्थान तक निःशुल्क भेजे जाने की व्यवस्था की गयी।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड की आपदा से प्रदेश के गुमशुदा एवं मृतकों के परिवारों को मुवावजा दिये जाने की मांग।

192-श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड की आपदा में उ0प्र0 के गुमशुदा एवं मृतकों के परिवार को मुआवजा देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उत्तराखण्ड की आपदा में उत्तर प्रदेश के गुमशुदा एवं मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

[12.21 बजे] (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अपना स्थान ग्रहण करें।

(भाजपा के सदस्य सदन के फ्लोर पर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे एवं नारे लिखे बगैर लहराने लगे)

(घोर व्यवधान)

आप लोग अपने स्थान पर बैठे।

आप लोग अपने स्थान पर बैठे।

आज नियम 300 के अन्तर्गत दो सूचनायें प्राप्त हुई है पहली सूचना श्री प्रदीप माथुर की है दूसरी सूचना मुकेश श्रीवास्तव की है दोनों सूचनाओं को मैं अग्राह्य करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

[12.22 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक नियम 16.9.2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गई हैं।

पहली सूचना श्री प्रदीप माथुर की है जिन्होंने जनपद मथुरा की कतिपय सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

दूसरी सूचना श्री अजय मिश्र 'टेनी' की है इन्होंने जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र निघासन के किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

तीसरी सूचना श्री दलवीर सिंह जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के कतिपय क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

विपक्ष के कई माननीय सदस्य नारे लिखे हुए बैनर लेकर सदन के फ्लोर पर खड़े थे एवं नारे लगा रहे थे। अखिलेश मुलायम होश में आओं, हिन्दुओं पर अत्याचार बन्द कराओं, बलात्कारियों का संरक्षण बन्द करो महापंचायतों का उत्पीड़न बन्द करो।

चौथी सूचना श्री सुभाष पासी की है इन्होंने जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के कतिपय बाढ़ क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने एवं ऊँचाई बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

पाँचवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह जनपद बलिया के साथ-साथ पूरे पूर्वांचल को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर किसानों को मुआवजा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

छठी सूचना श्री भगवती प्रसाद की है इन्होंने जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में चंडौस पिसावा पर करवन नदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

सातवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की है इन्होंने जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज अन्तर्गत ग्राम राहटीकर एवं ग्राम पूरे नोती इटैला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

आठवीं सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की है इन्होंने जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना की तहसील में टहरौली में मानक के अनुरूप विकास खण्ड बनाये जाने के संबंध में सूचना दी है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नवीं सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक की है इन्होंने जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र नौगढ़ के अन्तर्गत वर्ष 1965 में मोहाना-लोटन मार्ग के निर्माण के फलस्वरूप कतिपय ग्रामों के काश्तकारों को जमीनों के प्रतिकर का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

दसवीं सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव की है इन्होंने जनपद बहराइच के ग्राम पयागपुर को टाउन एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

ग्यारहवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की है इन्होंने जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदोली के अन्तर्गत लम्बित पड़े मार्गों के निर्माण कार्य को लोक निर्माण विभाग से पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

बारहवीं सूचना श्री अमरपाल शर्मा की है इन्होंने जनपद गाजियाबाद के दिलशाह गार्डन से शहीद नगर न्यू बस अड्डा तक मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

तेरहवीं सूचना श्री अनीसुर्रहमान की है इन्होंने जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में निर्माणाधीन कांवड़ मार्ग के कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

चौदहवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की है इन्होंने जिला पंचायत गोरखपुर के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री अमित गौरव यादव की है इन्होंने प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लेवल-2 एवं लेवल-3 के चिकित्सकों की की गई पदोन्नति में पाई गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में सूचना दी है उपरोक्त सभी पन्द्रह सूचनायें स्वीकार की गई हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं श्री रामहेत भारती की सूचनायें अस्वीकार की गई हैं।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई)।

जनपद मथुरा की कतिपय सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[मान्यवर,

दिनांक 19 अप्रैल, 2012 को गोवर्द्धन, मथुरा व वृन्दावन के विकास हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी की बैठक में दि0 22 सितम्बर, 2012 को मा0 मुख्य मंत्री जी के जनपद मथुरा भ्रमण के आवास पर मथुरा एवं वृन्दावन के मुख्य मार्गों का निर्माण कराये जाने की घोषणा की गयी परन्तु इन मार्गों का निर्माण नहीं हुआ। अभी हाल में मुख्य मंत्री जी को 27 जुलाई, 2013 को लैपटाप बांटने हेतु मथुरा

आना था, उनकी प्रस्तावित घोषणाओं में निम्नलिखित सड़कें शामिल थीं, उसके बावजूद इन सड़कों हेतु धन आवंटित नहीं किया गया। उक्त सड़कें क्रमशः 1-एन0एच0-2 से महोली रोड होते हुए नये बस स्टैण्ड तक चौड़ीकरण, डिवाडर एवं बी0एम0एस0डी0बी0सी0 2-भरतपुर गेट से स्टेट बैंक चौराहा होते हुए रेलवे स्टेशन तक बी0एम0एस0डी0बी0सी0 3-सौख अड्डे रेलवे फाटक से डैम्पियर नगर संग्रहालय होते हुए किशोरी रमण कालेज तक बी0एम0एस0डी0बी0सी0, 4-डीम गेट से भरतपुर गेट होते हुए होली गेट-कृष्णापुरी तिराहे तक बी0एम0एस0डी0बी0सी0 5-आर्य समाज फाटक से बंगाली फाटक तक बी0एम0एस0डी0बी0सी0 हैं तथा 6-होली गेट से पुराने बस स्टैण्ड तक बी0एम0एस0डी0बी0सी0, जिसका आगणन शासन में पहुँच चुका है, परन्तु अभी तक इनके निर्माण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मथुरा-वृन्दावन एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल होने के कारण यहां दुनिया भर से लोगों का आवागमन बना रहता है, परन्तु यहां की सड़कें खराब होने के कारण श्रद्धालुओं तथा निवासियों को आने-जाने में काफी असुविधा होती है। मथुरा से गोवर्द्धन जाने वाले संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित हुआ था किन्तु खेद का विषय है कि अभी तक इस सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। मथुरा से गोवर्द्धन जाने वाला मुख्य मार्ग अब तक अधूरा है। यह सड़क नेशनल हाइवे-2 से जाती है। मथुरा से गोवर्द्धन जाने वाले इस मार्ग के दोनों तरफ नाले नहीं हैं तथा लगभग 30 कालोनियाँ इस पर बसी हुई हैं। यहां सड़क के दोनो तरफ कुछ प्राइवेट सर्विस स्टेशन हैं जिनका जल निकास सड़क पर ही हो रहा है, इससे 2.00 कि0मी0 सड़क एकदम खराब है, उसमें कई जगह गड्ढ़े हो गये हैं। इस क्षेत्र के दोनों तरफ औद्योगिक क्षेत्र भी स्थापित है, किन्तु यहां की सड़क खराब होने के कारण श्रद्धालुओं की ही नहीं बल्कि गोवर्द्धन के रास्ते से जाने वाले सभी यात्रियों को असुविधा होती है। मा0 मुख्यमंत्री जी की उक्त बैठक में यह तय हुआ था कि इस सड़क को 04 लेन की सड़क उ0प्र0 स्टेट हाई-वेज अथारिटी (उप्सा) द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) स्कीम के तहत बनायी जाय। इसे प्राथमिकता के आधार पर दोनों तरफ 2.00 कि0मी0 लम्बाई की सड़क को ऊँचा करके तथा शेष 18 कि0मी0 सड़क को बी0एम0एस0डी0बी0सी0 तकनीक से निर्मित कराया जायेगा, किन्तु मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के बावजूद यह कार्य अभी तक नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पी0पी0पी0 मॉडल के तहत सड़क बनाने की योजना कारगर नहीं हो पायी, इसलिए उक्त सड़क के निर्माण का कार्य उ0प्र0 स्टेट हाई-वेज अथारिटी (उप्सा) से हटाकर लोक निर्माण विभाग को दिया जाना अति-आवश्यक है। अतः मथुरा से गोवर्द्धन जाने वाली लम्बाई 02.00 कि0मी0 की खराब सड़क नाले सहित व शेष 18.00 कि0मी0 सड़क, 04 लेन को प्राथमिकता के आधार पर उ0प्र0 स्टेट हाई-वेज अथारिटी (उप्सा) से हटाकर लोक निर्माण विभाग को देने के साथ ही साथ उपरोक्त 05 सड़कों के निर्माण हेतु धन आवंटित किया जाना तथा उक्त सड़कों को लोक निर्माण विभाग द्वारा तत्काल बनाये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र निघासन के किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय मिश्रा 'टेनी'-

[महोदय,

गन्ने का नया पेराई सत्र प्रारम्भ होने वाला है परन्तु मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी विधान सभा क्षेत्र निघासन के एक मात्र सहकारी चीनी मिल का प्रबन्धन व प्रशासन किसानों को गन्न मूल्य का भुगतान देने में असफल रहा है। खास बात यह है कि जिले की सहकारिता क्षेत्र की दोनों चीनी मिलें बेलरांया व सम्पूर्णा नगर भी निर्धारित समय में किसानों को बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर सकी है।

गौरतलब है कि जनपद लखीमपुर खीरी में सहकारी चीनी मिल क्षेत्र की दो मिलों तथा 7 प्राईवेट चीनी मिलों सहित कुल 9 चीनी मिलें हैं। उक्त चीनी मिलों पर गन्ना कृषकों का कुल 278 करोड़ (लगभग पौने तीन अरब) रुपया बकाया है, जिसमें बड़ा हिस्सा लगभग 260 करोड़ प्राइवेट सेक्टर की 7 चीनी मिलों पर बकाया है। गन्ना इस जिले की मुख्य फसल व किसानों की आय का मुख्य स्रोत है। गन्ना मूल्य का भुगतान न होने के कारण गन्ना किसान भुखमरी के कगार पर हैं तथा समय से अपने खेतों में धन के अभाव के कारण खाद एवं सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी बाधित है। इससे किसान आक्रोशित एवं आन्दोलित है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के कतिपय क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना.....

श्री दलवीर सिंह-

[मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली (अलीगढ़) में निम्न पुल क्षतिग्रस्त/अधूरे पड़े हुये हैं कृपया जनहित में इन्हें शीघ्र पूर्ण कराने के लिये मैं इस प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

1-पलडा ड्रेन पर तालेपुर और रायपुर दहली के बीच में क्षतिग्रस्त पुल।

नये प्रस्तावित पुल-

1-त्यौर माइनर पर ग्राम कनौरा के पास।

2-सोमना ड्रेन पर ग्राम कंदौली व ग्राम बंसई पर।

3-सोमना ड्रेन पर ग्राम जखौता के निकट।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4-नहरौला ड्रेन पर ग्राम वीरपुरा के निकट।

5-कालीनदी पर ग्राम महमूद पुर व नगला भ्रूण के बराबर नदी पर रपटा पुल।

6-काली नदी पर ग्राम बरानदी एवं ग्राम कल्यानपुर पर नये पुल का निर्माण।

अतः मैं चाहूंगा कि इन पुलों की मरम्मत/निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के कतिपय बाढ़ प्रभावित क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने एवं ऊँचाई बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[मान्यवर, सादर निवेदन के साथ आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र 374 सैदपुर जनपद गाजीपुर के लोक महत्व के गंभीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, जनपद गाजीपुर में इस वर्ष गंगा नदी तथा गोमती नदी में पानी बढ़ जाने के कारण मेरे क्षेत्र के दस से बीस गांव चारों तरफ से डूब गये थे यहां तक कि लोग एक गांव से दूसरे गांव में मदद के लिए भी नहीं जा पा रहे थे वर्तमान सरकार के तरफ से हर गांव में नाव का प्रबन्ध किया गया था।

मान्यवर, इस भयानक बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए सबसे पहले आप का ध्यान सम्पर्क मार्गों कि तरफ ले जाना चहाता हूँ की आने वाले समय में अगर ऐसी भयानक बाढ़ दुबारा आये तो लोग सड़कों के माध्यम से गाँव से बाहर तथा एक गाँव से दूसरे गांव में जा सके।

मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, जनपद गाजीपुर से निम्न मार्गों कि ऊंचाई बढ़ा दी जाये तो समस्या का समाधान हो सकता है।

1. गौरी से तेतारपुर हनुमान मन्दिर तक ऊचाई 3 मीटर लम्बाई 3 कि0मी0

2. गौरी तेतारपुर मार्ग से गौरहट गॉव तक ऊचाई 3 मीटर लम्बाई 3 कि0मी0

3. वाराणसी गाजीपुर एन0एच0-29 मार्ग से बराह जी धाम होते हुए पटना गांव तक तथा गोपालपुर के दक्षिण तरफ पटना गांव तक ऊंचाई 2 मीटर लम्बाई 3 कि0मी0

4. सैदपुर चोचपुर मार्ग से रामपुर हरिजन बस्ती होते हुए मंझरिया गांव तक ऊचाई 2 मीटर लम्बाई 2 कि0मी0]

जनपद बलिया के साथ-साथ पूरे पूर्वांचल को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर किसानों को मुआवजा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर-

[मान्यवर,

मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में पूर्वांचल के अनेक जनपद जैसे बलिया,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर आदि जनपद बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं जिससे इन जनपदों के लाखों किसानों की फसल नष्ट होने के साथ ही साथ उनकी आवासीय व्यवस्था भी ध्वस्त हो जाया करती है। अतएव जनहित में उचित होगा कि किसानों को बाढ़ की वजह से नुकसान होने पर उन्हें राहत प्रदान की जाए।

1-किसानों के फसल नुकसान पर उसकी क्षतिपूर्ति।

2-मकान ध्वस्त होने पर उसका आंकलन कराते हुए उनके मकान निर्माण की व्यवस्था।

3-किसानों पर बाकी अन्य सरकारी देयों को माफ करने की व्यवस्था।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पूर्वांचल के कृषकों की इस गम्भीर संकट को देखते हुए इस विषय पर शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में चण्डौस पिसावा पर करवन नदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवती प्रसाद-

[मान्यवर, जनपद-अलीगढ़ के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र खैर में चण्डौस पिसावा रोड पर करवन नदी पर बना पुल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके कारण इस पुल से आवागमन पूर्ण रूप से बन्द हो गया है। इस पुल से कुछ वाहन मोटर साइकिल आदि निकलने की कोशिश करते हैं। परन्तु इसकी अवस्था इतनी खराब है कि यह क्षतिग्रस्त पुल कभी भी गिर सकता है। जिसके कारण कोई बड़ा हादसा भविष्य में हो सकता है। यह पुल इस क्षेत्र के मुख्य मार्ग एन0एच0-91 से दौरऊ, चण्डौस, पिसावा, खुर्जा एवं गौमतखैर मार्ग को जोड़ता है। इसके क्षतिग्रस्त होने से जनता को बीस से तीस कि0मी0 अपने गन्तव्य को जाना पड़ रहा है। खुर्जा एवं खैर से चण्डौस आने वाले यात्रियों को चण्डौस कस्बे से लगभग तीन किमी0 पूर्व वाहन पुल के दूसरी तरफ उतार देते है और उन्हें पैदल ही ब्लाक मुख्यालय आना पड़ता है। इस पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण गम्भीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को चिकित्सा सुविधा तुरन्त कराने में भी कठिनाइयां आ रही हैं।

अतः मैं चाहूंगा कि इस मार्ग की वर्षा पूर्व मरम्मत/निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज अन्तर्गत ग्राम राहटीकर एवं ग्राम पूरे नोती इटैला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद तिवारी-

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज के अन्तर्गत ग्राम राहाटीकर एवं ग्राम पूरे नोती इटैला के समीप में कोई चिकित्सालय नहीं है जिसके कारण उक्त दोनों स्थलों पर जनहित में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है, इन क्षेत्रों में चिकित्सीय सुविधा न होने के कारण आवश्यकता पड़ने पर लोगों

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का समुचित उपचार नहीं हो पाता है जिसके कारण कभी-कभी चिकित्सीय सुविधा न मिलने के कारण और समीप में कोई अन्य चिकित्सालय न होने की वजह से इलाज के अभाव में छोटी से छोटी बीमारी भी भयंकर रूप ले लेती है और लोगों की असामयिक मृत्यु तक हो जाया करती है। जनहित में उपरोक्त दोनों स्थानों पर एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किया जाना अति आवश्यक है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर लोगों को समय रहते चिकित्सा की सुविधा मिला सके, और उनके जीवन को बचाया जा सके। इस अंचल के समीप में कोई अन्य चिकित्सालय न होने एवं नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना अभी तक न होने के कारण लोगों में निराशा तथा चिन्ता व्याप्त है और उनमें रोष है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना की तहसील टहरौली में मानक के अनुरूप विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र-222 बबीना (झाँसी) में तहसील टहरौली वर्तमान में विकास खण्ड विहीन है जबकि नियमतः तहसील में दो विकास खण्ड होना चाहिए, जनता कई बार इस सम्बन्ध में माँग भी कर चुकी है कि विकास खण्डों का गठन तहसील गठित होने के कई वर्षों तक विकास खण्ड का गठन नहीं किया गया हैं, जिससे क्षेत्रीय जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराते हुए इस तहसील में जल्द से जल्द मानक के अनुरूप विकास खण्ड बनाये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र नौगढ़ के अन्तर्गत वर्ष 1965 में मोहाना-लोटन मार्ग के निर्माण के फलस्वरूप कतिपय ग्रामों के काश्तकारों को जमीन के प्रतिकर का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मान्यवर, उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद-सिद्धार्थनगर के ग्राम-पनेरा, लोधपुरवा, सिकरी-बखरिया, पननी आदि तप्पा-नेटवर, परगना-विनायकपुर तहसील-नौगढ़ के काश्तकारों की जमीन थी। वर्ष 1965 में मोहाना-लोटन मार्ग जो नेपाल बार्डर को जोड़ती है उसका निर्माण किया गया था उस दौरान जिन गांवों के काश्तकारों की जमीन सड़क निर्माण के लिये ली गयी थी उस जमीन के प्रतिकर का भुगतान आजतक नहीं किया गया, जो खेदजनक है। इसमें सैकड़ों गरीब, असहाय व्यक्ति भूमिहीन हो गये हैं। काश्तकारों के जमीनों का मुआवजा/प्रतिकर न मिलने से लोगों में काफी असंतोष व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः माननीय अध्यक्ष जी से सादर अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण पर उक्त गांवों के काश्तकारों के जमीनों का मुआवजा/प्रतिकर का भुगतान करने के लिये सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें ताकि काश्तकारों में व्याप्त असंतोष समाप्त हो सके।]

जनपद बहराइच के ग्राम पयागपुर को टाउन एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना.....

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[महोदय, मैं आपका ध्यान निम्न विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद बहराइच के वि0खं0 पयागपुर का ग्राम पयागपुर काफी बड़ा है। इस ग्राम में पोस्ट आफिस, थाना, रेल स्टेशन, दूरसंचार, विकासखण्ड, चकबंदी आफिस, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंडी समिति, बस स्टेशन, कई राष्ट्रीय बैंक, वन विभाग के कार्यालय तथा अनेकों शिक्षण संस्थाएं स्थापित हैं। इस ग्राम की आबादी लगभग दस हजार से अधिक है। काफी बड़ा ग्राम होने के नाते इस ग्राम का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। पूर्व में इस ग्राम को टाउन एरिया बनाने के संबंध में कार्यवाही हुई थी किन्तु इस संबंध में शासन द्वारा अभी तक कोई आदेश नहीं हुआ है।

यह क्षेत्र अत्यन्त गरीब तथा पिछड़ा है। गरीब किसानों के पास खेती के अलावा कोई आय का साधन नहीं है। लोग इस क्षेत्र से पलायन करके इधर-उधर मेहनत-मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। पयागपुर को टाउन एरिया बनाने से इस क्षेत्र का विकास होगा तथा आम लोगों को अपना जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जनहित में ग्राम पयागपुर विकास खण्ड पयागपुर जनपद बहराइच को टाउन एरिया घोषित करने की कृपा करें।

अतः मैं उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत लम्बित पड़े मार्गों के निर्माण कार्य को लोक निर्माण विभाग से पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव-

[महोदय, जनपद फैजाबाद की विधान सभा रूदौली अंतर्गत लोक निर्माण विभाग खण्ड-2 द्वारा पिछले वित्तीय वर्षों में सम्पर्क मार्गों के निर्माण के नाम पर स्वीकृत धनराशि से कार्य ही नहीं कराया जा रहा है। रानीमऊ सम्पर्क मार्ग, मियां का पुरवा जठौली मार्ग से कटघरा सम्पर्क मार्ग इसका ज्वलंत प्रमाण है। इन दोनों मार्गों में से रानीमऊ सम्पर्क मार्ग पर स्वीकृत पूरा बजट भुगतान कर लिया गया और विभाग द्वारा कोई कार्य मौके पर नहीं कराया गया। दूसरे मार्ग पर कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। इसी तरह से क्षेत्र की स्वीकृत एक दर्जन से अधिक सम्पर्क मार्गों पर घटिया कार्य किया जा रहा है। उमापुर से कंधई होते हुए नीरमऊ घाट सम्पर्क मार्ग जिलाधिकारी के निर्देशन में अधीक्षण

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद की भौतिक जांच की गयी, कमियां पायी गयीं। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद भी कथित ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। इस प्रकार लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद में सरकारी धन का घनघोर दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे क्षेत्र की जनता में गम्भीर आक्रोश है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद के दिलशाह गार्डन से शहीद नगर बस अड्डा तक मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना.....

श्री अमर पाल शर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद गाजियाबाद में ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में लगभग 35 लाख से ज्यादा की आबादी होने के कारण वहाँ की सड़कों पर हमेशा जाम लगा रहता है। जिससे वहाँ की क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः दिलशाह गार्डन से शहीदनगर अर्थला न्यू बस अड्डा गाजियाबाद तक मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के संबंध में है।

अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट कर मांग करता हूँ कि जनपद गाजियाबाद में दिलशाह गार्डन से शहीदनगर अर्थला न्यू बस अड्डा गाजियाबाद तक मेट्रो चलाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।]

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ निर्माणाधीन कांवड़ मार्ग के कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनीसुर्रहमान-

[महोदय, मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र कांठ मुरादाबाद की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र में विगत वर्ष 2012-13 में कांवड़ियों की सुविधा के लिए कावड़ पथ का निर्माण ग्राम नयागांव कासमपुर से असवानपुर तक प्रारम्भ किया गया था। परन्तु दो माह कार्य करने के बाद उक्त कार्य लगभग विगत एक वर्ष तीन माह से बन्द है। जबकि नयागांव एवं अगवानपुर में मेन रोड पर कावड़ पथ के नाम से दो बड़े साइन बोर्ड लगा दिये गये हैं। बिना मार्ग निर्माण कराये साईन बोर्ड लगाने से जनता में भ्रम पैदा हो रहा है कि विभागीय अधिकारियों ने धन का दुरुपयोग तो नहीं किया। उक्त मार्ग के न बनने के कारण जनता में भारी रोष है। मार्ग का स्टीमेट कितना है, कितना धन किस मद पर खर्च किया गया है, अब निर्माण कार्य कराने के लिए धन शेष है अथवा नहीं। उक्त काम का निर्माण कार्य सम्पन्न होगा अथवा निर्माण कार्य निरस्त कर दिया गया है। उक्त सभी सवालों पर क्षेत्रीय जनता आक्रोषित है।

अतः लोक महत्व के उक्त अविलम्बनीय विषय पर जनपद मुरादाबाद की विधान सभा काठ के निर्माणाधीन कावड़ मार्ग पर सभी सवालों के जवाब एवं निर्माण हेतु सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला पंचायत गोरखपुर के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश त्रिपाठी-

[महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जिला पंचायत गोरखपुर के अपर मुख्य अधिकारी पद पर श्री आर0एस0 यादव की तैनाती 6 जुलाई 12 को हुई थी, 25 अगस्त 12 को जिला पंचायत की बैठक में सदस्यों ने चर्चा की थी उसका मिनट्स न बनाकर स्वयं अपना मिनट्स रखकर सदस्यों के 3.66 करोड़ के प्रस्ताव के विपरीत 5.50 करोड़ का बी0आर0जी0एफ0 का प्रस्ताव बनाया जिसका विरोध करने पर जिला पंचायत सदस्यों पर मुकदमा करा दिया गया। इसी दौरान बिना सदन से स्वीकृत कराये उस अपने तैयार मिनट्स को जिलाधिकारी से स्वीकृत करा लिया गया जिसे 27-12-12 को कमिश्नर गोरखपुर से शिकायत करने पर दुबारा बैठक 15 जनवरी 13 को बुलायी गयी जिसमें 'अपर' अवकाश पर चले गये। बैठक में प्रस्ताव जो स्वीकृत हुए और शुरू कर भी दिये गये कि उसी बीच शासन द्वारा अपर मुख्य अधिकारी ने अपने द्वारा प्रस्तावित कराये कार्यों को शासनादेश के विरुद्ध 25 मार्च 13 को करा लिया गया। क्योंकि 1-3-13 के शासनादेश में स्पष्ट है कि 500 से ऊपर के बसावरों को ही जोड़ा जाये, परन्तु जो प्रस्ताव शासन से स्वीकृत कराये गये वे उस मानक के नहीं थे। जिसके विरोध में जिला पंचायत सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। जिन पर लाठीचार्ज कर उन्हें अपमानित किया गया। इस बीच 20 अगस्त को आर0एस0 यादव का स्थानान्तरण हुआ फिर 30 अगस्त को वे वापस ज्वाईन कर लिये। इस मनमानेपन तथा पिछले एक वर्ष से विकास कार्य गोरखपुर का ठप्प होने से क्षेत्र की जनता एवं प्रतिनिधियों में आक्रोश व्याप्त है।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार से कार्यवाही वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लेवल-2 एवं लेवल-3 के चिकित्सकों की पदोन्नति में पाई गई अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमित गौरव यादव-

[मान्यवर मैं सदन के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लेवल-2 एवं लेवल-3 के चिकित्सकों की पदोन्नति में पायी गयी अनियमितताओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

चिकित्सा विभाग में गत वर्ष अगस्त 2012 में लेवल-2 चिकित्सकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक (चिकित्सा) द्वारा शासन को प्रस्ताव के साथ अर्ह एवं पात्र 228 चिकित्सकों की पदोन्नति का प्रस्ताव एवं सूची उपलब्ध करायी गयी थी जिसके आधार पर शासन स्तर से 75 चिकित्सकों की ही पदोन्नति की गयी शेष 153 की पदोन्नति रोक दी गयी। फलस्वरूप 153 प्रभावित चिकित्सकों में क्षोभ एवं कुंठा व्याप्त है साथ ही कनिष्ठ की पदोन्नति ज्येष्ठ चिकित्सकों के पूर्व हो जाने के कारण विभाग में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस स्थिति से विशेष रूप

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से वर्ष 1999 बैच के सर्जन प्रभावित हुये हैं जो पहले से ही अपने से कनिष्ठों के अधीन कार्य कर रहे हैं।

उपरोक्त लोकमहत्व के औचित्य के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त पर अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

[12.23 बजे] उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2013†

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2013) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा, परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013†

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री-(श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2013) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2013†

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री- (श्री राजकिशोर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2013) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई (संशोधन) अध्यादेश, 2013†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री-(श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2013) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य विपक्ष के कई मा0 सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगा रहे थे)

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2013†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री-(श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2013) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री-(श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2013) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-1 उत्तर प्रदेश सरकार†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री-(श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-1 उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जनरल एवं सोशल सेक्टर, 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-2 उत्तर प्रदेश सरकार†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री-(श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जनरल एवं सोशल सेक्टर, 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन संख्या-2 उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

[12.24 बजे] भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र), 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-3 उत्तर प्रदेश सरकार†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री-(श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र), 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-3 उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-4 उत्तर प्रदेश सरकार†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री-(श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-4 उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

एकल सदस्यीय निमेष जांच आयोग की रिपोर्ट†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री-(श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एकल सदस्यीय निमेष जाँच आयोग की रिपोर्ट को कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा-3 की उपधारा (4) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य विपक्ष के अधिकांश मा0 सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगा रहे थे एवं बैनर दिखा रहे थे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 2009-10 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री-(श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 2009-10 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा को उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा-30 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

(वेल में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हाथों में नारे लिखे बैनर लिए हुए लगातार नारे लगा रहे थे)

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर नारे लिखे बैनर दिखा रहे थे और सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

[12.25 बजे] उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013†

प्रमुख सचिव विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-197 के खण्ड (1) के उप खण्ड (ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958

† छापा नहीं गया।

के नियम 150 के उप नियम (1) के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 21 मार्च, 2013 के उपवेशन में पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 21 मार्च, 2013 को पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 22 मार्च, 2013 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013[†]

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि :-

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 मार्च, 2013 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013[†]

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली-1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि-

उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 मार्च, 2013 को वापस प्राप्त हो गया।

[12.26 बजे] उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013[†]

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि-

(1) उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 2013 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 मार्च, 2013 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

[†] छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2013[†]

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि-

(2) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2013, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 2013 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 मार्च, 2013 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012[†]

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि-

(3) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 पर, जिसे दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में सदन की मेज पर रखे जाने से तीन माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त संविधान के अनुच्छेद-197(1) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150(1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को मूलतः पारित किया गया था तथा इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के समक्ष पुनः दिनांक 18 मार्च, 2013 को रखा गया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 मार्च, 2013 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2013 को उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012[†]

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि-

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012 पर, जिसे दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में सदन की मेज पर रखे जाने से तीन माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त संविधान के अनुच्छेद-197(1) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150(1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 11 मार्च, 2013 के उपवेशन में उसी रूप में पुनः पारित किया जिस रूप में यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को मूलतः पारित किया था तथा इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के समक्ष पुनः दिनांक 18 मार्च, 2013 को

[†] छापा नहीं गया।

रखा गया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 मार्च, 2013 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012[†]

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि-

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 पर, जिसे दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में सदन की मेज पर रखे जाने से तीन माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त संविधान के अनुच्छेद-197(1) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150(1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 08 मार्च, 2013 के उपवेशन में उसी रूप में पुनः पारित किया जिस रूप में यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को मूलतः पारित किया गया था तथा इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के समक्ष पुनः दिनांक 18 मार्च, 2013 को रखा गया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 मार्च, 2013 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012[†]

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि-

उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 पर, जिसे दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में सदन की मेज पर रखे जाने से तीन माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त संविधान के अनुच्छेद-197(1) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150(1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 11 मार्च, 2013 के उपवेशन में उसी रूप में पुनः पारित किया जिस रूप में यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को मूलतः पारित किया गया था तथा इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के समक्ष पुनः दिनांक 18 मार्च, 2013 को रखा गया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 मार्च, 2013 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

(व्यवधान जारी)

(शोर शराबे के कारण घोर व्यवधान जारी)

[†] छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012[†]

प्रमुख सचिव विधान सभा-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि- उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 पर, जिसे दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने सदन की मेज पर रखे जाने से तीन माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त संविधान के अनुच्छेद-197 (1) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 08 मार्च, 2013 के उपवेशन में उसी रूप में पुनः पारित किया जिस रूप में यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को मूलतः पारित किया गया था तथा इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के समक्ष पुनः दिनांक 18 मार्च, 2013 को रखा गया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 मार्च, 2013 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का नौवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013[†]

प्रमुख सचिव विधान सभा-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 2013 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 2013 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2013[†]

प्रमुख सचिव विधान सभा-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि- उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2013, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 मार्च, 2013 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 मार्च, 2013 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013[†]

प्रमुख सचिव विधान सभा-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि- उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 2013

[†] छापा नहीं गया।

के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 2013 की उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 2013 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013†

प्रमुख सचिव विधान सभा-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि- उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 मार्च, 2013 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 मार्च, 2013 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2013 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-18 में कुछ नहीं है।

[12.32 बजे] उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013-2014) का पंचम प्रतिवेदन†

श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिवबाबू-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013-2014) का पंचम प्रतिवेदन, जो ग्राम्य विकास विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013-2014) का षष्ठम प्रतिवेदन†

श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिवबाबू-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013-2014) का षष्टम् प्रतिवेदन, जो राज्य सम्पत्ति विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009-2010, 2010-2011 तथा 2011-2012 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-21 में कुछ नहीं है।

---

† छापा नहीं गया।

[12.33 बजे] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनाँक 15 सितम्बर, 2013 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 16 सितम्बर, 2013 से दिनांक 20 सितम्बर, 2013 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

सितम्बर, 2013

16 सोमवार	1-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, सूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हो। 2-असरकारी दिवस आधा दिन, दिनांक 20 सितम्बर, 2013 के स्थान पर। 3-अन्य कार्य, यदि कोई हों।
17 मंगलवार	(विश्वकर्मा पूजा का अवकाश) बैठक नहीं होगी।
18 बुधवार	**1-12:20 बजे अपराह्न** वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुपूरक अनुदानों की माँगों का प्रस्तुतीकरण। 2-विधायी कार्य।
19 गुरुवार	1-वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण। 2-विधायी कार्य।
20 शुक्रवार	विधायी कार्य।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि ''यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[12.34 बजे] उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

---

†दिनांक 16-9-2013 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसी मध्य भाजपा के श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया तथा श्री उपेन्द्र तिवारी रिपोर्टर टेबल पर चढ़कर नारे लगाने लगे तथा कतिपय सदस्य अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे जिन्हें विधान सभा रक्षकों ने रोका)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013†

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) संशोधन विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013†

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

†दिनांक 16.9.2013 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

[12.36 बजे] उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंख लाल मांझी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंख लाल मांझी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

श्री राज किशोर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

[12.38 बजे] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 16-09-2013 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम सूचना को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना (1) श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री अमरपाल शर्मा, श्री जी0एम0 सिंह, श्री त्रिभुवन राम, श्री उमाशंकर सिंह, श्री जयप्रकाश निषाद, डा0 धर्म सिंह सैनी, श्री गयाचरण दिनकर, श्री रोशनलाल वर्मा, श्री राजनारायण बुधौलिया, श्री नीरज कुशवाहा, श्री रामवीर उपाध्याय, श्री छोटेलाल वर्मा, श्री राजेन्द्र उर्फ बृजेश सिंह, श्री शमशेर बहादुर शेरू भईया, श्री ओम कुमार, श्री सुल्तान बेग, श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत, श्री रामहेत भारती (2) श्री हुकुम सिंह, श्री सतीश महाना, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल (3) श्री प्रदीप माथुर, श्री अजय कपूर, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री प्रमोद तिवारी, श्री अजय राय, प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री संजय कपूर, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, श्री गजराज सिंह, श्री प्रदीप चौधरी, श्री नवाब काजिम अली खां नवेद मियां, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री दलजीत सिंह, श्रीमती रूबी प्रसाद, श्री विजय कुमार दुबे, श्री गयादीन अनुरागी, श्री दिलनवाज खां, श्री नदीम जावेद, श्री अजय कुमार लल्लू, श्रीमती उमाकान्ती सिंह, कु0 कौशल सिंह, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ

†दिनांक 16.9.2013 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री मो0 मुस्लिम, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री राधेश्याम (4) श्री अनीसुर्रहमान की जनपद मुजफ्फरनगर स्थित गांव कबाल/मलिकपुरा में दिनांक 27-08-2013 को घटित घटना के उपरान्त मुजफ्फरनगर सहित निकटवर्ती जनपदों में हुई आगजनी एवं हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

ध्यानाकर्षण हेतु दो सूचनायें हैं, जिनमें पहली सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की जनपद झांसी में स्थित पारीक्षा थर्मल पावर कारपोरेशन में अधिग्रहीत जमीन के कृषकों के वारिसों को अभी तक मुआवजा न प्रदान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

दूसरी सूचना श्री राजनारायण बुधौलिया की जनपद बुन्देलखण्ड में भारी वर्षा के कारण हुई तबाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई-

1. श्री श्यामदेव राय चौधरी
2. श्री कमाल यूसुफ मलिक
3. श्री बब्बन सिंह चौहान
4. श्री रामचन्द्र यादव
5. श्री उमेश पाण्डेय
6. श्री सुरेश कुमार खन्ना।

माननीय सदस्यगण अब आप लोग कृपया अपने स्थान पर वापस चलें। आप लोग नियम-56 में बोलना नहीं चाहते हैं क्या? माननीय मौर्या जी आप इनको वापस बुलाइये, नियम-56 में चर्चा तो शुरू कराइये। माननीय नेता विरोधी दल आप अपने लोगों को वापस बुलायें, जब आपने नोटिस दी है तो अपनी नोटिस पर जो आपको कहना है, आपने भी दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने उसी पर दिया है, लोकदल ने उसी पर दिया है, कांग्रेस ने उसी पर दिया है तो आप लोग अपनी-अपनी बात कहें। माननीय सदस्यगण कृपया अब आप लोग अपनी-अपनी सीट पर वापस चलें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मा0 सदस्यगण, अब आप लोग वापस चलिये, अपनी सीट पर जाकर अपनी बात कहिये। मा0 मौर्या जी, मा0 हुकुम सिंह जी, आपका नियम-56 का प्रस्ताव है। आप बोलना चाहेंगे चर्चा के लिये तो इन लोगों को वापस बुला लीजिये। मा0 सदस्यगण, अब आप लोग चलिये। अरे, आपको जो बात कहनी है, वो आप अपनी सीट पर जाकर अपने नेता को कहने तो दीजिये जिसके लिये आप इतना सब कर रहे हैं। मा0 मौर्या जी, आप शुरू करिये।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, आज जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में दंगों के माध्यम से हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द को तार-तार किया जा रहा है। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, पहले इस सदन को व्यवस्थित करें। मान्यवर, सदन को व्यवस्थित करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, आप अपने स्थानों पर चलें। सदन को व्यवस्थित करने दें। आप लोग वहाँ चलें, अपने-अपने स्थानों पर चलें। इसका मतलब है कि नियम-56 पर आप बात नहीं करना चाहते हैं। मा0 नेता, भारतीय जनता पार्टी, आपने जो दिया है तो अपने लोगों को वापस तो बुलाइये।

चलिये, आप लोग वापस चलिये, अपनी सीट पर जाइये। जब आपने नियम-56 में अपनी सूचना दी है और उस पर आपको बोलने का अवसर दिया जा रहा है तो आप तो सदन व्यवस्थित करिये। आप लोग अपनी सीटों पर चलिये। महाना जी, आपने भी नियम-56 में दिया है तो आप नियम-56 में यहाँ बात कहाँ करेंगे, अपनी सीट पर करेंगे। मा0 उपेन्द्र तिवारी, आप अपनी सीट पर चलिये। मा0 सदस्यगण, अब आप अपनी सीटों पर चलिये। बहुजन समाज पार्टी के लोग आप तो अपनी सीटो पर बैठिये। आप चर्चा नहीं चाहते हैं, आप चर्चा चाहते हैं। अब आप लोग चलिये। मा0 सदस्यगण, अब आप लोग अपनी सीटों पर चलिये और चर्चा प्रारम्भ करिये न।

भारतीय जनता पार्टी सदस्यों द्वारा फर्जी मुकदमें वापस लिये जाने विषयक नारे लगाये गये।)

ये नारे से नहीं, आप अपनी बात कहिये तो जो कहना चाहते है और आप लोग अपनी सीटों पर जाइये। आप अपनी सीटों पर चलिये। आप इसमें कैसे बोलेंगे, ये हल्ला कर रहे हैं। आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे। आप लोग अपनी सीटों पर वापस जाइये। जब ये नियम-56 पर आ गयी बात तो आप इसी के लिये तो लड़ाई कर रहे थे, अब आप बोलिये। आप बोलना नहीं चाहते हैं, आप चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। आप लोग विधान सभा को अव्यवस्थित करना चाहते है। महाना जी, आप अपनी सीट पर वापस जायें। भदौरिया जी, ये आप तभी से दिखा रहे हैं, इसे किसको दिखाना है, हमें दिखाने से क्या फायदा, चलिये सीट पर चलिये। आप लोग अगर बोलना नहीं चाहते हैं तो मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब आप लोग अपनी सीट पर चलिये। मौर्या जी, आप बोलेंगे तो इन लोगों को तो, अपने लोगों को तो बुलायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, ठीक है। आप अपनी जगह पर शान्ति बनाये रखिये।

(कतिपय भारतीय जनता पार्टी सदस्यों द्वारा सपा, बसपा, कांग्रेस-आई के विरोध में नारे लगाये गये।)

श्री अध्यक्ष-

देखिये, आप लोग बहुत उत्पात न करिये।

(भारतीय जनता पार्टी के कतिपय सदस्यों द्वारा यह कहे जाने पर कि विधान सभा बन्द करो, बन्द करो।)

क्यों बन्द करें, आप चलिये तो। आप नहीं चाहते हैं चर्चा। मैं ये मानता हूँ कि विरोध पक्ष ने जो नोटिस दी है, वह उस पर चर्चा कराना नहीं चाहता है।

श्री प्रमोद तिवारी-

कांग्रेस के लोग चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

कांग्रेस के चाहते हैं, ये तो चर्चा नहीं करने देना चाहते हैं।

(कतिपय भारतीय जनता पार्टी सदस्यों द्वारा फर्जी मुकदमें वापस लिये जाने के नारे लगाने पर)

ये मुकदमें वापस लेना है तो अपनी सीट पर जाकर कहिये न। सदन तो चलने दीजिये, सदन चलने दीजिये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्य वेल में खड़े होकर लगातार सरकार विरोधी नारेबाजी करते रहे।)

महाना जी ये आपका संकल्प है कैन्सिल हो जायेगा। महाना जी, ये आपका संकल्प है। आप यहाँ से चलिए। ये बातें आप वहाँ से भी कह सकते है। सदन नहीं चलने देना चाहते हैं।

(श्री प्रमोद तिवारी जी के खड़े होने पर)

आप प्रमोद तिवारी क्या बोलेंगे इसमें ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्य वेल में खड़े होकर लगातार सरकार विरोधी नारेबाजी करते रहे।)

महाना जी ये आपका संकल्प है कौन्सिल हो जायेगा। महाना जी, ये आपका संकल्प है। आप कहां से चलिये। ये बातें आप वहां से भी कह सकते हैं। सदन नहीं चलने देना चाहते हैं।

(श्री प्रमोद तिवारी जी के खड़े होने पर)

आप प्रमोद तिवारी क्या बोलेंगे इसमें ?

*श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस पर चर्चा हो। सामने आयें वह चेहरे जिन्होंने दंगा कराया है। मान्यवर, हम चाहते है कि वो चेहरे सामने आयें, जिन्होंने दंगा कराया है। ये वो लोग है कि जो सदन नहीं चलने दे रहे हैं, (मेजों की थपथपाहट) जो दंगा कराने वाले लोग हैं, ये सच्चाई सामने नहीं आने देना चाहते। इन दंगाइयों को हटाइये, हटाइये इन दंगाइयों को। ये दंगाई है, इन दंगाइयों को हटाइये, चर्चा कराइये। ये दंगाई हैं, इन्होंने दंगा कराया है, लोगों की जान ली है, मासूमों की हत्या कराई है। मान्यवर, हम चाहते हैं कि चर्चा हो। मान्यवर, चर्चा कराइये ये लोग साम्प्रदायिक है इन लोगों को बेनकाब करिये। अध्यक्ष जी, इनको बाहर निकालिये कांग्रेस चर्चा चाहती है। मान्यवर, हम उत्तर प्रदेश को गुजरात नहीं बनने देंगे। उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाने वालों को सदन से बाहर निकालिये। हम गुजरात नहीं बनने देंगे उत्तर प्रदेश को। ये इंसानियत के हत्यारे हैं। ये प्रदेश को आग में झोंकना चाहते है इनक चेहरों को बेनकाब करिए हम उत्तर प्रदेश को गुजरात नहीं बनने देंगे। ये दंगाई है, ये हत्यारे हैं, इन हत्यारों के चेहरों को बेनकाब करिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[12.46 बजे] प्रदेश के महानगरों की उपनगरीय क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये उपनगरीय क्षेत्र के निवासियों को भी मूलभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने विषयक भी सतीश महाना द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री सतीश महाना जी, इसमें कुछ नहीं कहना है ?

(श्री सतीश महाना जी का नाम पुकारे जाने और उनके वेल में खड़े रहने तथा चर्चा आरम्भ न करने पर)

शासन की 'हमारी बेटी, उसका कल' योजनान्तर्गत प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) के परिवार की प्रत्येक बालिका को रु0 30000.00 की धनराशि प्रदान किये जाने विषयक श्री सतीश महाना द्वारा दि0 22 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सतीश महाना जी, आपको इसमें कुछ नहीं कहना है ?

(श्री सतीश महाना जी का नाम पुकारे जाने और उनके संकल्प प्रस्तुत न करने पर)

गोरखपुर कसया राष्ट्रीय राजमार्ग के हाटा से गौरीबाजार रूद्रपुर कपरवार घाट होते-हुये ने पर बड़हल राष्ट्रीय राजमार्ग तक, कसया राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया रूद्रपुर करहकोल होते हुये कौड़ीराम राष्ट्रीय राजमार्ग तक तथा गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया रिंग रोड का निर्माण करते हुये सलेमपुर होते हुये, भागलपुर होते हुये बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग तक को, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करते हुये इसका पुनः निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप अपना संकल्प प्रस्तुत कर दें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद देवरिया के 1-गोरखपुर-कसया राष्ट्रीय राजमार्ग के हाटा से गौरीबाजार-रूद्रपुर-कपरवार घाट होते हुये बड़हलगंज राष्ट्रीय राजमार्ग तक, 2-कसया राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया-रूद्रपुर-करहकोल होते हुये कौड़ीराम राष्ट्रीय राजमार्ग तक तथा 3-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया रिंग रोड का निर्माण करते हुये-सलेमपुर होते हुये भागलपुर होते हुये बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग तक को, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करते हुये इसका पुनः निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

धार्मिक पर्यटन एवं सर्वविद्या की नगरी काशी (वाराणसी) में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने विषयक श्री श्यामदेव राय चौधरी का संकल्प .... (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री श्यामदेव राय चौधरी जी आप अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे ?

(श्री श्यामदेव राय चौधरी जी द्वारा अपना संकल्प न प्रस्तुत करने पर)

कानपुर औद्योगिक नगर में मूलभूत अवस्थापना सुविधायें प्राथमिकता पर उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री सतीश महाना का संकल्प .... (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

(श्री सतीश महाना जी आप अपना संकल्प प्रस्तुत करें।)

बेरोजगार नौजवानों/नवयुवतियों को प्रदेश के भीतर राजकीय सेवाओं हेतु इण्टरव्यू पर आने जाने हेतु राज्य परिवहन की सुविधा निःशुल्क प्रदान किये जाने विषयक डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी का संकल्प .... (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी आप अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

(डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी ने अपना संकल्प प्रस्तुत नहीं किया)

पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये औद्योगिकीकरण हेतु विशेष नीति बनाये जाने विषयक डा0 राधामोहन दास अग्रवाल .... (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी आप अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

(डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी आप अपना संकल्प न प्रस्तुत करें)

उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी योजनान्तर्गत वर्ष 2011-2012 में 2000 करोड़ के ठेके में कुख्यात माफिया कम्पनी द्वारा की गयी धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह आदि द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा .... (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

प्रदेश में आंगनबाड़ी योजना अन्तर्गत वर्ष 2011-2012 में 2000 करोड़ के ठेके में कुख्यात माफिया कम्पनी द्वारा की गई धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी ''दादा'' और डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी एवं अन्य की एक घंटे की चर्चा थी। क्या इस पर चर्चा नहीं होनी है।

(किसी भी सदस्य ने प्रारम्भ नहीं की)

सुभाष चन्द्र बोस की भतीजी कु0 ललिता बोस द्वारा दायर रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दि0 31 जनवरी, 2013 को पारित आदेशों के अनुपालन में फैजाबाद निवासी रहे गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी के सम्बन्ध में आयोग का गठन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कुं0 कौशल सिंह आदि द्वारा नियम-56 में दी गयी सूचना पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इस मद पर चर्चा आप शुरू कर दें फिर इस पर चर्चा आगे जारी रहेगी।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

मान्वयर,

मुजफ्फरनगर प्रकरण पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जाना।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार इस बात से सहमत है कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ फासिस्ट ताकतें उत्तर प्रदेश को दूसरा गुजरात बनाना चाहती हैं। सरकार इससे सहमत है लेकिन सरकार अपना ये संकल्प दोहराना चाहती है कि वो सारी फासिस्ट ताकतें, जो उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाना चाहती है सरकार उनसे बहुत सख्ती से निपटेगी और उन्हें ऐसा करने नहीं देगी। मान्यवर, लोकतांत्रिक परम्पराओं को निभाते हुये उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी तमाम ताकतों को, जो उत्तर प्रदेश को फॉसिज्म की आग में जला देना चाहते हैं। जो हिन्दुस्तान में रहने वाले करोड़ों हिन्दुस्तानियों को हिन्दू और मुसलमान के नाम पर बांटकर एक नये बंटवारे की तरफ दिलों को बांटना चाहते हैं। ऐसी ताकतों के साथ सरकार बहुत सख्ती से पेश आएगी और प्रदेश की कोई बर्बादी नहीं होने देगी।

[12.47 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 16.09.2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनायें प्राप्त हुई, जिसमें में ये 10 सूचनायें स्वीकृत हुई है, जो निम्न हैं :-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ स्थित ट्रांसफार्मरों के रिपेयर/मरम्मत की कार्यशाला की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री कलराज मिश्र की जनपद लखनऊ में जल निकासी हेतु सीवर लाइन डालने के कार्य में हो रहे विलम्ब के कारण विकास नगर, इन्दिरा नगर, शिवाजीपुरम, सुरेन्द्र नगर, ईस्माइलगंज में मार्गों का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया की मेसर्स साई फायर एप्लाईसेस प्रा0लि0बी0-21 से0-10 नोएडा से अम्बेडकर अस्पताल में अग्निशमन कार्य हेतु टेंडर दिलाये जाने के सम्बन्ध में की गई धोखाधड़ी की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा

चौथी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की जनपद इलाहाबाद में राष्ट्रीय नदी गंगा यमुना के भीषण बाढ़ से पीड़ित लोगों को प्रतिपूर्ति एवं राहत दिलाकर एस0टी0पी0 रिंग बांध टूटने की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

पांचवी सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र-बरौली के एन0एच0-91 से कन्दौली, जगतपुर आदि गांवों से होते हुये बसई जाने वाला सम्पर्क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

छठी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद-शाहजहांपुर की सदर तहसील में कम्बोज जाति के सिक्खों को ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण-पत्र न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

सातवीं सूचना श्री भगवती प्रसाद की जनपद-अलीगढ़ विधान सभा क्षेत्र-खैर के कतिपय मार्गों पर सरकारी बस सेवा संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

आठवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 का कार्य कराये जाने हेतु केन्द्र सरकार को धनराशि तत्काल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव भिजवाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

नवीं सूचना श्री अजय मिश्र ''टेनी'' की विधान सभा क्षेत्र निघासन व जिला खीरी में फैले दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा

दसवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद की नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत मौ0 हुमायूंपुर के जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अब हम उठते हैं। दिनांक 18-09-2013 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन घोर व्यवधान के मध्य ही 12 बजकर 49 मिनट पर बुधवार दिनांक 18 सितम्बर, 2013 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 16 सितम्बर, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी ''क''

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-13 का उत्तर पीछे पृष्ठ-36 पर।)

संलग्नक-1

शहीद हेमराज को केन्द्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य संस्थान द्वारा दी गयी सहायता का विवरण

केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता

क्रमांक	विवरण	धनराशि (रु0 में)
1	केन्द्रीय सेना कल्याण कोष	30,000/-
2	(यूनिट द्वारा)	5,000/-
3	आर्मी ग्रुप इन्श्योरेन्स	20,00,000/-
4	आर्मी ग्रुप इन्श्योरेन्स मेच्योरिटी	1,46,633/-
5	एफ0एस0ए0+लीव इन्क्रीमेन्ट	2,10,479/-
6	डेथ कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी	2,79,384/-
7	फैमिली पेंशन (लिबराइज्ड)	13,620/- (बेसिक)
8	एक्स-ग्रेसिया	15,00,000/-
9	वेलफेयर कॉम्प्लेक्स हेडवार्टर एम0जी0एण्ड जी0 एरिया	2,75,000/-
10	पी0एल0आई0	1,22,752/-

राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहायता :-

क्रमांक	विवरण	धनराशि (रु0 में)
1	मा0 मुख्य मंत्री सहायता कोष	20,00,000/- (मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा)
2	किसान दुर्घटना सीमा	5,00,000/-
3	एक्स-ग्रेसिया	4,00,000/- (उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेस सहायता संस्थान द्वारा दिया जाना है।)

अन्य संस्थान द्वारा दी गयी सहायता :-

क्रमांक	विवरण	धनराशि (रु0 में)
1	शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे	1,00,000/-
2	मंदिर संस्था द्वारा	1,00,000/-
3	एम0आर0जाधव, जांदेड	2,100/-
4	इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी द्वारा	4,100/-
5	जय प्रकाश चौरसिया, नागपुर	5,000/- (जीवनपर्यन्त प्रतिमाह)

पी0एस0यू0पी0-एल0 138 विधान सभा (273)-14-11-2013-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।